रजिस्ट्री सं॰ डी॰ (डी॰ एन॰)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 24] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 1989/आश्विन 4, 1911
No. 24] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 1989/ASVINA 4, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 1/2/90

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरी, आफ इंडिया (कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गठित)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1989

फाइल सं. 104/17 लेखें:— 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष की दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरी आफ इण्डिया की परिषद् की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट

प्रस्तावना

1. कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 18 (5) के अनुसरण में दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज इण्डिया की परिषद 31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष की नौवीं वार्षिक रिपोर्ट और इस अवधि के लेखों के लेखा-परीक्षित विवरण तथा उन पर इंस्टीट्यूट के कामकाज की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहर्ष प्रकाशित करती है। वर्ष की गतिविधियों के अलावा रिपोर्ट में रिपोर्ट की तारीख तक महत्वपूर्ण गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

नई घटनाएं

2. कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए नियम और सचिव की अर्हताएं।

यह अत्यन्त संतोष की बात है कि भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट के विचारों पर विचार करने के बाद कम्पनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) नियमावली, 1988 का निर्धारण किया है, जिसमें धारा 383-क के अधीन पूर्णकालिक सचिव की अनिवार्य नियुक्ति के लिए 25 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी को वर्तमान सीमा को बनाए रखा है और यह भी निर्धारित किया है कि 25 लाख रुपए से कम प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कम्पनियों में पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति के लिए अर्हताओं में से एक अर्हता इंस्टीट्यूट की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना है। साथ ही साथ सरकार ने 1 दिसम्बर 1988 से कम्पनी अधिनियम की संशोधित धाराएं 2 (45) और 383-क को भी लागू कर दिया है।

संगठनात्मक ढांचा

3. परिषद्

3.1 नई चुनाव-पद्धति के अधीन चुनाव

जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि कम्पनी सचिव विनियमावली 1982 को 22-8-1988 से मुख्य रूप से परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों की चुनाव व्यवस्था और प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए संशोधित किया गया। प्रभावित संशोधनों के अनुसार परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों के एकल अन्तरणीय मत द्वारा मतदान की वरीयता-क्रम प्रणाली के अधीन चुनाव कराए गए। प्रत्येक क्षेत्रीय चुनाव-क्षेत्र के लिए परिषद् के सदस्य केवल उसी चुनाव क्षेत्र के सदस्यों द्वारा चुने गए। जिस कस्बे या शहर में उसके अधिकार क्षेत्र में कम से कम 25 मतदाता हैं, वहां सदस्यों को केवल वहीं के पोलिंग बूथों पर मतदान करना था। सीमित प्रचार की अनुमति दी गई जिसके अनुसार उम्मीदवार परिषद् के निर्दिष्ट मार्ग निर्देशों के अनुसार मतदाताओं का एक परिपत्र जारी कर सकता है। विनियमों में इससे पहले किए गए संशोधनों के अनुसार चुनाव

करने के लिए सामान्य रूप से देख रेख के लिए पहली बार एक चुनाव समिति गठित की गई और परिषद् ने जांचकर्ताओं की एक सूची तैयार की, जिसे सुरक्षा के अतिरिक्त उपाए के रूप में नाम-पत्रों की जांच करनी थी तथा उद्देश्य के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना था ताकि चुनाव प्रणाली में पूर्ण विश्वास उत्पन्न किया जा सके।

3.2 परिषद् के सदस्यों का चुनाव :-

द्वितीय निर्वाचित परिषद् की तीन वर्ष की कालावधि 31 दिसम्बर, 1988 को समाप्त हो गई। कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में पहली बार संशोधित नियमों के अनुसार वर्ष 1988 की अन्तिम तिमाही में परिषद् के तृतीय चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न हुए और निम्नलिखित बारह फैलो सदस्य परिषद् के लिए चुने गए :

पूर्वी भारत क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र

1. श्री बी.पी. धनुका
2. श्री श्यामल सेन

उत्तरी भारत क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र

1. श्री ओ.पी. दानी
2. श्री डी.सी. जैन
3. श्री हरीश के. वैद

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र

1. श्री टी.वी. पद्मनाभन
2. श्री डी.के. प्रह्लाद राव
3. श्री पी.टी. रंगामणि

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र

1. श्री बिपिन एस. आचार्य
2. श्री एस.डी. इमरानी
3. श्री ए.एन. सवारे
4. श्री एन.जे.एन. वजीफदार

3.3 सरकारी नामिती : कम्पनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन चार सदस्यों को नामित करने के लिए प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने तृतीय निर्वाचित परिषद् के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए आरम्भ में निम्नलिखित तीन तीन व्यक्तियों को नामित किया :

1. श्री वी.पी. गुप्ता
2. श्री वी.के. मजोत्रा
3. श्री वी.पी. आर. विट्ठल

बाद में 25 मई, 1989 को श्री वी.के. पोद्दार का चौथे सरकारी नामिती के रूप में परिषद् में शेष अवधि के लिए नामित किया।

3.4 परिषद् का संविधान : 1 जनवरी 1989 को नई परिषद् यथाविधि गठित की गई। सभी निर्वाचित सदस्यों ने इस तारीख से तीन वर्ष के लिए कार्यभार संभाल लिया और वे इस रिपोर्ट की तारीख तक अपने पदों पर चल रहे थे।

3.5 बैठकें : परिषद् ने वर्ष के दौरान 7 बैठकें रखी।

3.6 परिषद् की 50वीं बैठक : 1 जनवरी 1981 से सांविधिक संस्था के रूप में गठित इंस्टीट्यूट की परिषद् की 50वीं बैठक को इससे पूर्व की परिषद् ने 31-12-1988 को स्वर्ण जयन्ती बैठक के रूप में मनाया जो आई.सी.एस.आई. हाउस नई दिल्ली में रखी गई थी। इस अवसर पर पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् द्वारा 'प्रभारों का पंजीकरण' विषय पर प्रकाशित एक अनुसंधान प्रकाशन को जारी किया गया।

4. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

1 जनवरी 1989 की परिषद् की 51वीं बैठक में श्री बी.एस. डोराइस्वामी ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। श्री श्यामल सेन को 1 जनवरी 1989 से एक वर्ष के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी बैठक में श्री डी.सी. जैन को वर्ष 1989 के लिए सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1988 में इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में श्री डोराइस्वामी द्वारा की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए परिषद ने उनकी सराहना की।

5. परिषद् की समितियां आदि :

अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् ने तीन स्थायी और चार अन्य समितियां गठित की। इसके अलावा परिषद् ने एक संवर्ग योजना ग्रुप और कम्पनी सचिवीय प्रैक्टिस मैनुअल के लिए सलाहकार ग्रुप तथा 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' के उन्नीसवें खण्ड के लिए पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड का गठन भी किया। इनकी संरचना रिपोर्ट के परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

6. क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं :

6.1 क्षेत्रीय परिषदें

1 जनवरी 1986 को गठित द्वितीय निर्वाचित क्षेत्रीय परिषदों की तीन वर्ष की अवधि 31 दिसम्बर 1988 को समाप्त हो गई। सभी चारों क्षेत्रीय परिषदों के तृतीय चुनाव परिषद् के चुनावों के साथ साथ 1988 की अन्तिम तिमाही में हुए। नई क्षेत्रीय परिषदें 1 जनवरी 1989 से तीन वर्ष की अवधि के लिए यथाविधि गठित की गई। वर्ष 1988-89 के लिए चारों क्षेत्रीय परिषदों की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई गतिविधियों से तैयार किए गए सारांश का इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

6.2 शाखाएं : इस वर्ष उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद के अधीन उदयपुर में एक शाखा और दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद् के अधीन मंगलौर और पाण्डिचेरी में दो नई शाखाएं खोली गई। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए नीलगिरि शाखा को कोयम्बटूर शाखा में मिला दिया गया। इस प्रकार अब कम्पनी सचिव विनियम, 1982 के विनियम 143 के अनुसार चार क्षेत्रीय परिषदों के क्षेत्राधिकार में इंस्टीट्यूट ने यथाविध 34 शाखाएं गठित कर ली हैं। शाखाएं विद्यार्थियों की शिक्षा तथा सदस्यों के व्यावसायिक विकास के लिए वर्ष के दौरान अपनी स्थानीय गतिविधियां चलाती रहीं।

6.3 क्षेत्रीय परिषदों और शाखाधिकारियों की बैठकें

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय परिषदों तथा शाखाओं के पदाधिकारियों और परिषद् के पदाधिकारियों के बीच बैठकों द्वारा क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के बीच नियमित रूप से पारस्परिक संबंध बनाए रखने की प्रक्रिया चलती रही। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव ने चारों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष के साथ जनवरी 1989 में बैठक रखी, जिसमें संबंधित क्षेत्रों में वर्ष के दौरान हुई वर्तमान गतिविधियों तथा और अधिक गति- विधियां चलाने के बारे में विचार विमर्श किया।

6.4 सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कारों का वितरण :—2 मार्च 1989 को बंगलौर में होटल अशोक में 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री जॉ.एन. मेहरा, सचिव, उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम और कम्पनी कार्य विभाग तथा अध्यक्ष केन्द्रीय विधि बोर्ड ने वर्ष 1987-88 के लिए निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार वितरित किए :—

(1) वर्ष 1987-88 के लिए इंस्टीट्यूट की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय शाखा के रूप में अधिनिर्णीत होने के कारण चल रजत शील्ड और प्रशस्ति पत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा के लिए प्रमाण पत्र। — अहमदाबाद शाखा

(2) पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शाखा होने के कारण प्रशस्ति प्रमाण-पत्र। — रांची शाखा

(3) उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शाखा होने के कारण प्रशस्ति प्रमाण पत्र। — कानपुर शाखा

(4) दक्षिणी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय शाखा होने के कारण प्रशस्ति प्रमाण-पत्र। — बंगलौर शाखा

6.5 आर.बी.जी.एम. मोदी सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार की पुन:स्थापना

मैसर्स मोदी रबड़ लि० द्वारा संस्थापित पुरस्कार एवार्ड को पुनः उक्त फ़र्म ने वर्ष 1987-88 में राय बहादुर गूजरमल मोदी सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार के रूप में आरम्भ कर दिया है। इंस्टीट्यूट को मैसर्स मोदी रबड़ लि. से इस पुरस्कार का 25,000 रुपए का अंशदान अब प्राप्त हो गया है, जो वर्ष 1987-88 के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाखा के रूप में अहमदाबाद शाखा को एक समुचित समारोह में प्रदान किया जाएगा।

7. नौकरी और/या प्रैक्टिस के लिए सदस्यता

7.1 सदस्यता : इस वर्ष 547 व्यक्तियों को एसोसिएट सदस्य और 120 एसोसिएट सदस्यों को फ़ैलो सदस्यों के रूप में प्रवेश दिया गया। 31 मार्च, 1989 को इंस्टीट्यूट के रजिस्टर में 6669 सदस्य दर्ज थे, जिनमें 5179 एसोसिएट तथा 1490 फ़ैलो सदस्य थे। 30-6-1989 को यह संख्या क्रमशः 6880, 5341 तथा 1539 थी। वार्षिक फ़ीस की अदायगी न करने, मृत्यु अथवा त्याग पत्र देने के कारण 213 सदस्यों के नाम रजिस्टर में से काट दिए गए, जिनमें से 18 फ़ैलो और 195 एसोसिएट सदस्य हैं। परिषद् को वर्ष के दौरान 18 सदस्यों की मृत्यु की रिपोर्ट देते हुए दुख है। 31 मार्च 1989 को विदेश में रहने वाले सदस्यों की संख्या 122 थी।

7.2 प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र : वर्ष के दौरान 258 सदस्यों को प्रैक्टिस के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए और वर्ष के अन्त में 1192 सदस्यों के पास प्रैक्टिस प्रमाण पत्र थे, जबकि 30-6-89 को यह संख्या 1240 है। 131 सदस्यों के प्रमाण पत्र वार्षिक फ़ीस न देने, मृत्यु प्रमाण पत्र वापस कर देने या प्रमाण पत्र के नवीकरण की पात्रता न रहने के कारणों से रद्द कर दिए गए।

7.3 सदस्यों की वृद्धि और प्रैक्टिस प्रमाण पत्र धारी सदस्यों के बारे में एक तालिका इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

7.4 सदस्यों की सूची : विनियम 161 के साथ पठनीय कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 19 (3) के अनुसरण में 1 अप्रैल, 1989 को सदस्यों की एक सूची प्रकाशित कर दी गई है, जो सदस्यों को उनके अनुरोध करने पर सप्लाई की जाएगी।

8. व्यावसायिक विकास और अनवरत शिक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट ने सेवारत तथा प्रैक्टिसरत सदस्यों के लिए तथा साथ ही सार्वजनिक उद्यमों में मध्य और उच्च स्तर पर कार्य कर रहे एक्जीक्यूटिवों के लाभ के लिए भी पांच व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए। आयोजित कार्यक्रमों की एक सूची रिपोर्ट के परिशिष्ट 'घ' में दी गई है।

9. प्रकाशन :

9.1 चार्टर्ड सेक्रेटरी : यह जर्नल पिछले 19 वर्षों से प्रकाशित हो रहा है और इसने अपनी क्वालिटी और संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं के बारे में तुरंत सूचना देकर अपनी प्रतिष्ठा लगातार बनाए रखी है; यह जर्नल सदस्यों और कम्पनी एक्जीक्यूटिवों के बीच प्रभावकारी संचार का माध्यम रहा है और इससे सदस्यों को उनके व्यावसायिक ज्ञान की अद्यतन जानकारी दी है। वर्ष के दौरान निम्नांकित चार विशेषांक प्रकाशित हुए :

(क) अप्रैल 1988 में बजट विशेषांक

(ख) जून 1988 में बीमा विशेषांक

(ग) अगस्त 1988 में स्वतंत्रता विशेषांक

(घ) अक्तूबर 1988 में आई.सी.एस.आई. की दो दशकों में प्रगति संबंधी विशेषांक।

9.2 व्यवसाय से सम्बन्धित विशेष अंक : स्वतंत्रता से लेकर अब तक व्यवसाय के विकास और वृद्धि को रिकार्ड करने तथा भारत की स्वतंत्रता की चालीसवीं वर्ष गांठ के उपलक्ष्य में 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' का अगस्त 1988 का अंक प्रकाशित किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के कम्पनी सचिवों के व्यवसाय के विकास और वृद्धि पर विशेष लेख रहे; स्वतंत्रता विशेषांक के रूप में इसका विमोचन टेकनोलोजी मिशनों पर प्रधान मंत्री के तत्कालीन परामर्शदाता श्री सैम पित्रोदा ने किया। समारोह की अध्यक्षता श्री जी.एन. मेहरा, सचिव, सार्वजनिक उद्यम और कम्पनी कार्य विभाग ने की। पुनः 1968 से 1988 तक आई.सी.एस.आई. के 20 वर्षों के उपलक्ष्य में 'चार्टर्ड सेक्रेटरी' का अक्तूबर 1988 का अंक जारी किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट के बारे में दिलचस्प आंकड़ों की जानकारी देते हुए तथा भारत में कम्पनी सचिवों के व्यवसाय पर प्रख्यात व्यक्तियों के महत्त्वपूर्ण विचार और मत देते हुए विशेष लेख रखे गए।

9.3 मार्गदर्शी नोट्स : प्रैक्टिसरत सदस्य अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने निर्णय किया है कि प्रैक्टिस के प्रयोजन के लिए जो विभिन्न मान्यताएं प्राप्त होती है, उनके बारे में मार्गदर्शी नोट्स प्रकाशित किए जाएं। दो मार्गदर्शी नोट्स प्रकाशित हो चुके हैं तथा वर्ष 1989-90 में और अधिक मार्गदर्शी नोट्स जारी करने की योजना है।

9.4 कम्पनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस मैनुअल : इंस्टीट्यूट अभी तक सचिवीय प्रैक्टिस माला के रूप में आठ प्रकाशन जारी कर चुका है। वर्ष 1986 में परिषद् ने एक व्यापक सचिवीय प्रैक्टिस मैनुअल प्रकाशित करने का निर्णय लिया था; इसे तैयार और क्रियान्वित करने की योजना के लिए स्थायी आधार पर सलाहकार ग्रुप स्थापित किया गया है। सलाहकार ग्रुप ने इस परियोजना का पहले ही आरम्भ कर दिया है और प्रस्ताव है कि मैनुअल के प्रथम भाग को पाण्डुलिपि तैयार कर ली जाए जिसे आगामी वर्ष जून 1990 में प्रकाशित किया जाए। सलाहकार ग्रुप सम्बन्धित अनेक प्रकार की सामग्री का विश्लेषण कर रहा है जिसे प्रस्तावित मैनुअल में शामिल करना है।

9.5 मानक सचिवीय प्रैक्टिस के लिए मार्ग निर्देशन : सचिवीय कम्पनी के शेयर विभागों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए विस्तृत ड्राफ्ट मार्ग निर्देशकों को सितम्बर 1989 के 'चार्टर्ड' सेक्रेटरी' अंक में एक 'अनावरण ड्राफ्ट' के रूप में प्रकाशित किया जाएगा जिससे संबंधित व्यक्तियों के मत की जानकारी मिल सके और बाद में सेवारत सदस्यों के मार्ग निर्देशन के लिए इन्हें मार्ग निर्देशों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

9.6 अन्य प्रकाशन : इंस्टीट्यूट ने अब तक इस वर्ष निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं :

1. रजिस्ट्रेशन अंडर ट्रेड मार्क्स लॉ

2. मोनोग्राफ़ आन ट्रेड प्रैक्टिसेज

3. गाइडेंस नोट आन साइनिंग आफ़ एनुअल रिपोर्ट

4. गाइडेंस नोट आन सर्टीफ़िकेशन आफ़ मेनेजेरियल अपाइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन अंडर शिड्यूल टू दि कम्पनीज एक्ट 1956।

5. इन्डेक्स आफ़ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन चार्टर्ड सेक्रेटरी फ्राम 1971 टू 1988

6. डायरेक्टरी आफ़ कम्पनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस।

9.7 आचार संहिता: आशा है आने वाले महीनों में व्यवसाय की प्रैक्टिस सम्बन्धी गतिविधियों में अत्यन्त तीव्र प्रगति होगी अतः इंस्टीट्यूट ने वर्ष 1989-90 में एक पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय किया है जिसमें आचार संहिता से सम्बन्धित सांविधिक नियमों को स्पष्ट किया जाएगा।

10. अनुसंधान योजना: अनुसंधान योजना "प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज रूल्ज एंड डांट्स" पूरी कर ली गई है तथा वर्ष 1989-90 में पुस्तक के रूप में इसके प्रकाशन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सदस्यों के प्रयोग के लिए वार्षिक विवरणी के प्रमाणीकरण पर मार्गदर्शी नोट का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है। लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक नाकारसी सम्बन्धी योजना पर काम बंद करना पड़ा है। चूंकि वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लाभ-हानि लेखा तुलन पत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट होती है और बोर्ड की रिपोर्ट निवेश के सम्बन्ध में मुख्य साधन होती है अतः यह ठीक समझा गया कि एक अनुसंधान अध्ययन किया जाए जिसमें देखा जाए कि मध्य और निम्न आय ग्रुपों के साधारण निवेशकर्ताओं की दृष्टि में रखते हुए वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सामग्री कहां तक बोधगम्य व्यापक और हितकारी है। इस अध्ययन के परिणाम 1989-90 में प्राप्त होने की आशा है। इसके आधार पर सरकार से भी वार्षिक रिपोर्ट के स्वरूप का सरल बनाने और उसमें संशोधन करने की समुचित सिफ़ारिशें की जा सकती हैं।

11. रोजगार अवसरों का संवर्धन:

पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति के लिए 25 लाख रुपए या इससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी की वर्तमान सीमा को बनाए रखने और छोटी कम्पनियों के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा की मान्यता से रोजगार के अवसर और बढ़ गए हैं। क्षेत्रीय परिषदों और इनकी प्रमुख शाखाओं से इंस्टीट्यूट की रोजगार सेवा योजना को पूरक बनाने तथा मजबूत करने का अनुरोध किया गया है। वर्ष के दौरान इंस्टीट्यूट के प्रधान कार्यालय द्वारा बनाई गई रोजगार सेवा योजना के अन्तर्गत रोजगार देने के लिए समुचित सदस्यों की सूची 128 कम्पनियों को दी गई है। अपने सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए और अधिक कैरियर की सम्भावनाओं को बढ़ाने, प्रोत्साहन तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर इंस्टीट्यूट बैंकिंग विभाग, इण्डियन बैंकर्स एसोसिएशन नियंत्रक, और महालेखापाल तथा बीमा निगमों से बातचीत कर रहा है।

12. व्यवसाय की मान्यता:

12.1 प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव:—कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन महत्वपूर्ण मान्यताएं प्राप्त करने के अलावा इंस्टीट्यूट ने अपने सदस्यों के लिए उनकी भूमिका और प्रैक्टिस के क्षेत्रों में विस्तार करने के प्रयास जारी रखे। तदनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को अभ्यावेदन भेजे गए कि कम्पनी सचिवों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के रूप में उपभोक्ता संरक्षण नियमों के अधीन प्रतिनिधित्व करने की स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाए। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन स्थापित की जाने वाली उपभोक्ता संरक्षण सलाहकार परिषदों के गठन में कम्पनी सचिवों को शामिल करने पर विचार किया जाए। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ अपने प्रयास जारी रखे हैं कि प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिवों को कुछेक मान्यताएं प्रदान की जाएं। इस वर्ष के दौरान असम औद्योगिक विकास निगम, गुवाहाटी तथा दिल्ली वित्त निगम से विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करने की मान्यताएं प्राप्त हुई, जिनमें खोज रिपोर्टों सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी शामिल

12.2 बैंक ऋण के लिए मान्यता:—इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ग्रामीण योजना तथा ऋण विभाग तथा जमा बीमा और ऋण गारण्टी निगम प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अधीन व्यावसायिक व्यक्तियों/स्व-नियोजित व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने के लिए प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिवों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं।

12.3 प्राप्त मान्यताओं की सूची:—इस रिपोर्ट की तारीख तक प्रैक्टिस तथा रोजगार के संबंध में कम्पनी सचिवों के लिए जो मान्यताएं प्राप्त हुई हैं, उनका ब्यौरा रिपोर्ट के परिशिष्ट "ङ" के भाग I और II में दिया गया है।

13. सत्रहवां राष्ट्रीय सम्मेलन:—'व्यवसाय की परिवर्तनशील रूप-रेखा और भावी कार्य' विषय पर कम्पनी सचिवों का सत्रहवां राष्ट्रीय सम्मेलन होटल अशोक, बंगलौर में 2 से 4 मार्च 1989 को आयोजित किया गया। सम्मेलन संयोग से पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी समारोह के साथ हुआ, पं. नेहरू आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले एक महान भविष्य द्रष्टा थे। सम्मेलन में लगभग 575 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सम्मेलन का उद्घाटन श्री जी.एन. मेहरा, सचिव, सार्वजनिक उद्यम तथा कम्पनी कार्य विभाग ने किया। श्री सी.एस. सेम्युल, अध्यक्ष ब्रुक बांड इंडिया लि. ने मुख्य भाषण दिया।

14. दस वर्षीय संदर्शी योजना:—पिछले दो दशकों में प्राप्त अनुभवों को देखते हुए तथा यह महसूस करते हुए कि कम्पनी सचिव के व्यवसाय में प्रैक्टिस और रोजगार की संभावनाएं नए क्षितिज को छूने वाली हैं परिषद् ने यह ठीक समझा कि अगले 10 वर्षों के लिए इन्स्टीट्यूट के लिए एक व्यापक संदर्शी योजना बनाई जाए। संदर्शी योजना में आने वाले 10 वर्षों में कार्पोरेट क्षेत्र में इस व्यवसाय की जो भूमिका अदा की जानी है उसकी परिकल्पना रखी जाएगी तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रूपात्मकता और परीक्षण निहित रहेंगे। परिषद् ने एक संदर्शी योजना ग्रुप का गठन किया है, आशा है, यह ग्रुप 1989-90 में इस योजना को प्रलेखबद्ध कर लेगा।

15. सदस्यता उपरांत अर्हता पाठ्यक्रम कार्यान्वयन समिति:

फरवरी 1985 में गठित सदस्यता-उपरांत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन समिति की अंतिम रिपोर्ट परिषद् को 31 दिसम्बर, 1988 को प्रस्तुत की गई, जिसमें चार विधाओं, अर्थात् कर प्रबन्ध, औद्योगिक और कार्मिक प्रबन्ध, निगम विधियां, प्रबन्ध तथा आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबन्ध नियत्रण, के बारे में पाठ्यचर्या निर्धारित की गई है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने रिपोर्ट तैयार करने और अंतिम रूप देने में जो प्रयास किया है, परिषद् इसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करती है। परिषद् ने अब इन चार विधाओं में परीक्षा आरम्भ करने के लिए की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए एक कार्यान्वयन समिति बनाई है।

16. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध:

16.1 कम्पनी सचिवों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन:—मलेशियन एसोसिएशन आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स के निमन्त्रण पर इंस्टीट्यूट के नौ सदस्यों ने 13-9-1988 को 'परिवर्तन और चुनौती पर निगम प्रशासकों को तैयार करना विषय पर कुआलालम्पुर में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया, नौ

सदस्यों में उपाध्यक्ष तथा सचिव-व-कार्यकारी निदेशक शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष ने किया।

16.2 आई.सी.एस.ए. की सिंगापुर एसोसिएशन तथा सिंगापुर कम्पनियों और व्यापार की रजिस्ट्री के साथ बैठक :—सम्मेलन की समाप्ति पर सचिव तथा कार्यकारी निदेशक ने सिंगापुर का दौरा किया और आई.सी.एस.ए. की सिंगापुर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ व्यावसायिक प्रश्नः सम्बन्धी पर विचार विमर्श किया। सिंगापुर के कम्पनियों तथा व्यापार के रजिस्ट्रार के निमंत्रण पर वह उनके कार्यालय में भी गए और उन्होंने वहां कम्पनियों तथा आम जनता के लिए कुशल और तुरन्त सेवाएं प्रदान के करने लिए जो इलेक्ट्रानिक सेवाएं आरम्भ की हैं, उनके बारे में स्वयं व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की।

16.3 भारत में विदेशी आगन्तुक :—मि. एडवर्ड चान, अध्यक्ष और मि. कामिल दा तुक एचजे अब्दुल रहमान, मैक्सा के अवैतनिक कोषाध्यक्ष नई दिल्ली में आई.सी.एस.आई. भवन में 4-11-1988 को पधारे और उन्होंने इंस्टीट्यूट के सचिव तथा अन्य विभागाध्यक्षों के साथ दोनों देशों में व्यवसाय के विकास और वृद्धि पर लाभदायक चर्चा की। 20 फरवरी 1989 को नई दिल्ली स्थित आई.सी.एस.आई. भवन में आस्ट्रेलिया, बंगला देश, मलेशिया, पाकिस्तान, यू.के., यू.एस.ए. से ब्रिटिश प्रोबेशन ग्रुप सचिवों तथा उनके भारतीय ग्रुप सचिवों ने दौरा किया। अध्यक्ष ने इंस्टीट्यूट के इतिहास, विकास और वृद्धि से संबंधित 'आडियो-विजुअल' कार्यक्रम पेश किया। बाद में आगन्तुकों तथा इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों के बीच लाभप्रद पारस्परिक चर्चा हुई।

विद्यार्थियों का पंजीकरण और विद्यार्थी सेवाएं :—

17. विद्यार्थियों का पंजीकरण :—रिपोर्टाधीन वर्ष में इंस्टीट्यूट द्वारा 10,384 विद्यार्थी पंजीकृत किए जब कि पिछले वर्ष 8,319 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए थे। इस वर्ष के अन्त में वर्तमान पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 51,459 थी, जिनमें वे भी शामिल हैं, जिनका पंजीकरण विनियम 21(3) के अन्तर्गत बढ़ाया गया। पंजीकृत विद्यार्थियों की वृद्धि तथा जिन्होंने इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं पूरी कर ली हैं, उनके बारे में एक विवरण परिशिष्ट 'च' में दिया गया है। इंस्टीट्यूट द्वारा सीधे तथा अपनी क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं के माध्यम से, विभिन्न कालिजों में और दूरदर्शन, समाचार-पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर कैरियर परामर्शी कार्यक्रम रखे, जिससे विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना संभव हो सका।

18. पाठ्य विवरण और शिक्षण :

18.1 पुराने पाठ्य विवरणों के अन्तर्गत परीक्षाएं बंद करना :—पुराने पाठ्य विवरण के अधीन अंतिम बार इण्टरमीडिएट परीक्षा जून 1989 में रखी गई। पुराने पाठ्य विवरण के अधीन अन्तिम बार फाइनल परीक्षा दिसम्बर, 1990 में रखी जाएगी।

18.2 पुराने पाठ्य विवरण के लिए अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना :—पुराने पाठ्य विवरण के अधीन फाइनल पाठ्यक्रम के आर्थिक विधान, सचिवीय प्रेक्टिस (अन्य विधियों से संबंधित) और कराधान विषयों से संबंधित अध्ययन सामग्री को संशोधित और अद्यतन कर किया गया है। विधि और प्रक्रिया में विभिन्न संशोधनों तथा हाल के संबंधित न्यायिक निर्णयों का समावेश करके सुझाए गए उत्तरों को अद्यतन कर लिया है। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 में किए गए संशोधनों पर इस दृष्टि से एक व्यापक और सम्पूर्ण नोट तैयार किया गया, जिससे कम्पनी विधि कम्पनी सचिवीय प्रैक्टिस और अन्य सम्बद्ध विषयों की अध्ययन सामग्री को इस प्रकार अद्यतन कर लिया जाए वह पुराने तथा नए दोनों पाठ्य विवरणों के अधीन इंटरमीडिएट तथा फाइनल पाठ्यक्रम के सभी विद्यार्थियों के का आ सके।

18.3 नए पाठ्य विवरण की अध्ययन सामग्री को अद्यतन करना :—इस वर्ष नए पाठ्य विवरण के प्रमुख विषयों की अद्यतन सामग्री का पूरी तरह से संशोधन किया गया। शेष विषयों का संशोधन तथा संशोधित टेस्ट पेपरों के लिए सम्भावित उत्तरों की तैयारी का काम चल रहा है और 1989-90 में पूरा हो जाने की आशा है। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1987 तथा इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं को संशोधित अध्ययन सामग्री में समुचित रूप से समाविष्ट कर लिया है। सामान्यतः अध्ययन सामग्री का स्वागत हुआ है और विद्यार्थियों ने इसे बहुत उपयोगी पाया है।

18.4 अध्ययन सामग्री और सम्भावित उत्तरों का हिंदी अनुवाद :—उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के विद्यार्थियों की पर्याप्त मांग को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन सामग्री और सम्भावित उत्तरों में से कुछ का हिन्दी अनुवाद कराने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

18.5 मार्ग निर्देशी उत्तरों की तैयारी :—विद्यार्थियों के लाभ के लिए पुराने तथा नए पाठ्य विवरण के अधीन जून और दिसम्बर, 1988 को परीक्षाओं के मार्ग दर्शी उत्तरों का प्रकाशन निविदा समय में कर दिया गया।

18.6 शिक्षण :—इस वर्ष पंजीकृत किए गए सभी विद्यार्थियों को डाक द्वारा प्रशिक्षण के लिए दर्ज कर लिया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष में 13,669 'शिक्षण समापन प्रमाणपत्र' जारी किए गए। कुल मिलाकर इस वर्ष 1,13,163 उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हुई, जिनका मूल्यांकन कर विद्यार्थियों को वापस भेजा गया।

18.7 पुस्तकालय सुविधाएं :—इस वर्ष विधि, वित्त और प्रबन्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयों पर प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं के पुस्तकालयों में 1,91,510 रुपए की पुस्तकें और जोड़ी गई। वर्ष 1986 में तैयार की गई पुस्तकालय संबंधी नीति के अनुसरण में ऐसी शाखाओं में जहां कोई पुस्तकालय नहीं है वहां पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए और ऐसी शाखाओं में जहां पुस्तकालय की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, वहां इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पुस्तकालय सहायता योजना नाम से एक योजना बनाई गई है। यह योजना इस दृष्टि से तैयार की गई है कि इस नीति के आरम्भ करने की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर सभी शाखाओं में एक पुस्तकालय हो जाए। इस योजना के अन्तर्गत शाखाओं का लागत का 25 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में देना होता है। इस वर्ष के दौरान जिन 13 शाखाओं ने इस योजना का लाभ उठाया उन्हें लोहे की एक अलमारी तथा नए पाठ्य विवरण के अधीन प्रीलीमिनरी, इण्टरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षा के प्रत्येक विषय की पुस्तकों के दो-दो सैट दिए गए; इस पर प्रत्येक शाखा के लिए, 12,000 रुपए की लागत आने का अनुमान है। प्रस्ताव है कि वर्ष 1989-90 में शेष शाखाओं को ये पुस्तकालय सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि सभी शाखाओं में न्यूनतम पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। दूर-दराज के क्षेत्रों के कालिजों/विश्वविद्यालयों/अन्य संस्थानों के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

18.8 पेपर क्लिपिंग सेवा :—प्रधान कार्यालय के संदर्भ—पुस्तकालय में पेपर क्लिपिंग सेवा तथा पेपर क्लिपिंगों की विषय क्रम से फ़ाइलें रखी गई हैं।

18.9 प्रलेखन केन्द्र :—इस समय हम विभिन्न निर्णयों और अधिसूचनाओं की प्रतियां अपने पाठकों को मामूली कीमत लेकर देते हैं। अब इस सुविधा को और बेहतर बनाने के विचार से एक प्रलेखन सेवा आरम्भ करने का विचार है, जिससे सदस्यों/संगठनों को सूचना 'स्रोत-सामग्री' से प्रदान की जा सके।

18.10 कैरियर परामर्श कार्यक्रम :—विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बढ़ाने तथा विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों में सचिवीय पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूट ने इस वर्ष जोर-शोर से कैरियर परामर्श कार्यक्रम आरम्भ किया है। अध्ययन और विद्यार्थी सेवा निदेशालय को यह कार्य विशिष्ट रूप से सौंपा गया है और बाहर के कुछ क्षेत्रों में कैरियर परामर्श कार्यक्रम रखेगा। कम्पनी सचिवीय पाठ्यक्रम की उपयोगिता को दर्शाते हुए प्रदर्शन सामग्री, चार्ट और पोस्टर तैयार किए गए और समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में इनका उपयोग किया गया। दिसम्बर, 1988 में बम्बई में आयोजित "1990 के दशक" के लिए रखी गई पांच दिन की 'कैरियर और पाठ्यक्रम प्रदर्शनी' में भी भाग लिया। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं ने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में गहरी रुचि ली। वर्ष के दौरान दूरदर्शन द्वारा रखे गए दो कार्यक्रमों का पूरा लाभ उठाया गया, जिनमें इस व्यवसाय के प्रचार और छवि को उभारने तथा कैरियर संबंधी मार्ग-निर्देशन प्रदान करने का प्रयास किया गया।

18.11 विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क :—इस बात के लगातार प्रयास किए गए कि विश्वविद्यालय कार्पोरेट सेक्रेटरीशिप में स्नातक डिग्री या बी.काम डिग्री पाठ्यक्रम में तीन पेपरों की कार्पोरेट सेक्रेटरीशिप में ऐच्छिक विधा के रूप में पाठ्यक्रम आरम्भ करें। कुछ विश्वविद्यालयों में इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

18.12 विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता :—रिपोर्टाधीन वर्ष में शिवाजी विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय से इंस्टीट्यूट की सदस्यता को पी.एच.डी. के अध्ययन के आरम्भ करने के लिए स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त की गई है। अब तक प्राप्त कुल मान्यताओं की सूची इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ङ' (भाग III) में दी गई है।

18.13 विश्वविद्यालयों/कालेजों/अन्य संस्थानों के सहयोग से मौखिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना :—इस संबंध में पिछले वर्ष आरम्भ किए गए प्रयासों को जारी रखा गया तथा निम्नलिखित नए मौखिक शिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए :—

(क) कोचीन में जून 1989 सत्र से चावड़ा अकादमी मौखिक शिक्षण केन्द्र।

(ख) अम्बाला में दिसम्बर, 1989 से एस. ए. जैन कालेज में मौखिक शिक्षण केन्द्र।

18.14 स्टूडेण्ड कम्पनी सेक्रेटरी :—बुलेटिन का प्रकाशन और विद्यार्थियों की प्रेषण समय पर होता रहा। इसकी उपयोगिता को और बढ़ाने के लिए विषयों को और सम्बद्ध बनाने का लगातार प्रयास रहा जिससे यह विद्यार्थियों को नवीनतम सूचना दे सके।

18.15 आडियो/वीडियो टेपों पर लेक्चर :—आडियो टेपों का काम हाथ में ले लिया है। वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ क्षेत्रों के विषयों पर कुछ आडियो लेक्चर तैयार करने का विचार है।

19. परीक्षाएं :—

इस वर्ष इंस्टीट्यूट ने जून और दिसम्बर में सम्पूर्ण भारत में क्रमशः 36 और 37 केन्द्रों में तथा विदेश में एक केन्द्र आबू ढाबी में परीक्षाएं आयोजित कीं। दिसम्बर 1988 से शुरू होने वाले सत्र में उदयपुर में परीक्षा केन्द्र पुनः स्थापित किया गया। पुराने तथा नए पाठ्य विवरणों के अधीन इण्टरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षाएं एक साथ रखी गईं। जून 1988 की परीक्षा में 629 और 426 तथा दिसम्बर 1988 में 605 और 398 परिक्षार्थियों ने क्रमशः इण्टरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। इंस्टीट्यूट की जून 1988 और दिसम्बर 1988 की परीक्षाओं में बैठने और सफल घोषित परीक्षार्थियों की संख्या इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'छ' में दी गई है।

20. अखिल भारतीय पुरस्कार :

20.1 जून 1988 तथा दिसम्बर 1988 में हुई फाइनल परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेजीडेण्ट स्वर्ण मेडल क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्री श्यामक रामायर तथा टी.ए. राम कुमार ने जीते। जून 1988 तथा दिसम्बर 1988 में हुई परीक्षाओं में प्रतिभाशाली प्रदर्शन के लिए प्रेजीडेण्ट के रजत मेडल भी क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्री संजय जे शाह और प्रमोद बजरंग केडिया ने जीते।

20.2 पुरस्कार वितरण :—अखिल भारतीय पुरस्कारों का वितरण 2 मार्च, 1989 को बंगलौर में हुए कम्पनी सचिवों के सतरहवें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि श्री जी.एन. मेहरा, सचिव, सार्वजनिक उद्यम और कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के हाथों से सम्पन्न हुआ।

20.3 पं. नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार :—पं. जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी तथा भारत के चालीसवें स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष में इंस्टीट्यूट ने कुछ और पुरस्कारों की योजना बनाई, जिसमें इण्टरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षाओं में समग्र रूप से सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए केवल महिला परीक्षार्थियों के लिए दो पुरस्कार रखे गए। पहली बार, नवगठित पं. नेहरू जन्म शताब्दी वार्षिक पुरस्कार कलकत्ता के श्री अजय अग्रवाल को राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किया गया।

20.4 क्षेत्रीय परिषदों द्वारा आरम्भ किए गए क्षेत्रीय पुरस्कार उन क्षेत्रों की परिषदों द्वारा आयोजित समारोहों में संबंधित विद्यार्थियों को दिए गए।

21. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता

वर्तमान योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्ति योजना के अनुसार जून 1988 तथा दिसम्बर, 1988 में इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं में योग्य पाए गए दस दस विद्यार्थियों को परीक्षाएं सराहनीय ढंग से उत्तीर्ण करने के लिए छात्रवृत्तियां दी गईं। इसी प्रकार योग्यता-व-वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत इंस्टीट्यूट ने क्रमशः दिसम्बर, 1987 तथा जून 1988 की परीक्षाओं में योग्य पाए गए 2 और 7 परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता मंजूर की।

22. योग्यता (मेरिट) प्रमाण-पत्र

विद्यार्थियों की योग्यता (मेरिट) को मान्यता प्रदान करने तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उन विद्यार्थियों को योग्यता (मेरिट) प्रमाण-पत्र दिए गए जिन्होंने पुराने तथा नए पाठ्य विवरणों के अधीन जून और दिसम्बर 1988 में हुई इण्टरमीडिएट और फ़ाइनल परीक्षाओं में प्रथम दस रैंक प्राप्त किए।

23. परीक्षाओं में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

सभी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रगामी रूप से आरम्भ करने की सरकार की राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट लगातार इस दिशा में प्रयास करता रहा और (पुराने तथा नए पाठ्य विवरणों के अधीन) प्रीलीमिनरी और इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में और (पुराने पाठ्य विवरण के अधीन) फ़ाइनल परिक्षा में हिन्दी के प्रयोग का विकल्प दिया गया।

24. प्रबन्ध/प्रेक्टिकल/प्रशिक्षु, प्रशिक्षण

24.1 पैनल बनाना : रिपोर्टाधीन वर्ष में प्रबन्ध और प्रेक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान कम्पनियों की सूची में क्रमशः 109 और 101 और कम्पनियां जोड़ी गईं। 35 और कम्पनी सचिवों को प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई। अब प्रेक्टिसरत कम्पनियों को पूर्णकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु को कम से कम 500 रुपए प्रतिमास तथा अंशकालिक

प्रशिक्षुता के लिए कम से कम 250 रुपए प्रतिमास स्टाइपेण्ड देना आवश्यक है। जिन कम्पनियों और प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिवों को पैनल पर रखा है, उनकी कुल संख्या तथा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या की स्थिति नीचे दी जा रही है :

मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या			वर्ष में प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या		
31-3-87 को	31-3-88 को	31-3-89 को	31-3-87 को	31-3-88 को	31-3-89 को
प्रबंध प्रशिक्षण 120	262	371	16	74	170
प्रैक्टिकल प्रशिक्षण 580	661	762	326	432	542
प्रेक्टिसरत कम्पनी सचिव 26	32	67	25	40	80

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण देने वाली कम्पनियों की संख्या सर्वाधिक है और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अभी तक सबसे अधिक रही। ऐसी कम्पनियों की संख्या और अधिक बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे, जो हमारे विद्यार्थियों को प्रबन्ध प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हों।

24.2 प्रेक्टिकल/प्रबन्ध प्रशिक्षण को मानीटर करना :

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह समय के साथ मेल खाता रहे, विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को पूरा करे, कम्पनियों के प्रबन्ध में अपेक्षित रूप से सहायक हो और प्रशिक्षण पुराना होकर बेकार न हो जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बात बहुत जरूरी है कि प्रबन्ध/प्रेक्टिकल प्रशिक्षण पा रहे विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षण दे रहे हमारे सदस्यों /कम्पनियों के बीच तालमेल और सम्पर्क बना रहे। अतः प्रयास किया जा रहा है कि सभी महत्वपूर्ण नगरों में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को मानीटर करने के लिए विद्यार्थियों के गाइडों के रूप में हमारे सदस्यों का एक पैनल बनाया जाए। प्रस्ताव है कि प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित प्रत्येक विद्यार्थी के साथ गाइड के रूप में पैनल में से एक सदस्य लगा दिया जाए। प्रशिक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित समय पर बीच बीच में गाइड से मिलता रहे और यदि कोई सन्देह हो तो सामान्य रूप से उनके स्पष्टीकरण तथा व्यावसायिक मामलों पर मार्ग निर्देशन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर उनसे परस्पर बातचीत करता रहे। इसके लिए यथा-समय प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण अधिकारियों की व्यवस्था की जाए।

24.3 सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम : इस वर्ष के दौरान 18 माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए, जिनमें से एक-एक प्रधान कार्यालय द्वारा, चार पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् द्वारा, तीन-तीन उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषदों द्वारा तथा एक-एक पुणे, अहमदाबाद, बंगलौर और जयपुर शाखाओं द्वारा ये कार्यक्रम रखे गए, जिनमें 649 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब तक कुल 36 सचिवीय माड्यूलर कार्यक्रम रखे जा चुके हैं, जिनमें 1385 विद्यार्थियों ने भाग लिया है और सफलतापूर्वक कार्यक्रम को पूरा किया है। मोटे तौर पर विद्यार्थियों ने इन कार्यक्रमों को उपयोगी पाया और व्यवसाय के वरिष्ठ सदस्यों के साथ विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान पर इस कार्यक्रम में बल दिया गया है और प्रेक्टिकल पहलुओं को उद्घाटित करने का उद्देश्य इन कार्यक्रमों से प्राप्त हो सका है।

24.4 प्रशिक्षण प्रणाली और अध्यापन साधन :

सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावकारी बनाने और कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा कार्यक्रम में और अधिक लोग भाग लें, इन बातों को दृष्टि में रखते हुए केस-अध्ययनों, अनुकरणीय अभ्यासों तथा 'रोल प्लेयिंग तकनीकों' के प्रयोग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रव्य/दृश्य साधनों के उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। तदनुसार इंस्टीट्यूट ने कुछ वीडियो फिल्में ली हैं तथा ट्रांसपेरेंसियों के जरिए दृश्य प्रदर्शन की सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिषदों को ओवरहैड प्रोजेक्टर दिए हैं।

25. लेखे और लेखा परीक्षा

लेखों का प्रकाशन

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की उपधारा (5) के अनुसरण में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे तथा इन लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट यहां प्रकाशित की जा रही है तथा परिषद् की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जा रही है।

25.2 आय और व्यय लेखा

इस वर्ष के आय और व्यय लेखे के वित्तीय परिणाम को देखने से पता चलता है कि इस वर्ष 13,41,672 रुपए अधिशेष रहा जबकि पिछले वर्ष 3,71,237 रुपए का घाटा रहा था। इस अधिशेष का मुख्य कारण यह रहा कि विद्यार्थियों के पंजीकरण, सदस्यता शुल्क में संशोधन, प्रकाशनों की बिक्री और चार्टर्ड सेक्रेटरी में अधिक विज्ञापन से अधिक आय हुई तथा सेवाओं पर बिना बुरा प्रभाव डाले खर्च में किफायत की गई। इस प्रकार पिछले वर्ष परिषद् द्वारा की गई समीक्षा के अच्छे परिणाम निकले।

25.3 शुल्क का पूंजीकरण

वर्तमान प्रचलित पद्धति के अनुसार एक्जीसिएट और फैलो सदस्यों से प्राप्त रु. 1,88,100 के प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत कर दिया है। वर्ष के अन्त में पूंजीकृत राशि 20,37,025 रुपए थी।

25.4 रिजर्व और अधिशेष

वर्तमान प्रचलित पद्धति के अनुसार सावधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज की 2,58,669/- रुपए की राशि भवन रिजर्व लेखे में सीधे विनियोजित कर दी गई है। केन्द्रीय कार्यालय के भवन और बड़ौदा शाखा के भवन निर्माण की लागत 20,577 रुपए का पूंजी भुगतान सामान्य रिजर्व खाते में अंतरित कर दिया है। पिछले वर्ष के रु. 22,58,240 की तुलना में भवन रिजर्व की कुल राशि रु. 24,96,332 है।

25.5 सामान्य रिजर्व :

पिछले वर्ष जो सामान्य रिजर्व की कुल राशि 1,42,73,955 रुपए थी यह राशि अब बढ़ कर 1,56,36,204 रुपए हो गई है, इसमें व्यय से अधिक आय की 13,41,672 रु. की अधिशेष राशि और भवन रिजर्व से रु. 20,577 के अन्तरण की राशि जोड़ दी गई है जैसाकि पैरा 25.2 और 25.4 में कहा गया है।

स्थिति का सारांश : वित्तीय स्थिति का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ज' में सूचना के लिए दिया गया है।

26. लेखा परीक्षा :

कम्पनी सचिव अधिनियम, की धारा 18 (4) के अनुसरण में परिषद् ने मैसर्स डी के सेन गुप्ता एंड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, नई दिल्ली को 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा लेखों का विवरण यहां प्रकाशित किया जा रहा है।

27. भूमि और भवन का अतिरिक्त निर्माण :

27.1 उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् का भवन : प्रसाद नगर, करोल बाग, नई दिल्ली में एन.आई.आर.सी. के भवन के लिए भवन का

नक्शा अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिया है और सितम्बर, 1989 तक सिविल ठेकेदारों को नियुक्त कर देने की आशा है और उम्मीद है कि 1989 के उत्तर अर्धांश में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

28. कंपनी सचिव हितकारी निधि: 1976 में परिषद् द्वारा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत की गई कंपनी सचिव हितकारी निधि के अब 31-3-1989 को 783 आजीवन सदस्य और 76 साधारण सदस्य हैं। इस वर्ष निधि के उपनियमों में संशोधन किया गया, जिससे साधारण सदस्यता समाप्त कर दी गई है और आजीवन सदस्यता की राशि सितंबर 1989 से 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। निधि के रिजर्व और अधिशेष की राशि 31 मार्च, 1989 को 4.78 लाख रुपए है। पूर्व प्रचलित पद्धति के अनुसार परिषद् ने इंस्टीट्यूट के पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन की अधिशेष राशि में से 10,000 रुपए निधि में डालने का निर्णय किया है।

कर्मचारी कल्याण

29. इंस्टीट्यूट की परिषद् ने सदैव कर्मचारियों की कल्याण गतिविधियों को प्राथमिकता दी है, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बना रहे और ऊंचा उठे। परिषद् ने गत समय में कर्मचारियों को अपना कर्मचारी क्लब, कर्मचारी सहकारी बचत और उधार समिति, कर्मचारी हितकारी निधि तथा कर्मचारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए प्रेरित किया। 1980 में बनाई गई कोम्पसी को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को परिषद् ने पटपड़गंज (दिल्ली) दिल्ली में आवास यूनिटों के निर्माण के लिए 1.283 एकड़ का प्लाट डी.डी.ए. से खरीदने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी थी। 1988-89 में सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के अलावा परिषद् ने 41 कर्मचारियों को मार्जिनल हाउस बिल्डिंग ऋण के रूप में 7,89,900 रुपए की और वित्तीय सहायता मंजूर की। आशा है कि सोसाइटी लगभग 1.15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली बिल्डिंग का काम दिसंबर 1989 तक पूरा कर लेगी।

30. आभार स्वीकृति

इंस्टीट्यूट द्वितीय निर्वाचित परिषद् के प्रति, जिसने अपना कार्यकाल 31-12-1988 को समाप्त किया है, उसके मूल्यवान योगदान के लिए अपनी गहन सराहना प्रस्तुत करती है। तीन वर्ष का यह कार्यकाल अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और इस दौरान व्यवसाय तथा इंस्टीट्यूट ने व्यवसाय की मान्यता और विकास के क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रोप्राइटरशिप कंपनी सचिवों के संबंध में पर्याप्त प्रगति की है। परिषद् केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों, विशेष रूप से कंपनी कार्य विभाग के प्रति उनके द्वारा संरक्षण, व्यवसाय को मार्गदर्शन प्रदान करने और इंस्टीट्यूट की गतिविधियों में अपना समर्थन देने के लिए आभार प्रगट करती है। क्षेत्रीय परिषदों और शाखाएं अपने क्षेत्र में व्यवसाय के विकास में और विशेष रूप से और अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण के काम में परिषद् को अपनी सहायता देती रहीं। सचिव तथा कार्यकारी निदेशक और उनके सचिवालय की टीम ने नए नियमों के अधीन कुशलतापूर्वक और सुचारु रूप से चुनावों का कार्य बहुत सराहनीय ढंग से किया तथा समीक्षाधीन वर्ष में उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। हम इन सभी के प्रति अपनी सराहना प्रकट करते हैं।

नई दिल्ली; 7 सितम्बर 1989

कृते इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परिषद्
हस्ता/-
श्यामल सेन, अध्यक्ष

परिशिष्ट 'क'

1989 की स्थायी और अस्थायी समितियां

तथा संपादकीय सलाहकार बोर्ड

(1 जनवरी, 1989 को)

1. स्थायी अध्यक्ष

कार्यकारी समिति

1. श्री श्यामल सेन, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री डी. सी. जैन, वाइस-प्रेजीडेंट	सदस्य
श्री वी. के. मजीठिया, (सरकारी नामिती)	सदस्य
श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
श्री ए. एन. नवारे	सदस्य

2. परीक्षा समिति

श्री डी. सी. जैन, वाइस प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री टी. वी. पद्मनाभन (सरकारी नामिती)	सदस्य
श्री एन. जे. एन. बजीफदार	सदस्य

3. अनुशासन समिति

श्री श्यामल जैन, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री वी. पी. गुप्ता, (सरकारी नामिती)	सदस्य
श्री बिपिन एम. आचार्य	सदस्य

2. अस्थायी समितियां

I. प्रशिक्षण तथा शिक्षा सुविधा समिति

श्री डी. सी. जैन, वाइस-प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री ए. एन नवारे	सदस्य
श्री पी. टी. रंगामणि	सदस्य
श्री हरीश के वैद	सदस्य
श्री एन. जे. एन. बजीफदार	सदस्य

II. व्यावसायिक विकास समिति

श्री श्यामल सेन, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री बिपिन एम. आचार्य	सदस्य
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री ओ. पी. दानी	सदस्य
श्री एस. डी. इसरानी	सदस्य
श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
श्री टी. वी. पद्मनाभन	सदस्य
श्री पी. टी. रंगामणि	सदस्य
श्री वी. पी. आर. विट्ठल	सदस्य

3. समन्वय समिति (आई. सी.ए.आई. तथा आई. सी. डब्ल्यू. ए. आई. के साथ समन्वय के लिए)

श्री श्यामल सेन, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री डी. सी. जैन, वाइस प्रेजीडेंट	सदस्य
श्री बी. पी. धनुका	सदस्य
श्री ओ. पी. दानी	सदस्य
श्री ए. एन. नवारे	सदस्य

4 सदस्यता उपरांत अर्हता पाठ्यक्रम कार्यान्वयन समिति

श्री श्यामल सेन, प्रेजीडेंट	अध्यक्ष
श्री एस. डी. इसरानी	सदस्य
श्री टी. वी. पद्मनाभन	सदस्य
श्री डी. के. प्रहलाद राव	सदस्य
श्री हरीश के वैद	सदस्य

III. संदर्श योजना ग्रुप (2000 ईसवी तक की एक संदर्श योजना की तैयारी के लिए)

श्री सी. आर. शाह	अध्यक्ष
श्री बी. एस. डोराइस्वामी	सदस्य
श्री एल. डी. इसरानी	सदस्य
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री पी. पी. मिस्त्री	सदस्य
श्री डी. के प्रहलाद राव	सदस्य
श्री श्यामल सेन	सदस्य
श्री टी. पी. सुब्बारमन	सदस्य

IV. संपादकीय सलाहकार बोर्ड (चार्टर्ड सेक्रेटरी के प्रकाशन के लिए)

श्री श्यामल सेन	अध्यक्ष
श्री दिलीप गोस्वामी	सदस्य
श्री यू. पी. माथुर	सदस्य
श्री टी. एन. पांडे	सदस्य
श्री पॉल जैसेफ	सदस्य
श्री जे. सी. सेठ	सदस्य
श्री हरीश के वैद	सदस्य
श्री टी. पी. सुब्बारमन	संपादक और संयोजक

V. कंपनी सचिवीय प्रेक्टिस मैनुअल के लिए सलाहकार ग्रुप

श्री सी. आर. शाह	अध्यक्ष
श्री डी. पी. धनुका	सदस्य
श्री डी. सी. जैन	सदस्य
श्री आर. रामचन्द्रन	सदस्य
श्री श्यामल सेन	सदस्य

परिशिष्ट 'ख'

क्षेत्रीय परिषदों की वर्ष 1988-89 की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई गतिविधियों का सारांश

पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद

समीक्षाधीन वर्ष में क्षेत्रीय परिषद ने कई लेक्चर, विचार गोष्ठियां और सम्मेलनों का आयोजन किया। 4 जून 1988 को कम्पनी संशोधन अधिनियम 1988 विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की। 'कारा उद्योग भविष्यवाणी, निरोध और निवारण' विषय पर एक विचार गोष्ठी 23 जुलाई 1988 को रखी गई तथा बी. एन सी सी आई के सहयोग से 17 सितंबर, 1988 को 'वार्षिक विवरणों का प्रमाणीकरण' पर एक विचार-विमर्श बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा 'वित्त बिल' और विनिर्माण तथा अन्य कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1989 विषयों पर क्रमश: 2 मार्च, 1989 और 30 मार्च, 1989 को बैठकें आयोजित की गई। "औद्योगिक उद्यमों की वित्त पूर्ति' विषय पर द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन 18 और 19 नवंबर, 1988 को हुआ, जिसका उद्घाटन कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य श्री ए. एम. चक्रवर्ती ने किया। "उत्तरदायी कंपनी सचिव के रूप में' विषय पर दो दिन का विद्यार्थी सम्मेलन 27 और 28 अगस्त, 1988 को आयोजित किया, जिसका उद्घाटन त्रिवेणी टिशूज लि. के तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक डा. एन. सी. चौधरी ने किया। कंपनी विधि दिवस और विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए। कलकत्ता रोइंग क्लब में वार्षिक बैठक और रात्रि भोज का आयोजन 6 अगस्त 1988 और 25 फरवरी, 1989 को हुआ। और विधान के वरिष्ठ भागीदार श्री डी. के. बासु 6-8-88 को मुख्य अतिथि थे जबकि 25-2-1989 को मेटल बाक्स इंडिया लि. के प्रबंध निदेशक श्री विनोद कृष्ण मुख्य अतिथि थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सहयोग से 30 अप्रैल, 1988 को एक कैरियर परामर्शदायी बैठक रखी गई। वर्ष के दौरान सदस्यों के लिए अध्ययन सर्किल बैठकें तथा विद्यार्थियों के मौखिक शिक्षण कक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान मई 1988, अगस्त, 1988 और फरवरी 1989 में तीन सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय परिषद् ने अपने पुस्तकालय को और बेहतर बनाया, रोजगार पाने के इच्छुक सदस्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए रोजगार उप समिति बनाई और उन्हें नौकरियां दिलाई गई। वर्ष के दौरान मासिक समाचार बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा।

क्षेत्र की सभी पांचों शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी और रांची शाखा को वर्ष 1987-88 का क्षेत्रीय सर्वश्रेष्ठ शाखा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् :

क्षेत्रीय परिषद् ने वर्ष के दौरान अनेकों गतिविधियों और कार्यक्रम अपने हाथ में लिए, जिनमें से उदयपुर में 10वीं शाखा का उद्घाटन भी शामिल है। इस परिषद् ने व्यावसायिक रुचि के विषयों पर नौ वार्ताएं रखीं, पुरस्कार वितरण समारोह, अभिनन्दन समारोह, आठ अध्ययन सर्किल बैठकों का आयोजन किया तथा दो सेमिनार—एक नई दिल्ली में 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988' विषय पर तथा दूसरी शिमला में 'सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंध' विषय पर रखी गई। इसने 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम' और 'प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) बिल—प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में, 'विषयों पर 18 और 19 जुलाई 1988 को दो दिन की कार्यशाला का आयोजन किया तथा 5 और 6 नवंबर, 1988 को 'कार्पोरेट वित्त तथा स्टाक एक्सचेंज प्रचालन' पर दो दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन रखा। 26-2-1989 को सदस्यों और विद्यार्थियों की वार्षिक आपसी मेल जोल की बैठक रखी गई।

विद्यार्थियों के लिए तीन सचिवीय डियूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम और 17 कैरियर परामर्शदायी लेक्चर-व-प्रदर्शनियां आयोजित की गई। उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् ने वर्ष में विद्यार्थियों के पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, बल्कि वस्तुत: पंजीकरण लक्ष्य से भी अधिक बढ़ गया।

पुस्तकालय और मौखिक शिक्षण केन्द्रों दोनों में ही और अधिक सुविधाएं प्रदान की गई। पुस्तकों की संख्या बढ़ी तथा पुस्तकालय में और अधिक स्थान बढ़ाया गया। मौखिक शिक्षण कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक रिकार्ड थी और विद्यार्थियों की एक पिकनिक 19-2-1989 को हुई।

सदस्यों और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही रोजगार सेवा योजना चलती रही। 1989 में भवन निर्माण की परियोजना को चालू करने के लिए आवश्यक कार्य किया गया। एन. आई. आर. सी.—आई. सी. एस. आई. मासिक समाचार बुलेटिन नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा और इसमें नए कालम बढ़ाए गए।

क्षेत्रीय परिषद् द्वारा पहले प्रायोजित कंपनी सेक्रेटरी सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने अपनी औपचारिकताएं पूरी कर लीं और डी.डी.ए. से भूमि के आबंटन की प्रतीक्षा है।

एन.आई.आर.सी. के अधीन सभी दस शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी। शाखाओं की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए दिल्ली में 22-1-1989 को शाखा—अध्यक्षों और एन.आई.आर.सी. के अध्यक्ष तथा सदस्यों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। कानपुर शाखा को वर्ष 1987-88 के लिए तीसरी बार उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शाखा घोषित किया गया।

दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद्

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय परिषद् और इसकी घटक शाखाओं ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। क्षेत्रीय परिषद् ने 23 व्यावसायिक विकास कार्यक्रम रखे, इनमें पूरी तरह से एक कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर रखा गया तथा मद्रास स्टाक एक्सचेंज के सहयोग से 'पूंजी बाजार और स्टाक एक्सचेंज प्रचालन' विषय पर एक अद्वितीय कार्यक्रम आयोजित किया।

"औद्योगिक विकास--चुनौतियां और अवसर" विषय पर 2 और 3 सितंबर, 1988 को क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि., मद्रास के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री टी. वी. वेंकटरमन, आई. ए. एस. ने किया।

बड़े पैमाने पर कैरियर परामर्शदायी प्रदर्शनियों और वार्ताएं आयोजित की गई। दो कैरियर परामर्शदायी प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से एक प्रदर्शनी एथीराज कालेज, मद्रास में हुई जो नगर के सभी कालेजों के लिए खुली थी और दूसरी प्रदर्शनी मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इनफार्मेक्स कार्यक्रम प्रदर्शनी थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण नगरों में 15 से अधिक कैरियर परामर्शदायी वार्ताएं रखी गई।

क्षेत्रीय परिषद् ने इंटर और फाइनल परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए मौखिक प्रशिक्षण कक्षाओं के 5 बैच आयोजित किए तथा तीन सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे। भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों का अभिनन्दन करने के लिए विशेष समारोह रखा। जो लेक्चर बैठकें रखी गई उनमें जिन विषयों पर बल दिया गया वे हैं:--एकजीक्यूटिवों के लिए प्रबंध, कंपनियों द्वारा जमा राशियों की स्वीकार्यता, प्रदूषण नियंत्रण विधि, वार्षिक विवरणों प्रमाणीकरण, अनुचित व्यापार रीतियां आदि। पुस्तकालय में और अधिक पुस्तक लाई गई और मासिक समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। रोजगार सेवा योजना के अंतर्गत सम्भावी नियोजकों से प्राप्त मांगों का उत्तर दिया गया। समान्यतया शाखाओं ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट दी।

वर्ष के दौरान एस. आई. आर.सी. की दो और शाखाएं--मंगलौर और पांडिचेरी शाखाएं--जुड़ गई हैं। नीलगिरी शाखा को प्रशासनिक सुविधा के लिए कोयम्बतूर शाखा में मिला दिया है। पांडिचेरी शाखा का उद्घाटन पांडिचेरी के मुख्यमंत्री श्री एम ओएच फारूक मेरीकार ने किया।

वर्ष 1987-88 के लिए क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ शाखा का प्रशस्ति प्रमाणपत्र बंगलौर शाखा को मिला।

पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद्

क्षेत्रीय परिषद् और इसकी घटक शाखाओं ने वर्ष के दौरान कई समूह चर्चाएं, लेक्चर बैठकें, अध्ययन सर्किल बैठकें कार्यशालाएं और ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए। 'कार्पोरेट सेक्टर : अवसर और चुनौतियां' विषय पर बम्बई में 30 सितम्बर, 1988 और 1 अक्तूबर, 1988 को वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन योजित किया गया। 25 मार्च, 1989 को इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य नव निर्वाचित सदस्यों का अभिनन्दन करने के लिए एक का क्रम रखा गया, समारोह के बाद रात्रि भोज भी रखा गया।

सिडनाम कालेज ऑफ कामर्स एंड एकानिमिक्स, चर्च गेट तथा एन एम कालेज ऑफ कामर्स एंड एकनामिक्स, विले पार्ले के सहयोग से मौखिक शिक्षण की नियमित कक्षाएं चलती रहीं। इंस्टीट्यूट की इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले पश्चिमी क्षेत्र के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इंस्टीट्यूट की फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी के लिए चार सचिवीय माड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे गए। क्षेत्रीय परिषद् के 'फोकस' समाचार बुलेटिन को जुलाई, 1988 से मासिक बना दिया गया है। पुस्तकालय में और कई पुस्तकें जोड़ी गई। क्षेत्रीय परिषद् की रोजगार सेवा योजना का और अधिक सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने लाभ उठाया।

आठ शाखाओं में से अहमदाबाद शाखा को लगातार तीसरी बार पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शाखा घोषित किया गया तथा अखिल भारतीय आधार पर राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शाखा भी चुना गया तथा इसे वार्षिक चल शील्ड प्राप्त हुई। क्षेत्रीय परिषद् ने बड़ौदा शाखा को पश्चिमी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सहभागी घोषित किया।

क्षेत्रीय परिषदों की वित्तीय स्थिति और

विद्यार्थियों तथा सदस्यों की संख्या

31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष की चार क्षेत्रीय परिषदों की रिपोर्टों के अनुसार तुलनात्मक वित्तीय स्थिति तथा विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या इस प्रकार है।

	क्षेत्रीय परिषदें			
	पूर्वी भारत	उत्तरी भारत	दक्षिणी भारत	पश्चिमी भारत
	क्षे.प.	क्षे.प.	क्षे.प.	क्षे.प.
(क) वित्तीय स्थिति (रुपयों में) वर्ष 31-3-1989 के अंत में	1,67,509	94,891	1,09,674	28,584
31-3-1989 को रिजर्व और अधिशेष	4,60,059	7,36,454	6,54,597	2,72,405
(ख) विद्यार्थियों और सदस्यों की संख्या				
31-3-1988 को विद्यार्थी	8,728	14,634	13,860	13,037
31-3-1989 को विद्यार्थी	9,191	15,086	14,038	13,079
31-3-1989 को सदस्य	981	1,466	1,625	2,263
31-3-1988 को सदस्य	1,015	1,564	1,686	2,404

परिशिष्ट 'ग'—

सदस्यों में वृद्धि

	वर्ष	कुल संख्या			पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक वृद्धि	
		एसोसिएट सदस्य	फेलो सदस्य	कुल (2+3)	सकल	प्रतिशत
	1	2	3	4	5	6
क	1983-84	3993 (80.73)	953 (19.27)	4946 (100)	498	11.20
	1984-85	4264 (81.19)	988 (18.81)	5252 (100)	306	6.19
	1985-86	4405 (78.59)	1200 (21.41)	5605 (100)	353	6.72
	1986-87	4648 (78.25)	1292 (21.75)	5940 (100)	335	5.98
	1987-88	4947 (78.09)	1388 (21.91)	6335 (100)	395	6.65
	1988-89	5179 (77.66)	1490 (22.34)	669 (100)	334	5.27
ख	1983-84 से 1988-89 तक सकल परिवर्तन					
		1186 (68.83)	537 (31.17)	1723 (100)		
ग	1983-84 से 1988-89 तक प्रतिशत परिवर्तन					
		29.70	56.34	34.83		
घ	औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत					
		5.94	11.27	6.96		
ङ	संयोजित वार्षिक दर प्रतिशत					
		5.34	9.34	6.16		

टिप्पणी :—कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं ।

रजिस्टर में निकाले गए			कुल सदस्यों में से निकाले गए सदस्यों का प्रतिशत	प्रेक्टिस प्रमाण पत्र धारकों की संख्या	कुल सदस्यों में से प्रेक्टिस प्रमाण पत्र धारकों का प्रतिशत
भुगतान न करने के कारण	मृत्यु के कारण	कुल (7—8)			
7	8	9	10	11	12
52 (81.25)	12 (18.75)	64 (100)	1.29	556	11.24
83 (88.29)	11 (11.71)	94 (100)	1.79	672	12.80
98 (92.45)	8 (7.55)	106 (100)	1.89	749	13.36
68 (82.92)	14 (17.08)	82 (100)	1.38	879	14.80
76 (86.36)	12 (13.64)	88 (100)	1.39	1065	16.81
196 (92.02)	17 (7.98)	213 (100)	3.19	1192	17.87
144 (96.64)	5(3.36)	149 (100)			
276.92	41.66	232.81			
55.38	8.33	46.56			
30.40	7.22	27.20			

प्रेक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों में वृद्धि

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान नवीकरण	वर्ष के दौरान रद्द	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि	31 मार्च को कुल प्रेक्टिस प्रमाण पत्रधारी सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1983-84	136	420	30	106	556
1984-85	160	512	44	116	672
1985-86	145	604	68	77	749
1986-87	185	694	55	130	879
1987-88	247	818	61	186	1065
1988-89	268	934	131	127	1192
सकल परिवर्तन 1983-84 से 1988-89					636
ग प्रतिशत परिवर्तन 1983-84 से 1988-89 तक					114.38
घ औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)					22.87
ङ संयोजित वार्षिक दर (प्रतिशत)					16.50

परिशिष्ट 'ब'

वर्ष 1988-89 में आयोजित

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की सूची

1. उत्पाद-शुल्क विधि और क्रियाविधि तथा कम्पनी विधि बोर्ड (पीठ) नियम, 1975 पर ओरिएण्टेशन कार्यक्रम नई दिल्ली में 28 मार्च से 5 अप्रैल, 1988 तक ।

2. 'नियमित वित्त और विधि' विषय पर आई.सी.एस.आई.-आई.सी.ए.आई. का संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम—बंगलौर में 11 व 12 जून, 1988 को ।

3. 'प्रतिबन्धात्मक और भ्रष्ट व्यापार रीतियों' पर राष्ट्रीय सेमिनार—नई दिल्ली में 6-7 अगस्त, 1988 को ।

4. सरकारी कम्पनियों में सचिवीय और विधि प्रबन्ध' विषय पर आई.सी.एस.आई. और बी.पी.ई. का संयुक्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम—नई दिल्ली में 16-17 सितम्बर, 1988 को ।

5. 'व्यवसाय तथा भावी कार्यों की परिवर्तनशील रूपरेखा' पर 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन-बंगलौर में 2 से 4 मार्च 1989 तक ।

परिशिष्ट 'ङ'

भाग–1

प्रैक्टिस में कार्यरत कम्पनी सचिव के लिए मान्यताएं

(जून 1989 तक)

क्र. सं.	सांविधि/प्राधिकार	प्रयोजन	मान्यता कब मिली
1	2	3	4
1.	कम्पनी अधिनियम 1956 (1988 में यथा संशोधन)	(i) पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत 'सचिव' की परिभाषा में उसे लिया गया है, जो इंस्टीट्यूट का प्रेक्टिसरत सदस्य है, न कि जो पूर्णकालिक नौकरी में है [धारा 2 (45क)]	
		(ii) किसी कम्पनी के पंजीकरण के लिए कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए फार्म 1 में सांविधिक घोषणाओं के लिए [धारा 33(2)][1]	
		(iii) नया व्यापार आरम्भ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी अनुपालन के फार्म 19 में सत्यापित, घोषणाओं के लिए (धारा 149)[1]	
		(iv) सूचीबद्ध कम्पनियों की वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर के लिए (धारा 161) 1	
		(v) यह प्रमाणित करने के लिए कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना जिन प्रबन्ध कार्मिकों को नियुक्त किया गया है और उन्हें जो प्रबन्ध-पारिश्रमिक दिया गया है, इसमें अनुसूची XIII की आवश्यकताओं के अनुसार सांविधिक मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखा गया है (धारा 269 (2) और अनुसूची XIII) 1	मई 1988 15-6-1988 से
2.	कम्पनी अप्रदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरण) नियम, 1978-धारा 205 क(6) और नियम 4(1)	यह प्रमाणित करना कि धारा 205 क की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत विशेष खाते के अन्तर्गत अन्तरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि में जिस राशि का भुगतान हुआ है या जिस राशि का दावा नहीं हुआ है, वह सारी राशि केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अन्तरित कर दी गई है ।	मार्च 1988
3.	कम्पनी विधि बोर्ड पीठ नियमावली 1975[2] (नियम 28)	कम्पनी विधि बोर्ड पीठिकाओं के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य	दिसम्बर 1975
4.	धन-कर नियमावली 1957[2] [नियम (8क(7)]	स्टाक-शेयर, डिबेंचर इत्यादि के मूल्यांकनक के रूप में पंजीकरण के लिए मान्यता	अक्तूबर 1974
5.	आयकर अधिनियम 1961[3] और आयकर नियमावली 1962[2] [धारा 288(2) और नियम 49 और 50)][3]	आयकर अधिकारियों के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य के लिए	जुलाई 1979
6.	एम.आर.टी.पी. आयोग विनियमावली 1974[2] (विनियम 65 की उपबंध)	एम. आर. टी. पी. आयोग के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए	मई 1982

1. इन प्रयोजनों के लिए केवल पूर्णकालिक प्रेक्टिसरत सचिव को ही मान्यता प्राप्त है ।

2. किसी कम्पनी का सचिव भी इस प्रकार के काम को हाथ में ले सकता है ।

3. आयकर अधिनियम की धारा 288(2)(v) के अंतर्गत केवल वे लोग जिन्होंने आयकर नियमावली के नियम 50 के अधीन मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वही प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं । नियम 50 में साथ ही कम्पनी सचिव (जी.डी सी.एस) के सरकारी डिप्लोमाधारी/इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इण्डिया की फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण लोग शामिल हैं ।

1	2	3	4
7.	(i) प्रतिभूति संविदा (विनियम) 1956 तथा प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली 1957 (गाईड लाईन सं. एफ 1/8/एस. ई. 82 दिनांक 20-8-1982)	स्टाक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन के आधार पर प्रमाण पत्र के लिए कि कम्पनी ने आबंटन किया है।	अगस्त 1982
	(ii) प्रेस नोट सं. 14(2) एस.ई -85 दिनांक 15-10-1985	ऐसी कम्पनियों के संबंध में, जो पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947 पूंजी निर्गम (छूट) आदेश, 1969 के अंतर्गत पूंजी उगाहते हैं, इस बात का प्रमाण पत्र देने के लिए कि प्रोमोटरों के कोटे के शेयरों में से शेयरों पर यह मोहर लगा दी गई है कि शेयरों के आबंटन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक ये शेयर बेचे/हस्तांतरित/गिरवी नहीं किए/रखे जाएंगे ।	अक्तूबर 1985
	(iii) (क) अहमदाबाद शेयर एण्ड स्टाक ब्रोकर एसोसिएशन (ख) उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कानपुर	स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों की लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, जैसा कि गाईड लाईन एफ. सं. 1/4/एस.ई. 83 दिनांक 29 जनवरी 1983 के अनुसार आवश्यक है ।	मार्च 1984 अप्रैल 1984
8.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 (धारा 35 क्यू और नियम 232 (ख)		
9.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और सीमा शुल्क (अपील) नियमावली 1982 (धारा 146 क और नियम 9)	सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय अधिकरण के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए	अक्तूबर 1982
10.	स्वर्ण (नियंत्र) अधिनियम, 1968 तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील नियमावली 1982 (धारा 101 क और नियम 9)		
11.	व्यापार और पण्य-चिह्न नियमावली 1959 (नियम 148)	व्यापार चिह्न एजेण्ट के रूप में पंजीकृत कराने के लिए	अप्रैल 1985
12.	आयात और निर्यात नीति 1988-91 (खंड-1)		
	(i) नीति का पैरा 213(1) और प्रक्रिया का पैरा 340 (1) परिशिष्ट XVIII-ए	(i) निर्यात निष्पादन प्रमाणीकरण जो पंजीकृत निर्यातकर्ता निर्यात-गृह द्वारा आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को निर्यात गृह/व्यापार गृह प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत करना होता है।	अप्रैल 1982
	(ii) नीति का पैरा 75(1) और प्रक्रिया का पैरा 249(4)	(ii) वास्तविक उपभोक्ताओं (औद्योगिक) के लिए बिक्री बाद सेवाओं के लिए अतिरिक्त कल-पुर्जे आयात करने के लिए आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के वास्ते अपेक्षित वार्षिक उत्पाद की पात्रता के संबंध में प्रमाणीकरण	अप्रैल 1984
	(iii) नीति का पैरा 78(4) और (5)	(iii) काम पर कर रहे वाहन-समूह के सभी विवरणों का प्रमाणीकरण और ऐसे सभी संबद्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए जो (क) उस वाहन समूह के स्वामी को चाहिए जिसके पास कम से कम ऐसे 25 मोटर वाहन हों जिनके लिए सीमित कल-पुर्जे आयात करने आवश्यक होते हैं ; तथा (ख) राज्य परिवहन उपक्रमों को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए।	अप्रैल 1984
	(iv) नीति का पैरा 51(2)	(iv) उपभोग की विवरणी का प्रमाणीकरण जो ऐसे पात्रता प्राप्त वास्तविक उपभोक्ता को चाहिए, जो अपने वास्तविक उपभोग बीमा भाड़ा मूल्य के 25 प्रतिशत मूल्य तक की ऐसी मदें सीधी आयात कर सकते हैं, जिन्हें खुले सामान्य लाइसेंस से हटाकर इस नीति में अथवा बाद में किसी समय सूची में रखा गया है ।	अप्रैल 1984
	(v) नीति का पैरा 157 (2)	(v) पात्रता प्राप्त शस्त्रास्त्र व्यापारियों के हथियारों की वर्ष वार कुल बिक्री का प्रमाणीकरण, जो निर्दिष्ट प्रकार के हथियारों के आयात के लिए चाहिएं ।	अप्रैल 1984
	(vi) नीति का पैरा 105 (1)	(vi) संबद्ध दुकान तथा स्थापना संविधि के अधीन वैध पंजीकरण पत्र रखने वाले व्यक्तियों की पुस्तकों की कुल खरीद से संबंधित प्रमाणीकरण जो खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयात की जाने वाली पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के आयात के लिए चाहिए ।	अप्रैल 1984

1	2	3	4
आयात निर्यात प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका 1988-91			
(vii)	परिशिष्ट V-ए भाग-II	(vii) वास्तविक उपभोक्ता और सरकारी उपक्रमों द्वारा कच्चा माल/हिस्से-पुर्जे/उपभोज्य सामग्री और अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए प्रारम्भिक/पूरक लाइसेंस के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला उपयोग प्रमाण ।	अप्रैल 1985
(viii)	परिशिष्ट XV-एच और प्रक्रिया का पैरा 340 (1)	(viii) निर्यात-आयुक्त की निर्यातमूल्य यूनिट द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित निर्यात निष्पादन का प्रमाणीकरण, जो निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए ।	अप्रैल 1982
(ix)	परिशिष्ट XV-ई	(ix) सम्भागिता के अधीन निर्यात विवरणों का प्रमाणीकरण, जो विदेशों में संयुक्त उद्योगों में भारतीय सम्भागिता के लिए मशीनों और उपकरणों के निर्यात के लिए आर. ई. पी. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चाहिए ।	अप्रैल 1985
(x)	परिशिष्ट XVIII-बी	(x) निवल विदेशी मुद्रा प्राप्ति संबंधी प्रमाणीकरण जो निर्यात/व्यापार गृह को अतिरिक्त अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए चाहिए ।	अप्रैल 1985
(xi)	परिशिष्ट V ए भाग I और प्रक्रिया, का पैरा 232(2)	(xi) आयात निर्यात नीति 1988-91 के परिशिष्ट 2-ख और 3-क में दी गई लोह और इस्पात के अलावा अन्य मदों तथा परिशिष्ट 2-ख और 3-ख में लोह और इस्पात की मदों के आयात के बारे में आवश्यकता, उपभोग, स्टाक आदि का विवरण का प्रमाणीकरण	मई 1986
II संस्थान :			
13. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान निम्नलिखित के संबंध में प्रमाणीकरण के लिए :			
(i)	भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक	(क) करार करने संबंधी कम्पनी और उसके निदेशकों की आवश्यक शक्तियां	जुलाई 1981
(ii)	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(1)(घ) के अधीन शासी कम्पनी ऋण लेने की समीक्षा, जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तव में लिए गए ऋणों के ब्यौरे शामिल हैं।	
(iii)	भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि.	(ग) कम्पनी के सदस्यों की सूची	जुलाई 1983
(iv)	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	(घ) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अधीन प्रस्तावित ऋण लेने की छूट से संबंधित प्रमाण पत्र	
(v)	भारतीय जीवन बीमा निगम	(ङ) कम्पनी बैठकों में पास किए गए संकल्पों की प्रतियां वित्तीय संस्थानों को देना।	
(vi)	भारतीय सामान्य बीमा निगम		
(vii)	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	—वही—(क) से (ङ) तक	जनवरी 1986
III उच्च न्यायालय :			
14	कलकत्ता उच्च न्यायालय पत्र सं. कौर, 424 दिनांक 9-2 1983	रिसीवरों, माध्यस्थों, ट्रस्टियों और विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रैक्टिस में कार्यरत कम्पनी सचिवों की नामिका का परिवर्तन	फरवरी 1983
IV बैंक :			
15	इंडियन बैंक एसोसिएशन (परिपत्र एस.ओ. 69-73-III-सी-82/9565 दिनांक 15-4-83 और परिपत्र सं. एस. ओ./69-73-सी-86/4763 दिनांक 16-6-1986	बैंकों के लिए वस्तुस्थिति खोज रिपोर्ट	अप्रैल 1983
राज्य स्तरीय एजेंसियां			
16 राज्य वित्तीय/औद्योगिक/निवेश/विकास निगम :			
(i)	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला	(क) कम्पनी और इसके निदेशकों की करार संबंधी आवश्यक शक्तियां	जुलाई 1982
		(ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1)(घ) के अधीन कम्पनी द्वारा ऋण लेने की सीमा जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तविक ऋणों के ब्यौरे भी शामिल हैं।	

1	2	3	4
	(ii) पश्चिमी बंगाल वित्तीय निगम[4] कलकत्ता	–वही–	अगस्त 1982
	(iii) महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम, बम्बई	–वही–	अप्रैल 1984
	(iv) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कानपुर	–वही–	दिसम्बर 1985
	(v) असम औद्योगिक विकास निगम लि., गौहाटी[4]	–वही– (क) कम्पनी और इसके निदेशकों की करार संबंधी आवश्यक शक्तियां (ख) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1) के अधीन कम्पनी द्वारा ऋण लेने की सीमा जिसमें प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी तथा वास्तविक ऋणों के ब्यौरे भी शामिल हैं। (ग) कम्पनी के सदस्यों की सूची (घ) पूंजी निर्गम (छूट) आदेश 1969 के अन्तर्गत प्रस्तावित ऋण का छूट का प्रमाण पत्र (ङ) वित्तीय संस्थानों को पेश की जाने वाली कम्पनी बैठकों में पारित संकल्पों की प्रतियां	मार्च 1982 अक्तूबर 1988
	(vi) गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि. [4] अहमदाबाद	–वही–	अक्तूबर 1982 अगस्त 1986
	(vii) नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लि., दीमापुर	–वही–	सितम्बर, 1983
	(viii) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर	–वही–	सितम्बर, 1983
	(ix) तमिलनाडु राज्य औद्योगिक उन्नति निगम लि., [4] मद्रास	–वही–	अक्तूबर, 1983
	(x) तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि. [4] मद्रास	–वही–	नवम्बर, 1983
	(xi) कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम लि., बंगलौर	–वही–	जुलाई, 1982 फ़रवरी 1986
	(xii) उत्तर प्रदेश का प्रदेशीय औद्योगिक और विकास निगम लि., लखनऊ	–वही–	मार्च, 1986
	(xiii) आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, हैदराबाद	–वही–	जून, 1982 मार्च, 1986
	(xiv) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., चंडीगढ़	–वही–	मार्च, 1986
	(xv) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि.' बम्बई	–वही–	जुलाई, 1982 मार्च, 1986
	(xvi) हरियाणा वित्त निगम, चंडीगढ़[4]	–वही–	सितम्बर, 1982 अप्रैल, 1986 तथा मई 1988
	(xvii) पंजाब वित्त निगम, चंडीगढ़	–वही–	मई, 1986
	(xviii) आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि., हैदराबाद	–वही–	मई, 1982 जून, 1986
	(xix) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि., जयपुर [4]	–वही–	अगस्त 1986
	(xx) औद्योगिक उन्नति और निवेश निगम उड़ीसा लि० [4] भुवनेश्वर	–वही–	सितम्बर, 1982 अगस्त, 1986
	(xxi) गुजरात राज्य वित्तीय निगम लि., [4] अहमदाबाद	–वही– (क) से (ङ)	अप्रैल, 1982 सितम्बर, 1986
	(xxii) दि जोरम औद्योगिक विकास निगम लि., [4] मिजोरम	–वही–	मार्च, 1987
	(xxiii) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., [4] त्रिवेन्द्रम	–वही–	अगस्त, 1986 जून, 1987
	(xxiv) राजस्थान वित्त निगम [4] जयपुर	–वही–	सितम्बर, 1983 जुलाई, 1987
	(xxv) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम, [4] कलकत्ता	–वही–	जुलाई, 1987

[4] इसके अलावा कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा रखे गए रिकार्ड से खोज रिकार्ड से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।

1	2	3	4
	(xxvi) बिहार राज्य वित्तीय निगम 4 पटना	–वही–	जनवरी, 1988
	(xxvii) दिल्ली राज्य वित्तीय निगम, नई दिल्ली 4	–वही–	जून, 1988
VI	सरकारी विभाग		
17.	कृषि और सहकारी विभाग, कृषि मंत्रालय	कृषि और सहकारी विभाग द्वारा अपनी संशोधित नीति, 1986 के अन्तर्गत जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रैक्टिसरत कम्पनी सेक्रेटरी, जो किसी कम्पनी का कर्मचारी नहीं है, उसे विदेश मत्स्य पोत को किराए पर लेने वाली कम्पनी के कुछ निर्धारित ब्यौरों के बारे में प्रमाण पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की गई है।	जुलाई, 1987

परिशिष्ट 'क'

भाग–II

रोजगार में कम्पनी सचिव के लिए मान्यताओं की सूची

क्र.सं.	संविधि/प्राधिकार	प्रयोजन	मान्यता कब मिली
1	2	3	4
1.	शिक्षा मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ पदों और सेवाओं में नियुक्ति।	फरवरी 1968 दिसम्बर, 1971 और जुलाई 1981
2.	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 383क	जिन कम्पनियों की प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 25 लाख या उससे अधिक है उन कम्पनियों में पूर्ण-कालिक सचिव के लिए।	फरवरी, 1975
3.	कम्पनी अधिनियम की धारा 2(45) तथा कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) नियम 1975	सचिव की परिभाषा में संशोधन किया गया, जिसके अन्तर्गत इंस्टीट्यूट की सदस्यता अर्हता रखी गई तथा यह प्रावधान किया कि सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्यों में जिसमें कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य तथा अन्य कोई लिपिकीय या प्रशासनिक कार्य शामिल है।	फरवरी, 1975
4.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वरिष्ठ पदों के लिए	सितम्बर, 1981
5.	केन्द्रीय सरकार (कम्पनी कार्य विभाग)	केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा की लेखा शाखा में ग्रेड 1 से 4 तक की भर्ती में अनिवार्य अर्हता।	नवम्बर, 1982
6	गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में भारतीय विशेषज्ञों को भेजे जाने के लिए कम्पनी सचिवों की तालिका बनाना।	मार्च, 1984
7.	गुजरात सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र सं. आर.डी.डी./1077-1120 के, दिनांक 16-1-78 और पत्र सं. आर.डी.डी.-1081-1781 के दिनांक 23-6-81	केन्द्रीय अथवा राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित और किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री/डिप्लोमा राज्य सरकार के पद सेवाओं पर भर्ती के लिए स्वतः मान्यता प्राप्त है।	जनवरी, 1978 जून, 1981
8.	तमिलनाडु सरकार, कार्मिक और प्रशासन सुधार (कार्मिक आर) विभाग, आदेश सं. जी.ओ.एन. सं. 148 दिनांक 7-3-88	राज्य सरकार सेवा के ऐसे संबंधित विभागों में जहां व्यापार, वाणिज्य, वित्त, वाणिज्यिक करों और उद्योग संबंधी विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है, वहां राज्य सरकार सेवा की ग्रुप 'ए' की नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए कम्पनी सेक्रेटरी की अर्हता को एक अर्हता मान लिया गया है।	मार्च, 1988
9.	केरल सरकार, योजना तथा आर्थिक कार्य (बी.पी.ई. विभाग) त्रिवेन्द्रम, आदेश सं. 10180 बी.पी.ई.-2-89 प्लानिंग दिनांक 29 5-89	केरल में राज्य सरकार के उद्यमों में वित्त नियंत्रकों के पदों की भर्ती के लिए ए.सी. ए./ए.आई.सीडब्ल्यू.ए. की अर्हताओं के अलावा ए.सी.एस. अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।	मई, 1989

परिशिष्ट 'ङ' (भाग-3)

वर्ष 1988-89 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों में पी.एच.डी. प्राप्त करने के लिए मान्यताओं की सूची

क्रम सं.	विश्वविद्यालय का नाम	संदर्भ	संकाय
1	2	3	4
1.	बंगलौर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सिटी कैम्पस, बंगलौर-560001	काम./17663/85-86 दिनांक 3-4-1986	वाणिज्य
2.	कोचीन साइंस तथा टैक्नोलोजी विश्वविद्यालय, कोचीन।	ए.सो.ए. 3/10705/85 दिनांक 25-3-1986	वाणिज्य और सम्बद्ध विषय
3.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	ज.न./रिकाग/8130 दिनांक 23-4-1987	वाणिज्य
4.	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	सं. एकेड सी. 3/2034/85 (रिकागनीशन) दिनांक 7-8-1985	वाणिज्य/समाज विज्ञान
5.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	सं. ए.जी.-3/2181/2375 दिनांक 28-2-1981	वाणिज्य और सम्बद्ध विषय
6.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	सं. एम.यू./ए.सी.सी./पी.एच.डी./22/84-85 (ए-5) दिनांक 31-7-1985	वाणिज्य और सम्बद्ध विषय
7.	मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ		वाणिज्य
8.	मैसूर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कार्य सौध, 'क्रॉफोर्ड हाल', मैसूर-5	आर 2/917/84-85 दिनांक 12-12-1985	वाणिज्य
9.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर।	एकजाम/रिकाग/5591 दिनांक 21-9-83	वाणिज्य
10.	पूना विश्वविद्यालय, गणेशखण्ड, पूना-411007	इ.एल.जी./4251 दिनांक 16/19-6-1981	वाणिज्य/विधि/प्रबन्ध
11.	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-160014	सं. 4416/ओ एम दिनांक 31-3-1983	व्यापार प्रबन्ध तथा वाणिज्य
12.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पो.बा.नं. 10, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात-388120	डी.ए. 14/1/8209 दिनांक 26-12-1980	वाणिज्य
13.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कैम्पस, उढाना, मगडाला रोड, सूरत-395007।	सं. ए/इ एल.आई./17388 दिनांक 18/23-2-1981	मुक्त मान्यता
14.	शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्या नगर, कोल्हापुर-416004	एस यू/इ सेजी./जे.एम.पी./3644 दिनांक 21-12-1988	वाणिज्य
15.	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई-400032	सं. के एल/सी 121/1989 दिनांक 9-1-1989	वाणिज्य
16.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति-517502	जी के (6) 25959 पी एच डी/79 दिनांक 20-2-1980	सभी विषय

परिशिष्ट 'च'

विद्यार्थियों की वृद्धि

पंजीकृत विद्यार्थियों तथा इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने वाले विद्यार्थियों व प्रशिक्षण दे रही कंपनियों की संख्या के संबंध में विवरण 1983-84 से 1988-89 तक।

वर्ष	पंजीकृत विद्यार्थी (वर्तमान)	वर्तमान उत्तीर्ण विद्यार्थी		व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त कम्पनियों की सं.
		इण्टर	फाइनल	
1983-84	50097	1296	636	430
1984-85	50010	1116	484	480
1985-86	51670	1275	420	514
1986-87	51020	1681	510	580
1987-88	50519	1394	646	661
1988-89	51459	1234	824	762

सकल परिवर्तन (1983-84 से 1988-89 तक) 1362

प्रतिशत परिवर्तन (1983-84 से 1988-89 तक) 2.72

औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) 0.54

संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत) 0.54

परिशिष्ट 'छ'

जून और दिसम्बर 1988 में आयोजित परीक्षाओं में बैठने तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या की सारणी।

जून 1988 का सत्र

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतता
प्रारम्भिक (प्रीलिमीनरी)	50	12	24.00
इण्टरमीडिएट (पुराना पाठ्यक्रम) *			
ग्रुप-1	1882	435	23.11
ग्रुप-2	1775	364	20.51
इण्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम)**			
ग्रुप- 1	1192	253	21.22
ग्रुप 2	1732	463	26.73
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)			
ग्रुप-1	1014	509	50.19
ग्रुप-2	1423	444	31.20
ग्रुप-3	1583	415	26.22
फाइनल (नया पाठ्यक्रम) @@			
ग्रुप-1	87	36	41.38
ग्रुप-2	51	24	47.06
ग्रुप-3	84	23	27.38

दिसम्बर 1988 का सत्र 2

परीक्षा	बैठे	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशतता
प्रारम्भिक (प्रीलिमिनरी)	82	8	9.76
इण्टरमीडिएट (पुराना पाठ्यक्रम)†			
ग्रुप-1	1475	262	17.76
ग्रुप-2	1467	388	26.45
इण्टरमीडिएट (नया पाठ्यक्रम)††			
ग्रुप-1	1512	287	18.98
ग्रुप-2	2098	561	26.74
फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम)†††			
ग्रुप-1	900	265	29.44
ग्रुप-2	1389	410	29.52
ग्रुप-3	1563	360	23.03
फाइनल (नया पाठ्यक्रम)††††			
ग्रुप-1	202	111	54.95
ग्रुप-2	120	49	40.83
ग्रुप-3	211	99	46.92

*दोनों ग्रुपों में 619 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 60 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (9.69%))

**दोनों ग्रुपों में 230 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनो ग्रुपों में 50 ने परीक्षा उत्तीर्ण की (21.74%)।

@तीनों ग्रुपों मे 120 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से तीनों ग्रुपों में 19 ने परीक्षा पास की (15.83%)

तीनों ग्रुपों में 9 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से तीनों ग्रुपों में 4 ने परीक्षा पास की (44.44%)।

*दोनों ग्रुपों में 536 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 57 ने परीक्षा पास की (10.63%)

**दोनों ग्रुपों में 348 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से दोनों ग्रुपों में 67 ने परीक्षा पास की (19.25%)

†††तीनों ग्रुपो में 142 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से 8 ने परीक्षा पास की (05.63%)

††††तीनों ग्रुपों मे 33 परीक्षार्थी बैठे, जिनमें से 15 ने परीक्षा पास की (45.45%)।

डी० के० सेनगुप्ता एण्ड कं०
चार्टर्ड अकाउण्टेन्टस

पी० 22 साउथ एक्टेन्सन भाग II
नई दिल्ली 110049

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया के 31 मार्च 1989 के तुलन-पत्र तथा इसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय और लेखे का परीक्षण किया है और हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

1. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित के बारे में ये लेखे सही और पर्याप्त स्पष्ट स्थिति प्रगट करते हैं:

(क) इंस्टीट्यूट के मामलों से संबंधित 31 मार्च, 1989 को समाप्त अवधि के तुलन-पत्र के बारे में स्थिति ।

(ख) उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे में अधिशेष से संबंधित स्थिति ।

2. हमें वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए, जो हमें अपेक्षित जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे।

3. हमारी राय में इंस्टीट्यूट ने अब तक समुचित लेखा-पुस्तकें और रिकार्ड रखे हैं, जैसा कि इनके परीक्षण से स्पष्ट होता है ।

4. रिपोर्ट का संदर्भाधीन तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखे रखी गई लेखा पुस्तकों और रिकार्डों से मेल खाते हैं।

दिनांक 29 जुलाई, 1989

कृते डी. के. सेन गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
(डी. के. सेनगुप्ता)

दि इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

31 मार्च 1989 का तुलन-पत्र

	अनुसूची	1988-89		1987-88	
		रु.	रु.	रु	रु.
पूंजी रिजर्व	1		20,37,025		18,48,925
सामान्य रिजर्व	2		1,56,36,204		1,42,73,955
भवन रिजर्व	3		24,96,332		22,58,240
कुल			2,01,69,561		1,83,81,120
निधि का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां (घटाए हुए मूल्यानुसार)	4		1,04,57,892		1,05,29,601
चालू परिसम्पत्तियां	5	1,71,53,318		1,43,16,438	
घटाएं : चालू देयताएं	6	1,03,87,289		83,64,471	
			67,66,029		59,51,967
ऋण और पेशगियां	7		29,45,640		18,99,552
कुल			2,01,69,561		1,83,81,120

तुलन पत्र पर इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी. के. सेन गुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
(डी. के. सेन गुप्ता)

नई दिल्ली
29 जुलाई 1989

टी. पी. सुब्बारमन
सचिव तथा कार्यकारी निदेशक

डी. सी. जैन
उपाध्यक्ष

प्रयाग सेन
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया

31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	1988-89	1987-88
		रु.	रु.
द्वारा सदस्यों तथा विद्यार्थियों से शुल्क व अभिदान	8	1,48,68,030	1,22,08,733
,, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल और स्टुडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी बुलेटिन के अभिदान, आबंटन और विज्ञापन		19,60,183	16,00,166
,, सम्मेलन और अन्य व्यवसायिक विकास कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष व्यय से अधिक प्राप्तियां	9	1,07,096	1,67,816
,, अन्य आय	10	23,95,297	19,55,527
,, आय से अधिक व्यय, जिसे तुलन पत्र में ले जाया गया			3,71,237
	कुल	1,93,30,606	1,63,03,479

व्यय			
को कर्मचारियों को भुगतान	11	72,09,415	63,79,881
,, डाक शिक्षण (प्रत्यक्ष लागत)	12	25,95,416	24,89,766
,, अनुसंधान और व्यावसायिक विकास		23,407	8,714
,, व्यावसायिक प्रशिक्षण		54,579	49,632
,, प्रकाशनों और कार्यालय लेखन सामग्री का मुद्रण	13	9,33,575	7,21,970
,, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल और स्टुडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी बुलेटिन का मुद्रण	14	16,37,431	15,64,852
को यात्रा और सवारी	15	6,09,090	5,68,571
,, डाक टिकट, तार, टेलीफोन और टैलेक्स	16	10,48,632	10,55,645
,, परीक्षाएं		11,17,811	11,46,536
,, किराया, उपशुल्क और कर		2,13,980	2,40,086
,, अन्य व्यय	17	8,77,066	6,14,944
,, व्यावसायिक सेवाएं	18	1,47,513	2,02,233
,, क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को अनुदान		7,55,272	5,95,759
,, क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	19	1,68,680	1,99,480
,, स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	4	4,15,204	4,16,529
,, छात्रवृत्ति और पुरस्कार योजना	20	34,495	48,719
,, पुरानी स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान/बट्टे खाते पर हानि		476	162
,, केन्द्रीय और क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव-व्यय		1,46,367	—
,, अशोध्य और संदेहास्पद ऋण का प्रावधान		525	—
,, तुलन पत्र में ले जाई गई व्यय से अधिक हुई आय		13,41,672	
	कुल	1,93,30,606	1,63,03,479

तुलन पत्र पर इसी तारीख को हमारी रिपोर्ट
के अनुसार
कृते डी. के. सेनगुप्ता एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
(डी. के. सेनगुप्ता)

नई दिल्ली
29 जुलाई, 1989

टी. पी. सुब्बारमन
सचिव तथा कार्यकारी निदेशक

डी. सी. जैन
उपाध्यक्ष

श्यामल सेन
अध्यक्ष

अनुसूची – 1

पूंजीगत रिजर्व

		1988-89	1987-88
		रु.	रु.
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		18,48,925	16,95,525
जोड़ें : पूंजीगत शुल्क			
एसोसिएट प्रवेश शुल्क		1,64,100	1,33,200
फैलो प्रवेश शुल्क		24,000	20,200
	कुल	20,37,025	18,48,925

अनुसूची – 2

सामान्य रिजर्व

		1988-89	1987-88
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		1,42	
जोड़ें : भवन रिजर्व से अंतरण		20,577	35,32,775
		1,42,94,532	1,46,45,192
जोड़ें (घटाएं) : आय और व्यय लेखे के अनुसार अधिशेष (घाटा)		13,41,672	3,71,237
	कुल	1,56,36,204	1,42,73,955

अनुसूची – 3

भवन रिजर्व निधि

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
1-4-88 को अलग से रखी गई सावधि जमा राशि	22,58,240	56,58,396
जोड़ें : (i) अलग से रखी गई सावधि जमा राशि पर ब्याज	2,58,669	2,51,076
(ii) अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं द्वारा अपने कार्यालयों के भवन निर्माण की लागत के लिए योगदान	--	18,81,543
	25,16,909	57,91,015

घटाएं : सामान्य रिजर्व में अंतरण	रु०	
(i) क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास के लिए एस. आई. आर. सी. द्वारा तथा बड़ौदा, [illegible], अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं द्वारा अपने शाखा कार्यालयों के भवन निर्माण की लागत के लिए, भूमि/भवन के बारे में योगदान (रु. 37,454+रु. 2,06,580 रु. 18,81,543)	--	21,25,577
(ii) अहमदाबाद, बंगलौर और हैदराबाद शाखाओं के भवनों की लागत का कुछ अंश और क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास के भवन में अतिरिक्त निर्माण की कुल लागत इंस्टीट्यूट ने वहन की है	--	14,07,198
(iii) केन्द्रीय कार्यालय और बड़ौदा शाखा के भवनों की लागत का कुछ अंश इंस्टीट्यूट ने वहन किया है	20,577	--
कुल	24,96,332	22,58,240

अनुसूची

31-3-1989 को तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसके भाग के

क.सं.	मद	मूल्यह्रास	सकल ब्लाक			
			1-4-1988 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष दौरान बिक्री/परिवर्तन	31-3-1989 को कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7
		%	रु.	रु.	रु.	रु.
1.	भूमि—केंद्रीय कार्यालय	...	58756	—	—	58756
	—क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली	—	233393	—	—	233393
	—क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास	—	1200000	—	—	1200000
	—हैदराबाद शाखा	—	600000	—	—	600000
2.	भवन—केन्द्रीय कार्यालय (आई.सी.एस.आई. भवन)	2½	3600975	7500	—	3608475
	—क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई	2½	258086	—	.	258086
	—क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (निर्माणाधीन)	—	90125	46411	—	136536
	—क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास	2½	763145	—	—	763145
	—अहमदाबाद शाखा	2½	1459455	—	—	1459455
	—बंगलौर शाखा	2½	800000	—	—	800000
	—बड़ौदा शाखा	2½	234355	13077	—	247432
	. डोम्बीवली शाखा	2½	152700	..	-	152700
	—हैदराबाद शाखा	2½	422088	—	—	422088
3.	पंखे	10	63027	11354	—	74381
4.	फर्नीचर और जुड़नार	10	1022643	117430	—	1140073
5.	समय अभिलेखक, टेल टेल और दीवार घड़ियां	10	6832	190	—	7022
6.	गणक और परिकलन यंत्र	15	24271	1068	1117	24222
7.	वातानुकूलक और रूम कूलर	15	102034	4787	—	106821
8.	वातानुकूलक और शीत यंत्र	15	545000	—	—	545000
9.	स्वचालित आपात लाइटें	15	5083	—	—	5083
10.	डाक मशीनें	15	96537	—	—	96537
11.	कैमरा	15	974	—	—	974
12.	अनुलिपि यंत्र	15	56939	—	—	56939
13.	फ्रेंकिंग मशीनें	15	52159	—	—	52159
14.	हैंड ड्रायर	15	2995	—	—	2995
15.	हीट कनवैक्टर	15	468	—	—	468
16.	अंत-संचार उपकरण	15	45617	13808	—	59425
17.	घास काटने का उपकरण	15	653	—	—	653
18.	ओवरहैड प्रोजेक्टर और स्क्रीन	15	—	13382	—	13382
19.	रसोई भण्डार के उपकरण और साज सामान	15	11982	475	—	12457
20.	पेपर श्रेडिंग मशीनें	15	7750	—	—	7750
21.	फोटोस्टेट मशीन	15	104066	—	—	104066
22.	टेप रिकार्डर	15	3358	—	—	3358
23.	टेलीफोन डायलर और डिसकनेक्टर्स	15	8646	—	—	8646
24.	ट्रांसफार्मर और वोल्टेज स्टेब्लाइजर	15	21522	—	—	21522
25.	टी वी, वी सी आर और ट्राली	15	25190	—	—	25190

रूप में सम्बद्ध परिसम्पत्तियों की सूची

मूल्यह्रास				घटाया हुआ मूल्य	
1-4-1988 से पूर्व	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान परिवर्तन	कुल	31-3-1989	31-3-1988
8	9	10	11	12	13
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
--	--	--	--	58756	58756
-	-	--	-	233393	233393
--	--	--	- -	1200000	1200000
--	--	--	--	600000	600000
577185	75782	--	652967	2955508	3022790
67596	4762	--	72358	185728	190490
--	--	--	--	136536	90125
53690	17736	--	71426	691719	709455
36486	35574	--	72060	1387395	1422969
20000	19500	--	39500	760500	780000
11571	5897	--	17468	229964	222784
7539	3629	--	11168	141532	145161
10552	10288	--	20840	451248	411536
32413	4198	--	36611	37770	30614
498869	64120	--	562989	577084	523774
3096	393	--	3489	3533	3736
117029	1175	640	17564	6658	7242
56781	7506	--	64287	42534	45253
366049	26843	--	392892	152108	178951
3012	311	--	3323	1765	2071
71066	3822	--	74888	21649	25471
270	106	--	376	598	1 0
27014	4490	--	31504	25435	29925
21040	4668	--	25708	26451	31119
1432	235	--	1667	1328	1563
181	43	--	224	244	287
29516	4486	--	34002	25423	16101
312	51	--	363	290	341
--	2007	--	2007	11375	--
6525	891	--	7416	5041	5457
1163	988	--	2151	5599	6587
58349	6858	--	65207	38859	45717
1903	218	--	2121	1237	1455
2701	891	--	3592	5054	5945
11997	1429	--	13426	8096	9525
6991	2729	--	9720	15470	18199

1	2	3	4	5	6	7
26.	टाइपराइटर	15	258492	32010	--	290502
27.	वक्यूम क्लीनर	15	3300	--	--	3300
28.	वाटर कूलर और फिल्टर	15	67256	--	--	67256
29.	वाटर मीटर	15	233	--	--	233
30.	भारतोलक यंत्र	15	19009	300	--	19309
31.	साइकिलें	20	2287	675	467	2395
32.	पुस्तकालय की पुस्तक	20	631170	81844	--	713014
33.	मोटर गाड़ी	20	100765	--	--	100765
34.	साइकिल/स्कूटर मेड	33⅓	19093	--	--	19093
	कुल		13183329	344211	1584	13525956
	पिछले वर्ष के आंकड़े		9598064	3599341	14076	13183329

8	9	10	11	12	13
141898	22291	--	164189	126313	116594
1577	258	--	1835	1465	1723
33500	5064	--	38564	28692	33756
158	11	--	169	64	75
7947	1704	--	9651	9658	11062
1369	251	228	1392	1003	9118
410440	60516	--	470956	242058	220730
36275	12898	--	49173	51593	64490
18236	585	--	18821	1172	1757
2653728	415204	868	3068064	10457892	10529601
2249533	416629	12334	2653728	10529601	7348531

अनुसूची–5

चालू परिसम्पत्तियां

		1988–89	1987–88
		रु.	रु.
भाग–I	विविध देनदार (प्रतिभूति रहित):		
	(क) छः महीने से अधिक पुराने मामले जो शोधन माने गए	25,578	—
	अन्य	2,91,137	2,00,407
	(ख) छः महीने से अधिक पुराने मामले, जिनकी प्राप्तियां संदेहास्पद हैं	1,375	850
		3,18,090	2,01,257
	घटाएं: अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों का रिजर्व	1,375	850
	कुल (भाग I)	3,16,715	2,00,407
भाग–II	रोकड़, बैंक शेष और निवेश		
	(क) हस्तगत रोकड़ और चैक/ड्राफ्ट	6,770	4,887
	(ख) हस्तगत डाकटिकटें तथा फ्रैंकिंग मशीन में शेष यूनिटों का मूल्य	52,801	59,729
	(ग) बैंकों के बचत खातों में:	5,27,996	4,74,134
	केनरा बैंक, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली,		
	केनरा बैंक, भाद्रा, अहमदाबाद	4,63,311	—
	इण्डियन ओवरसीज बैंक, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली	2,065	1,801
	इण्डियन बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	4,056	34,563
	(घ) बैंकों के सावधि जमा खातों में :		
	केनरा बैंक, ग्रीन पार्क, एक्स, नई दिल्ली	26,00,000*	29,00,000
	इण्डियन बैंक, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली	1,00,000	1,00,000
	(ङ) बांडों में निवेश:		
	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि.	40,00,000**	40,00,000
	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.	10,00,000	10,00,000
	महानगर टेलीफोन निगम लि०	2,00,000	2,00,000
	(च) पुरस्कारों की संस्थापना के लिए केनरा बैंक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल हाइड्रोपावर कारपोरेशन, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग को., में निवेश की जमा राशि	60,000	60,000
	(छ) अर्जित ब्याज	44,18,810	29,78,925
	कुल (भाग–II)	1,34,35,820	1,18,14,039

* भवन रिजर्व निधि के लिए अलग से रखी गई रु. 24,96,332 की जमा राशि शामिल है।

** इस निवेश में देय ग्रेच्युटी के लिए रु. 13,25,347 की राशि और कर्मचारियों को देय पेंशन के लिए रु. 12,65,000 की राशि का प्रावधान शामिल है।

भाग–III 31-3-89 को प्रकाशनों, लेखन सामग्री, कागज, चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल स्टुडेण्ट कंपनी सेक्रेटरी बुलेटिन, शिक्षण सामग्री डायरियों और मार्की बोर्डों का हस्तगत स्टाक।

	1988–89	1987–88
(क) प्रकाशन	4,44,919	3,27,389
(ख) लेखन सामग्री	71,687	64,112
(ग) छपाई का कागज	6,71,996	2,33,277
(घ) जर्नल/स्टुडेण्ट बुलेटिन	50,528	51,956
(ङ) अध्ययन सामग्री और प्लास्टिक फोल्डर	21,49,857	14,72,746
(च) डायरियां	4,130	9,126
(छ) बोर्ड	2,666	—
कुल (भाग–III)	33,75,783	21,58,606

भाग-IV: आस्थगित राजस्व व्यय

	1988-89	1987-88
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते नहीं डाला):		
(क) बट्टे खाते डाले जाने वाले प्रकाशनों और शिक्षण सामग्री के स्टाक का मूल्य जिसे अगले वर्ष (एक्सार्च) समाविष्ट किया जाएगा	—	93,386
(ख) न्यायालय के भवन के भूमि तल की मरम्मत पर खर्च, जिसे अगले वर्ष में (एक्जार्च) समाविष्ट किया जाएगा	25,000	50,000
कुल (भाग-IV)	25,000	1,43,386
कुल जोड़ भाग (I+II+III+IV)	1,71,52,218	1,43,16,438

अनुसूची-6

चालू देयताएं और प्रावधान

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
भाग-I: चालू देयताएं		
(क) असमाप्त सेवाओं के लिए विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	45,15,614	40,74,262
(ख) सदस्यों से अग्रिम प्राप्तियां	63,185	63,635
(ग) स्मारिका में विज्ञापन से अग्रिम प्राप्तियां (वापिस देय)	—	1,000
(घ) देय व्यय	13,31,075	9,36,556
(ङ) देय लेखा परीक्षा शुल्क	3,000	2,000
(च) कम्पनी सेक्रेटरीज/आई.सी.एस.आई. कर्मचारी हितकारी निधि में देय राशि	29,276	20,185
(छ) क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं को देय	6,92,534	2,99,562
(ज) प्रतिनिधि शुल्क (समंजनीय)	14,990	14,824
(झ) भुगतान के लिए विविध प्राप्तियां	1,047	1,047
(ञ) जमानत जमा/अवधारण राशि	23,577	19,442
(ट) विद्यार्थियों को पुरस्कार देने के लिए जमा राशि (वापस न की जाने वाली)	72,000	60,000
(ठ) पुस्तकालय की सुरक्षा जमा राशि	26	25
(ड) प्रकाशनों के लिए एकमुश्त जमा राशि	3,154	5,319
(ढ) प्रतिनिधि शुल्क की अग्रिम प्राप्ति	—	17,420
(ण) होटल बुक कराने के लिए जमा राशि (वापस प्राप्त होने वाली)	940	720
(त) उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की भवन निधि में अंशदान	7,208	—
(थ) मैसर्स वसवा सेल्स कार्पोरेशन को देय बिक्री की राशि	39,706	—
कुल (भाग-I)	67,97,238	55,15,997

अनुसूची-6 (जारी)

	1988-89	1987-88
भाग-II: प्रावधान		
(क) पानी, बिजली, टेलीफोन, सम्मेलन और आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	9,85,552	8,07,075
(ख) कर्मचारी सुविधा योजना के लिए प्रावधान	14,152	—
(ग) देय ग्रेच्युटी	13,25,347	11,09,399
(घ) कर्मचारियों की देय पेंशन	12,65,000	9,32,000
कुल (भाग-II)	35,90,051	28,48,474
कुल जोड़ (भाग I +II)	1,03,87,289	83,64,471

अनुसूची—7

ऋण और पेशगियां (प्रतिभूतिरहित और जो शाध्य समझे गए)

	1988–89	1987–88
(क) ऋण और पेशगियां	रु०	रु०
कर्मचारी	10,63,053	1,68,655
परीक्षा केन्द्र	6,536	2,000
सम्मेलन कार्यक्रम	500	6,099
मुद्रक पूर्तिकर्ता (खाते में)	7,000	--
क्षेत्री परिषदों शाखाओं को भवन-क्रय के लिए ऋण	3,20,755	15,40,477
(ख) पूर्वदत्त व्यय		
बीमा प्रीमियम	9,718	10,573
किराया, उपशुल्क और कर	--	5,940
मरम्मत और नवीकरण	45,116	35,027
कर्मचारी कल्याण (व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा)	12,841	8,399
टेलीफ़ोन और टेलेक्स	5,950	4,731
क्षेत्रीय कार्यालय	3,500	3,000
कार्यक्रम व्यय	—	6,940
(ग) विविध जमा		
क्षेत्रीय कार्यालय के परिसरों के मकान मालिक	10,685	9,185
नगर पालिका कर और अनुरक्षण (क्षे .का. बम्बई)	10,440	10,440
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	28,500	28,500
मैसर्स प्योर ड्रिंक्स	786	126
एल .पी .जी . सिलेण्डर रेगुलेटर	530	530
डाकघर में सुरक्षा जमा	12,000	12,000
टेलीफ़ोन और टेलेक्स के लिए जमा राशि	10,500	10,500
विश्वविद्यालय (पुरस्कार प्रदान करने के लिए)	35,320	35,320
क्षेत्रीय कार्यालय, मद्रास के लिए बिजली के बारे में जमा राशि	1,110	1,110
मैसर्स मोदी जेरोक्स लि. के पास जमा राशि	10,800	--
नोएडा (भूमि के लिए)	50,000	--
कुल	29,45,640	18,99,552

अनुसूची—8

सदस्यों और विद्यार्थियों से शुल्क और अभिदान

	1988-89		1987-88	
	रु.	रु.	रु.	रु.
भाग- I : सदस्यों से				
(क) फेलो वार्षिक शुल्क		3,57,600		3,29,220
(ख) फेलो प्रवेश शुल्क	24,000	--	20,200	-
घटाएं : पूंजीगत रिजर्व में 100% स्थानांतरित	24,000	--	20,200	--
(ग) एसोसिएट वार्षिक शुल्क		8,77,281		4,28,580
(घ) एसोसिएट प्रवेश शुल्क	1,64,100		1,33,200	—
घटाएं : पूंजीगत रिजर्व में 100% स्थानांतरित	1,64,100		1,33,200	—
(ङ) सदस्यता पुनः स्थापना शुल्क		12,805		6,135
(च) प्रेक्टिस प्रमाण पत्र का वार्षिक शुल्क		2,49,156		75,900
(छ) सदस्यों की सूची		1,875		1,915
कुल (भाग-1)		14,98,717		8,41,750

अनुसूची—8 (जारी)

भाग—II : विद्यार्थियों से		
(क) परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन का शुल्क	1,973	2,235
(ख) प्रीलिमीनरी/इण्टरमीडिएट/फाइनल परीक्षा से छूट का शुल्क	5,42,267	4,40,240
(ग) फाइनल परीक्षा शुल्क	12,06,314	12,71,985
(घ) इण्टरमीडिएट परीक्षा शुल्क	20,18,263	18,55,348
(ङ) प्रीलिमीनरी परीक्षा शुल्क	27,989	18,173
(च) पंजीकरण शुल्क	18,35,636	15,19,924
(छ) अंक सत्यापन शुल्क	18,385	13,314
(ज) वार्षिक शुल्क	7,948	45,301
(झ) डाक शिक्षण शुल्क	76,06,008	61,24,077
(ञ) विलम्ब शुल्क	60,745	51,966
(ट) लाइसेंसधारी शुल्क	41,630	23,670
(ठ) शिक्षुता प्रशिक्षण	2,155	750
कुल (भाग—II)	1,33,69,313	1,13,66,983
कुल जोड़ (भाग I+II)	1,48,68,030	1,22,08,733

अनुसूची—9

सम्मेलन और उच्च व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों आदि से आय

	1988-89		1987-88	
	रु.	रु.	रु.	रु.
1. प्रतिनिधि शुल्क और अन्य प्राप्तियां				
प्रतिनिधि शुल्क				
सम्मेलन	5,42,580		4,47,700	
सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के उच्चतम अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	—		6,671	
संयुक्त व्यावसायिक कार्यक्रम	83,217		74,541	
सेमिनार	23,400		52,505	
अंशदान				
सम्मेलन	1,41,948		2,00,840	
स्मारिका में विज्ञापन				
सम्मेलन	74,300		1,02,500	
अन्य				
पिछले सम्मेलनों से आय	4,860	8,70,305	27,219	9,11,971
2. घटाएं : प्रत्यक्ष व्यय				
सम्मेलन	658,920		6,29,634	
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उच्चतम अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	—		6,481	
संयुक्त व्यावसायिक कार्यक्रम	62,919		38,202	
सेमिनार	22,970		46,348	
पिछले सम्मेलन	400	7,43,209	3,490	7,24,155
घटाए :		1,27,096		1,87,816
कम्पनी सेक्रेटरी कल्याण निधि और आई.सी.एम.आई. कर्मचारी कल्याण निधि के अनुदान का आवंटन		20,000		20,000
आय और व्यय लेखों से दिखाया गया शेष		1,07,096		1,67,816

अनुसूची – 10

अन्य आय

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) प्रकाशनों की बिक्री	10,85,449	6,83,728
(ख) बैंक शेषों और निवेशों से ब्याज	12,71,927	11,72,804
(ग) कर्मचारियों को दी गई पेशगियों से ब्याज	12,837	5,653
(घ) क्षेत्रीय परिषद/क्षेत्रीय कार्यालय भवन (मद्रास) से किराया	7,032	84,384
(ङ) विविध आय	17,591	4,654
(च) पुरानी स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान/बट्टे खाते डाली राशि का अधिशेष	61	4,054
(छ) कार्यालय भवनों के लिए अनुदान	400	250
कुल	23,95,297	19,55,527

अनुसूची—11

कर्मचारियों को भुगतान

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) वेतन और भत्ते	58,28,366	52,02,211
(ख) कर्मचारी कल्याण	4,37,984	4,02,829
(ग) नियोजक का भविष्य निधि में अंश	3,30,284	3,21,357
(घ) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	2,78,098	2,62,484
(ङ) कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान	3,34,683	1,91,000
कुल	72,09,415	63,79,891

अनुसूची—12

डाक विक्रय व्यय

	1988-89		1987-88	
	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) 1-4-1988 को आदि स्टाक				
अध्ययन सामग्री	13,36,368		14,68,837	
कागज	13,170		51,566	
प्लास्टिक फोल्डर	1,36,380	14,85,916	1,46,330	16,66,733
(ख) जोड़ें : वर्ष के दौरान अध्ययन सामग्री, कागज, प्लास्टिक फोल्डर और अन्य मदों पर किया गया व्यय		36,91,678		24,02,042
(ग) घटाएं : 31-3-1989 को अन्त स्टाक		51,77,594		40,68,775
अध्ययन सामग्री	20,04,704		13,36,366	
कागज	4,49,228		13,170	
प्लास्टिक फोल्डर	1,45,063	26,99,085	1,36,380	14,85,916
		25,78,509		24,72,859
जोड़ें : वर्ष के दौरान समाविष्ट करने के लिए आगे लाए गए बट्टे खाते डाले गए स्टाक का मूल्य		16,907		16,907
डाक विक्रय व्यय		25,95,416		24,89,766

1	2	3	4	5
7. Auction Supdt.	*29	Group A	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection

*Subject to variation depending upon the work load.

M

6	7	8
Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

9	10	11
Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion failing which by Deputation.

12	13
PROMOTION : Senior Grading Officers/Assistant Manager (Marketing) and Assistant Manager (Auctions) with 3 years regular service in the post. DEPUTATION : Persons from Central/State Govts./Public Sector Undertakings holding analogous posts with two years regular service in the post. (Period of deputation shall ordinarily not exceeding three years).	1. Chairman — Chairman 2. Executive Director — Member 3. Secretary — Member 4. One outside officer belonging to SC/ST — Member

1	2	3	4	5
8. Deputy Manager (Accounts)	*1	Group-A	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Not applicable.

*Subject to variation depending upon the work load.

6	7	8
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

9	10	11
Not Applicable.	Not Applicable.	By Deputation.

अनुसूची—15

यात्रा और सवारी व्यय

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) परिषद् के सदस्यों द्वारा यात्रा	3,60,664	3,60,411
(ख) अन्य व्यक्तियों द्वारा यात्रा	1,28,085	1,08,343
(ग) सवारी व्यय	1,20,341	99,817
कुल	6,09,090	5,68,571

अनुसूची—16

डाक, तार, टेलीफोन और टेलेक्स

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) डाक टिकट और तार	7,14,529	8,63,090
(ख) टेलीफोन, टेलेक्स और इण्टर काल पर व्यय	3,34,103	1,92,
कुल	10,48,632	10,55,645

अनुसूची—17

अन्य व्यय

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) समाचार पत्र और पत्रिकाएं	7,274	5,317
(ख) विज्ञापन और प्रचार	94,601	15,268
(ग) बैठक और संवर्धन व्यय	60,139	35,016
(घ) मरम्मत और नवीकरण	92,487	87,787
(ङ) बिजली	1,63,601	1,50,752
(च) कानूनी व्यय	37,428	39,782
(छ) पैकिंग, ढुलाई और भाड़ा	1,21,956	97,960
(ज) लेखा परीक्षा शुल्क	9,000	9,000
(झ) आग, दुर्घटना और विश्वस्तता बीमा प्रीमियम	11,391	11,080
(ञ) मोटर कार-व्यय	48,369	29,391
(ट) कार्यालय रख-रखाव और अनुरक्षण	39,095	27,325
(ठ) भवन-मरम्मत और अनुरक्षण	1,37,373	70,441
(ड) हिंदी संवर्धन व्यय	1,525	1,303
(ढ) कार्यालय के विविध व्यय	35,353	15,917
(ण) बैंक प्रभार	17,474	18,072
कुल	8,77,066	6,14,944

अनुसूची—18

व्यावसायिक सेवाएं

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) कम्प्यूटरीकृत सेवाओं के प्रभार	1,41,763	1,87,248
(ख) अन्य	5,750	14,985
कुल	1,47,513	2,02,233

अनुसूची—19

क्षेत्रीय कार्यालय व्यय

	1988-89					1987-88
	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	मद्रास	कुल	
	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
(क) किराया, उपशुल्क और कर	39,211	42,900	37,200	28,563	1,47,874	1,69,649
(ख) अन्य कार्यालय व्यय	5,504	5,095	5,200	5,007	20,806	29,831
कुल	44,715	47,995	42,400	33,570	1,68,680	1,99,480

अनुसूची 20

विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और पुरस्कार

	1988-89	1987-88
	रु.	रु.
(क) योग्यता (मेरिट) छात्रवृत्तियां और योग्यता-व-साधन सहायता	36,100	42,900
(ख) पुरस्कार (इसमें यात्रा व्यय भी शामिल है)	6,694	7,594
	42,794	50,494
घटाएं : पुरस्कारों की संस्थापना के लिए जमा राशियों पर अर्जित ब्याज	8,299	1,775
कुल	34,495	48,719

तुलन पत्र पर इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी. के. सेन गुप्ता एंड कं.

1 से 20 तक की अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

(डी. के. सेन गुप्ता)

नई दिल्ली
29 जुलाई, 1989

टी. पी. सुब्बारमन
सचिव और कार्यकारी निदेशक

डी. सी. जैन
उपाध्यक्ष

श्यामल सेन
अध्यक्ष

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Established under the Company Secretaries Act, 1980)

New Delhi, the 26th September, 1989

F. No. 104|17|Accts, — Ninth Annual Report of the Institute of Company Secretaries of India for the year ended 31st March, 1989

INTRODUCTION

1 In pursuance of the requirement of sub-section (5) of section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council of the Institute of Company Secretaries of India is pleased to publish the ninth annual report and the audited statements of accounts alongwith the auditors' report thereon, on the working of the Institute for the year ended 31 March, 1989. Besides covering the activities for the year, the report also contains some of the significant activities upto the date of the report.

NEW DEVELOPMENTS

2 New rules for appointment and qualifications of Secretary under the Companies Act, 1956

It is a matter of profound satisfaction that the Government of India, after considering the views of the Institute, have prescribed the Companies (Appointment & Qualifications of Secretary) Rules, 1988 retaining the existing limit of Rs. 25 lakhs paid-up capital for compulsory appointment of whole-time secretary under section 383A and prescribing pass in the Intermediate examination of the Institute as one of the qualifications for appointment of a whole-time secretary in companies having a paid-up share capital of less than Rs. 25 lakhs. Simultaneously, the Government have also brought into force the amended sections 2(45) and 383A of the Companies Act, with effect from 1 December, 1988.

ORGANISATIONAL SET UP

3 Council

3.1 Elections under new Election Procedure

As mentioned in the last annual report, Company Secretaries Regulations, 1982 were amended effective from 22 August, 1988 mainly to change the system and procedure of election to the Council and the four Regional Councils. According to the amendments made, election to the Council and the four Regional Councils were conducted under preferential system of voting by means of a single transferable vote. The Council members for each regional constituency were elected by members of the constituency only. The members were required to vote only in polling booths in the case of every town or city having atleast 25 voters within its jurisdiction. Limited canvassing was allowed to a candidate to issue one circular to voters as per guidelines specified by the Council. According to earlier amendments made to the Regulations, an Election Committee was constituted for the first time to generally supervise the conduct of election and a panel of scrutineers was nominated by the Council to scrutinise the nominations as an additional measure of safety and protection to the objectivity of the decision taken and to instil complete confidence in the election system.

3.2 Election of Council Members

The three year term of the second elected Council expired on 31 December, 1988. Pursuant to provisions of clause (a) of sub-section (2) of section 9 of the Company Secretaries Act, 1980, the third elections to the Council were smoothly held in the last quarter of the year 1988 under the amended regulations for the first time and the following twelve Fellow members were declared as duly elected to the Council :

Eastern India Regional Constituency

1. Shri B. P. Dhanuka
2. Shri Shyamal Sen

Northern India Regional Constituency

1. Shri O. P. Dani
2. Shri D. C. Jain
3. Shri Harish K. Vaid

Southern India Regional Constituency

1. Shri T. V. Padmanabhan
2. Shri D K. Prahlada Rao
3. Shri P. T. Rangamani

Western India Regional Constituency

1. Shri Bipin S. Acharya
2. Shri S. D. Israni
3. Shri A. N. Navare
4. Shri N. J. N. Vazifdar

3.3 Government Nominees

In accordance with the powers conferred under clause (b) of sub-section (2) of section 9 of the Company Secretaries Act, 1980 for nomination of four members, the Central Government nominated initially three persons for a period of three years to the third elected Council as under :

1. Shri V. P. Gupta
2. Shri V. K. Majotra
3. Shri B. P. R. Vithal

Subsequently on 25 May, 1989, Shri V. K. Poddar was nominated as the fourth government nomiee for the remaining period of the term of the Council.

3.4 Constitution of the Council

The new Council was duly costituted w.e.f. 1 January, 1989. All the elected members assumed office for a period of three years from that date and continue to hold office upto the date of this Report.

3.5 Meetings

During the year the Council held 7 meetings.

3.6 50th Meeting of the Council

The fiftieth meeting of the Council of the Institute, constituted as a statutory body with effect from 1 January, 1981, was celebrated by the earlier Council as Golden Jubilee meeting on 31 December, 1988 at ICSI House, New Delhi. On the occasion, a research publication brought out by the Western India Regional Council titled 'Registration of Charges' was released.

4 President and Vice-President

At the 51st meeting of the Council held on 1 January, 1989, Shri B. S. Doraiswamy relinquished the office of the President. Shri Shyamal Sen was unanimously elected as President for a period of one year from 1 January, 1989. At the same meeting, Shri D. C. Jain, was unanimously elected as Vice-President for the year 1989. The Council placed on record its appreciation of the valuable contribution made by Shri Doraiswamy as President of the Institute during the year 1988.

5 Committees etc., of the Council

In accordance with the provisions contained in section 17 of the Company Secretaries Act, 1980, the Council constituted three standing and four other Committees. In addition, the Council constituted a Perspective Planning Group and an Advisory Group for Manual of Company Secretarial Practice and reconstituted the Editorial Advisory Board of 'Chartered Secretary' for the Vol. XIX. Their composition is given in Appendix 'A' to the Report.

6 Regional Councils and Chapters

6.1 Regional Councils

The term of the second elected Regional Councils constituted on 1 January, 1986 for a period of three years expired on 31 December, 1988. The third elections to the four Regional Councils were held in the last quarter of 1988 simultaneously with the elections to the Council. The new Regional Councils were duly constituted with effect from 1 January, 1989 for a period of three years. The gist of activities prepared from the annual reports of the four Regional Councils for the year 1988-89, is given in Appendix 'B' to the Report.

6.2 Chapters

A new Chapter at Udaipur under the Northern India Regional Council and two new Chapters at Mangalore and Pondicherry under the Southern India Regional Council were opened during the year. The Nilgiris Chapter was merged with the Coimbatore Chapter for administrative convenience. With this, the Institute has 34 Chapters duly constituted in accordance wih regulation 143 of the Company Secretaries Regulations, 1982 under the jurisdiction of the four Regional Councils. The Chapters continued local activities for the education of students and professional development of members.

6.3 Meeting with Office Bearers of Regional Councils and Chapters

The process of having regular interaction with the Regional Councils and Chapters was continued by having meetings of the office bearers of the Council with the office bearers of the Regional Councils and Chapters during the year under report in each region. In addition, a meeting of the President, Vice-President and Secretary with the Chairmen of four Regional Councils was held in January 1989 to discuss the working of existing activities and to introduce more activities during the year in the regions.

6.4 Presentation of Best Chapter Awards

At the inaugural session of the 17th National Convention held at Hotel Ashok, Bangalore on 2 March, 1989, Shri G. N. Mehra, Secretary, Ministry of Industry, Departments of Public Enterprises and Company Affairs and Chairman, Company Law Board, gave away the Best Chapter Awards for the year 1987-88 as under :—

(i) Rotating Silver Shield and Commendation Certificate on being adjudged as the National Best Chapter of the Institute for 1987-88 and Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Western Region.

—Ahmedabad Chapter

(ii) Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Eastern Region.

—Ranchi Chapter

(iii) Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Northern Region.

—Kanpur Chapter

(iv) Commendation Certificate on being adjudged as the Regional Best Chapter in the Southern Region

—Bangalore Chapter

6.5 Revival of R B G M Modi Best Chapter Award

The prize award instituted by M|s Modi Rubber Ltd., has been revived by them as Rai Bahadur Gujar Mal Modi Best Chapter Award for the year 1987-88. The Institute has since received the prize awards contribution of Rs. 25000 from M|s. Modi Rubber Ltd., for giving to Ahmedabad Chapter as the national best Chapter for 1987-88 at an appropriate function.

7 Membership for Employment and|or Practice

7.1 Membership

During the year, 547 persons were admitted as Associate members and 120 Associates as Fellow members. As on 31 March, 1989, the Institute had on its Register of Members, 6669 persons comprising 5179 Associates and 1490 Fellows. The corresponding figures as on 30 June, 1989 were 6880, 5341

and 1539 respectively. The names of 213 members, comprising 18 Fellows and 195 Associates were removed from the Register due to non-payment of annual fee, death or resignation. The Council regrets to report the death of 17 members during the year. The number of members residing abroad as on 31 March, 1989 was 122.

7.2 Certificate of Practice

Certificates of practice were issued to 258 members during the year and as at the end of the year 1192 members were holding certificates of practice, the corresponing figure as on 30 June, 1989 being 1240. The certificates of 131 members were cancelled due to non-payment of annual fees, death, surrender of certificate or other ineligibility for renewal of certificate.

7.3 A table on the growth of members and members holding certificate of practice, is given as Appendix 'C' to the Report.

7.4 List of Members

In pursuance of section 19(3) of the Company Secretaries Act, 1980, read with regulation 161, a supplementary list of members as on 1 April, 1989 has been published for supply to members on request.

8 Professional and Continuing Education Programmes

During the year under review the Institute organised five professional development programmes for the benefit of members in service as well as in practice as also for the benefit of middle and senior level executives in public sector enterprises. A list of such programmes held is given in Appendix 'D' to the Report.

9 Publications

9.1 'Chartered Secretary'

The journal being published for the last 19 years consistently maintained its prestige, quality and promptness in providing relevant government notifications, as an effective medium of communication with members and company executives and in updating their professional knowledge. Four special issues were brought out during the year as indicated below :—

(a) Budget in April 1988

(b) Independence Special in August 1988

(c) Nlependence Epecial in August 1988

(d) Two decades of progress of ICSI in October 1988

9.2 Special issues on the Profession

To record the developent and growth of the profession since independence and to commemorate the 40th Anniversary of India's independence, August 1988 issue of 'Chartered Secretary' containing special articles on the development and growth of the profession of company secretaries from different countries was released as an Independence Special issue by the hands of Shri Sam Pitroda, the then Advisor to the Prime Minister on Technology Missions. The function was presided over by Shri G. N. Mehra, Secretary, Departments of Public Enterprises and Company Affairs. Again, to celebrate the 20 years of the ICSI from 1968 to 1988, the October 1988 issue of 'Chartered Secretary' contained a special feature, giving interesting statistical information on the Institute and the valuable views and opinions of eminent persons on the profession of company secretaries in India.

9.3 Guidance Notes

With a view to equipping the members in practice in the efficient discharge of their professional responsibilities, the institute has decided to bring out guidance notes on various recognitions secured for the purpose of practice. Two guidance notes have been published and more guidance notes are planned for issue in the forthcoming year 1989-90.

9.4 Manual on Company Secretarial Practice.

The institute has so far brought out eight publications as part of the Secretarial Practice series. In the year 1986, the Council set up an Advisory Group on a permanent basis to formulate and implement the scheme of bringing out a comprehensive Secretariat Practice Manual. The Advisory Group has already launched the project and it is proposed to complete the manuscript for the first part of the manual in the forthcoming year to be published in June 1990. The Advisory Group is in the process of sifting various material relevant for inclusion in the proposed manual.

9.5 Guidelines for Standard Secretarial Practice

The detailed draft guidelines for toning up the efficiency of secretarial/share departments of companies would be published in September 1989 issue of 'Chartered Secretary' as exposure draft for eliciting views of all concerned and would be published as guidelines subsequently for guidance of members in service.

9.6 Other Publications

The institute has so far brought out during the year the following publications :—

1. Registration under Trade Marks Law
2. Monograph on Trade Practices
3. Guidance Note on Signing of Annual Return
4. Guidance Note on Certification of Managerial Appointment and Remuneration under Schedule XIII to the Companies Act, 1956
5. Index of Articles published in "Chartered Secretary" from 1971 to 1988
6. Directory of Company Secretaries in Practice

9.7 Code of Conduct

With the practising side of the profession stated to take off with a significant momentum in the months to come, the institute has decided to bring out a booklet explaining the statutory rules governing the code of conduct in the year 1989-90.

10 Research Scheme

The research scheme on "Private Limited Companies—Dos and Donts' has been completed and the study is being finalised for publication in the form of a book in the year 1989-90 The Guidance Note on Signing of Annual Return has already been brought out for use by members. The research scheme on Industrial Sickness in Small Industrial Sector had to be dropped. The annual report consisting of profit and loss account, balance sheet, auditor's report and the board's report being the principal media for analysing the worth of an investment, it was considered appropriate to conduct a research study as to how far the contents of annual report are intelligible, comprehensive and wholesome from the point of view of the ordinary investor from the middle and lower income groups. The results of the study would be available in the year 1989-90. It would also form a basis for suitable recommendations to the government for simplification and amendment of the format of annual report.

11 Promotion of Employment Opportunities

The retention of the existing limits of paid-up share capital of Rs. 25 lakhs or more for appointment of whole-time secretary and recognition of Intermediate examination for smaller companies have improved the employment prospects further. The Regional Councils and major Chapters have been requested to supplement and strengthen the employment service scheme of the Institute. During the year, 128 companies were provided with lists of suitable members for employment under the employment service scheme maintained by the headquarters of the Institute. The Institute has also been following up the representation made to the Department of Banking, Indian Banks' Association, the Comptroller & Auditor General and the Insurance Corporations for obtaining incentives, recognitions and further career prospects for our members and students.

12 Recognition to the Profession

12.1 Company Secretaries in Practice

The important recognitions obtained under the Companies Act, 1956 apart, the Institute has been continuing its efforts to broaden the role and areas of practice of our members. Accordingly, representations were made to the Chief Secretaries of various State Governments to recognise company secretaries expressly in the Consumer Protection Rules to act as representatives of persons aggrieved under the Consumer Protection Act, 1986. Besides this, various State Governments have been requested to consider favourably the inclusion of company secretaries in the composition of Consumer Protection Advisory Councils to be set up under the Consumer Protection Act in each State. The Institute has been pursuing its efforts with the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs for according certain recognitions to practising company secretaries. Recognitions were received from Assam Industrial Development Corporation, Guwahati and Delhi Financial Corporation for issuing various certificates including search reports during the year under report.

12.2 Recognition for Bank Loan

The Reserve Bank of India, Rural Planning and Credit Department and the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation have on the basis of recommendations received from the Indian Banks' Association, agreed to consider applications from practising company secretaries for granting loans under the category of professionals|selfemployed under priority sector.

12.3 List of Recognitions Secured

The recognitions secured for company secretaries in practice as well as in employment upto the date of this report, appear in Parts I & II of Appendix 'E' to the Report.

13 Seventeenth National Convention

The 17th National Convention of Company Secretaries on the theme 'Changing Profile of the Profession and Tasks Ahead' was organised at Hotel Ashok, Bangalore from 2 to 4 March, 1989. The Convention coincided with the commemoration of the birth centenary of Pandit Jawaharlal Nehru, a great visionary, who was instrumental in building modern industrial India. The Convention attended by nearly 575 delegates was inaugurated by Shri G. N. Mehra, Secretary, Departments of Public Enterprises and Company Affairs. Shri C. S. Samuel, President. Brooke Bond India Limited delivered the key-note address.

14 Ten-year Perspective Plan

With the experience gained in the last two decades, and the scope for practice and employment in the profession promising to touch new horizons, the Council thought it appropriate to prepare a comprehensive perspective plan for the Institute for the next 10 years. The perspective plan would envision the role that the profession is slated to play in the corporate scenario 10 years hence and contain the modalities and workouts to achieve the objective. The Council has constituted a Perspective Planning Group which is expected to document the Plan during 1989-90.

15 Post-membership Qualification Syllabus Implementation Committee

The final report of the Post Membership Syllabus Formulation Committee constituted in February 1985 was submitted to the Council on 31 December 1988 specifying the course contents for four streams, viz., Tax Management, Industrial & Personnel Management, Corporate Laws Management and Internal Audit & Management Control. The Council acknowledges with gratitude the efforts put in by the Chairman and members of the Committee in formulating and finalising the report. The Council has since

appointed an Implementation Committee to process the recommendations for introducing the four streams of examinations.

16. International Relations

16.1 International Conference of Company Secretaries

At the invitation of the Malaysian Association of the Institute of Chartered Secretaries & Administrators (MAICSA), nine members of the Institute including the Vice-President and Secretary & Executive Director participated from India in the Interantional Conference on "Change & Challenge : Preparing the Corporate Administrator" held at Kuala Lumpur on 13 September, 1988. The Vice-President of the Institute led the Indian delegation.

16.2 Meeting with the Singapore Association of ICSA and Registry of Companies and Businesses, Singapore

The Secretary & Executive Director visited Singapore and had a professional interaction with the office bearers of the Singapore Association of ICSA, at the conclusion of the Conference. At the invitation of Registrar of Companies and Businesses, Singapore, he also visited their office to obtain first-hand knowledge of the electronic services introduced by them for providing efficient and prompt services to the companies and general public.

16.3 Overseas visitors to India

Mr. Edward Chan, Chairman and Mr. Kamil Datuk Hj. Abd. Rahman, Hony Treasurer of the MAICSA visited ICSI House, New Delhi on 4 November, 1988 and had useful exchange of views on professional development and growth in both the countries with the Secretary and other heads of departments of the Institute. The British Oxygen Group Secretaries from Australia, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, U.K. and U.S.A. accompanied by their Indian Group Secretaries visited the ICSI House, New Delhi on 20 February, 1989. The President made an audio visual presentation on the history, development and growth of the Institute. Later, fruitful interaction was held between the visitors and the representatives of the Institute.

Registration of Students and Students Services

17 Registration of students

During the year under report 10384 students were registered by the Institute as against 8319 students during the previous year. The number of students whose registration was current at the end of the year was 51,459 including those whose registration was extended under regulation 21(3). A statement on the growth of registered students as well as those who have completed the Intermediate and Final examinations is given as Appendix 'F' to the Report. The increase in students has been possible due to massive career counselling programmes held by the Institute directly and through its Regional Councils & Chapters, in various colleges and through Doordarshan, newspapers and periodicals.

18 Syllabi and Coaching

18.1 Discontinuance of examinations under the old syllabus

The last Intermediate examination under old syllabus was conducted in June 1989. The last Final examination under old syllabus will be held in December, 1990.

18.2 Updating of study material for old syllabus

The study material relating to Economic Legislation, Secretarial Practice (relating to other laws) and Taxation subjects of the final course under old syllabus have been revised and updated. Suggested answers have also been updated incorporating various amendments in law and procedure and relevant recent judicial pronouncements. A comprehensive and integrated note was prepared on the amendments made in the Companies Act, 1956 by the Companies (Amendment) Act 1988 with a view to update the study material on Company Law, Company Secretarial Practice and other allied subjects to serve all students of Intermediate and Final courses under old as well as new syllabus.

18.3 Updating of study material for new syllabus

A thorough revision of study material of major subjects for new syllabus was carried out during the year. The revision for the remaining subjects alongwith preparation of suggested answers for the revised test papers, is in progress and expected to be completed in 1989-90. The Companies (Amendment) Act, 1988 and the notifications issued thereunder have been suitably incorporated in the revised study material. The study material has generally been welcomed and found to be very useful by students.

18.4 Translation of study material and suggested answers in Hindi.

In view of popular demand from students in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Delhi the matter regarding translation of some of the existing study material and suggested answers in Hindi is under consideration.

18.5 Preparation of Guideline Answers

The guideline answers for the June and December, 1988 examinations, both under old and new syllabi, were brought out within the time frame, for the benefit of students.

18.6 Coaching

All the students registered during the year were enrolled for postal tuition. In all 1,13,163 response sheets were received, got evaluated and returned to the students during the year. A total number of 13,669 coaching completion certificates were issued during the year under report.

18.7 Library Facilities

During the year, books worth Rs. 1,91,510 were added to the Headquarters/Regional Councils/Chapters libraries on various subjects in law, finance and

management areas. Pursuant to the library policy formulated in the year 1986, a scheme known as Chapter Library Assistance Scheme has been framed to provide library facilities at Chapters having no library at all and improve library facilities at Chapters where library facilities were inadequate. This has been done with a view to ensure that all Chapters have a library within a span of five years from the date of commencement of the policy. Under the scheme, Chapters are required to contribute 25 per cent of the cost. Thirteen Chapters which availed the scheme during the year were supplied with one steel almirah and two sets of books for each subject of the Preliminary, Intermediate and Final examinations of the Institute under the new syllabus at an estimated cost of Rs. 12,000 per Chapter. It is proposed to extend the library facilities to the remaining Chapters in the year 1989-90 so that minimum library facilities are available in all Chapters. The proposal to establish libraries in collaboration with Colleges| Universities|other institutions in remote areas, is under consideration.

18.8 Paper Clipping Service

Paper clipping service and subject-wise files of paper clippings are maintained in Headquarters Reference Library.

18.9 Documentation Centre

Presently we are making available copies of various judgements and notifications to our readers on nominal payment. It is proposed to upgrade this facility by having a documentation service so that information could be supplied to members|organisations with source material.

18.10 Career Counselling

To give a fillip to university liaison and create general awareness about the company secretaryship course in the universities and affiliated colleges, the Institute launched career counselling programmes vigorously during the year. The Directorates of Studies and Students Services were specifically assigned the job and a number of outstation career counselling programmes were undertaken. Exhibition material, charts and posters depicting the usefulness of the company secretaryship course were prepared and made use of in the programmes organised from time to time. The Institute also participated in the five-day 'Career and Courses' exhibition for 1990's organised at Bombay in December 1988. The Regional Councils and Chapters took keen interest in making these programmes a success. Full advantage was taken of the courtesy extended by the Doordarshan by including two programmes during the year, wherein an effort was made to propagate and project the image of the profession and to provide career guidance.

18.11 University Liaison

Efforts were continued to impress upon the universities to start Bachelor's degree in corporate secretaryship or an optional stream in corporate secretaryship comprising of three papers in the existing B.Com. degree course. The proposal is under consideration of some of the universities.

18.12 Recognition by Universities

During the year under report, recognition to the membership of the Institute as equivalent to a Post-Graduate degree for the purposes of pursuing Ph.D. has been secured from Shivaji University and University of Bombay. The total recognitions secured so far are given in Part III of Appendix 'E' to the Report.

18.13 Establishment of Oral Tuition Centres in collaboration with Universities|Colleges|Other Institutions

The efforts in this connection auspicated during the last year were continued and the following new oral tuition centres have been established :

(a) Chavara Academy Oral Coaching Centre at Cochin w.e.f. June 1989 session

(b) S. A. Jain College Oral Coaching Centre at Ambala to commence from December 1989 session.

18.14 Student Company Secretary

The timely publication and despatch of the bulletin to the students has been maintained. A constant endeavour is being made to enrich the contents further to enhance its utility so that it serves the students by providing the latest information.

18.15 Lectures on Audio|Video Tapes

Work on audio tapes has been taken in hand. It is proposed to bring out a few audio lectures on some of the areas of company secretaryship course during the year 1989-90.

19 Examinations

During the year, the Institute conducted two examinations in June and December in 36 and 37 centres respecting spread all over India and one centre abroad in Abu Dhabi. Commencing from December, 1988 session, examination centre at Udaipur was re-established. The Intermediate and Final examinations were concurrently held under old and new syllabi. In June 1988 examination, 629 and 426 candidates and in December 1988 examination, 605 and 398 candidates completed the Intermediate and Final examinations respectively. A statement showing the number of candidates appeared and declared successful in the June 1988 and December 1988 examinations is given as Appendix 'G' to the Report.

20 All India Prize Awards

20.1 Award Winners

Sarvashri Shyamak Ramayar Tata and T. A. Ramkumar from Western Region won the President's Gold Medal for exhibiting brilliant performance in the Final examinations held in June 1988 and

December 1988 respectively. Sarvashri Sanjay J. Shah and Pramod Bajranglal Kedia, again from the Western Region, were the winners of the President's Silver Medal for their meritorious performance in the Intermediate examinations held in June 1988 and December 1988 respectively.

20.2 Distribution of Awards

The All-India prize awards were distributed to the prize winners at Bangalore on 2 March, 1989 at the inaugural function of the 17th National Convention of Company Secretaries, by the hands of the Chief Guest, Shri G. N. Mehra, Secretary, Departments of Public Enterprises and Company Affairs, New Delhi.

20.3 Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award

To mark celebration of the Pt. Jawaharlal Nehru's Birth Centenary and 40th year of India's Independence, the Institute established a few more prize schemes, including two prizes exclusively for lady candidates for their overall best performance in the Intermediate and Final examinations. For the first time, the newly constituted Pt. Nehru Birth Centenary Annual Award was given to Shri Ajay Agarwal of Calcutta at the National Convention.

20.4 Regional Prize Awards

The regional prize awards instituted by the Regional Councils were distributed to the students concerned at functions organised by the respective Regional Councils.

21 Scholarships and Financial Assistance to students

Pursuant to the existing Merit Scholarship Scheme scholarships were given to ten students each, as found eligible, for June 1988 and December 1988 sessions. Similarly, financial assistance under the Merit-cum-Means Assistance Scheme was granted to two and seven candidates, as found eligible, for December 1987 and June 1988 examinations respectively.

22 Merit Certificates

With a view to recognising merit and to encourage students to perform well in the examination, merit certificates were awarded to students who secured first ten ranks in the Intermediate and Final examinations held under the old and new syllabi in June and December 1988.

23 Use of Hindi in the Examination

In line with the national policy to promote progressive use of Hindi in all spheres of life, the Institute continued to strive in this direction and allowed use of Hindi as an alternative medium for the Preliminary, Intermediate (under old and new syllabi) and Final (old syllabus) examinations.

24 Management|Practical|Apprenticeship Training

24.1 Empanelment

During the year under report, 109 and 101 companies were added to the panel of companies recognised for imparting management and practical training, respectively. Thirtyfive more practising company secretaries were permitted to impart apprenticeship training. The practising company secretaries are now required to pay an increased stipend of atleast Rs. 500 per month to each apprentice undergoing training on a whole-time basis and at Rs. 250 per month for part-time apprenticeship. The position regarding the total number of companies and practising company secretaries empanelled, and the number of students sponsored for undergoing various training is given below :

	No. of companies recognised as on 31st March			No. of students sponsored during the year ending as on 31st March		
	1987	1988	1989	1987	1988	1989
Management Training	120	262	371	16	74	170
Practical Training	580	661	762	326	432	542
Practising Company Secretaries	26	32	67	25	40	80

During the year there were a record number of companies imparting training and the number of students undergoing training was also all-time high. Efforts will continue to increase the number of companies agreeing to impart management training to our students.

24.2 Monitoring of Practical|Management Training

To ensure that training imparted is kept in consonance with the time, meets the aspirations of students, renders requisite assistance to the management of the companies and does not become obsolete, there is a paramount need to maintain rapport and link between the students undergoing management|practical training and our members and the companies imparting training. An attempt is therefore being made to maintain a panel of our members as students' guides in all important cities, to monitor the training of students. It is proposed to attach every student sponsored for training to a member in the panel as guide. The trainee would be advised to meet the guide at regular intervals and interact with him|her on various areas covered in training to generally clarify the doubts, if any, and to seek guidance on professional matters. In addition, training officers may be provided in each regional office in due course.

24.3 Secretarial Modular Training Programmes

During the year under report, 18 Secretarial Modular Training Programmes were held—one by Headquarteds, four by FIRC, three each by NIRC, SIRC & EIRC and one each by Pune, Ahmedabad, Bangalore and Jaipur Chapters—attended by 649 students. So far a total of 36 Secretarial Modular Training Programmes have been conducted and over 1385 participants have attended and successfully completed the programmes. By and large the programmes were found useful by students and the main thrust of having interaction with seniors in the profession and exposure to practical aspects, could be achieved.

24.4 Training Methodology and Teaching Aids

With a view to enhance further the effectiveness and efficacy of the Secretarial Modular Training Programmes and to secure active involvement of the participants in the programmes, training techniques like case studies, simulated exercises, role play etc., are increasingly being introduced. Stress is also laid on the use of audio|visual aids during the training programmes. The Institute has accordingly acquired a few video films and the Regional Councils have been provided with overhead projectors to facilitate visual display through transparencies.

ACCOUNTS AND AUDIT

25 Publication of Accounts

25.1 In accordance with sub-section (5) of section 18 of the Company Secretaries Act, 1980, the audited accounts for the year ended 31 March, 1989 have been published alongwith the auditors' report thereon and attached to the Council's Report.

25.2 Income & Expenditure

The financial results for the year exhibit a surplus of income over expenditure to the extent of Rs. 1341672 as compared to a deficit of Rs. 371237 for the previous year. The surplus is largely due to increase in income from student registration, revision of membership fees, sale of publications and advertisements for 'Chartered Secretary' and economy in expenditure without dilution in the quality of services rendered. Thus, the review undertaken by the Council during last year has brought fruitful results.

25.3 Capitalisation of fee

As per the existing practice a sum of Rs. 188100 being the entrance fees received from Associates and Fellows has been capitalised. The Capital Reserve at the end of the year stood at Rs. 2037025.

25.4 Building Reserve

As per current practice, a sum of Rs. 258669 on account of interest accrued on fixed deposits earmarked for Building Fund has been appropriated directly to the Building Reserve Account. The capital payments to the tune of Rs. 20577 towards part of the cost of building of Central Office and also of Baroda Chapter have been transferred to General Reserve, from Building Reserve. The Building Reserve shows a total of Rs. 2496332 as compared to the previous year's total of Rs. 2258240.

25.5 General Reserve

The General Reserve which stood at Rs. 14273955 at the end of the last year now shows an increased figure at Rs. 15636204 with the addition of surplus of income over expenditure of Rs. 1341672 and transfer of Rs. 20577 from Building Reserve as indicated in paras 25.2 and 25.4.

26 Auditors

Messrs D. K. Sengupta & Co., Chartered Accountants, New Delhi have been reappointed as auditors of the Institute by the Council for audit of the accounts for the year ended 31 March, 1989, pursuant to the requirement of section 18(4) of Company Secretaries Act, 1980. The auditors' report is published alongwith the statements of accounts.

27. Additions to Land and Building

27.1 NIRC Building

The building plan for the NIRC building in Prasad Nagar Institutional Area, Karol Bagh, New Delhi, has since been approved by the Delhi Development Authority and with the expected appointment of civil contractors by September, 1989, the construction is expected to commence in the latter half of 1989.

28 Company Secretaries Benevolent Fund

The Company Secretaries Benevolent Fund registered as a Society by the Council in 1976 has now a strength of 783 life members and 76 ordinary members as on 31 March, 1989. The Bye-laws of the Fund have been amended during the year deleting ordinary membership and revising the life membership subscription from Rs. 250 to Rs. 500 with effect from 1 September, 1989. The reserves and surplus of the Fund amounted to Rs. 4.78 lakhs as on 31 March, 1989. The Council has decided to donate a sum of Rs. 10,000 from the surplus of the last National Convention of the Institute to the Capital Fund of the Society as per past practice.

29 Employees Welfare

The Council of the Institute is always according priority to employees' welfare activities so as to sustain and boost the morale of employees. The Council in the past had encouraged its employees to take initiative to form Employees' Club, Employees' Co-operative Thrift & Credit Society, Employees' Benevolent Fund and Employees' Group Housing Society. Grants are regularly given to Employees' Club and Employees' Benevolent Fund. 'The COMPSE Cooperative Group Housing Society Ltd.' (Regd.) formed in the year 1980, was given financial assistance by way of loan by the Council to obtain a plot of land from the DDA admeasuring 1.283 acres for construction of dwelling units at Patparganj (Chilla) Delhi. During the year 1988-89, the Council granted further financial assistance of Rs. 7,89,900 as marginal house building loans to 41 employees, in addition to the loan obtained from other sources by the members of the Society. The building costing around Rs. 1.15 crores is expected to be completed by the Society by December 1989

30 Acknowledgements

The Council places on record its deep appreciation of the valuable contribution made by the members of the second elected Council which completed its term on 31 December, 1988. It was an eventful term of three years and the profession and the Institute

made considerable progress with regard to recognition and growth of the profession, particularly practising company secretaries. The Council also acknowledges its gratitude to the Ministers and officers of the Central Government, specially the Department of Company Affairs for their continued guidance and support to the Institute and the profession, during the year under review. The Regional Councils and Chapters continued to provide adequate assistance to the Council in the development of the profession in their regions and particularly with regard to registration of more students. The State Governments, corporate sector and the Chambers of Commerce & Industry in the country were generally inclined to consider the request of the Institute for further recognitions and growth of the profession, and with regard to utilisation of the services of the members of the Institute. The Secretary & Executive Director and his team in the Secretariat admirably conducted themselves in the efficient and smooth conduct of elections under the new set of Regulations and continue to discharge their functions efficiently during the year under review. We wish to convey our appreciation to all of them.

For the Council of the Institute
of Company Secretaries of India

Sd/-
(SHYAMAL SEN)
President

New Delhi
September 7, 1989

APPENDIX 'A'

STANDING AND NON-STANDING COMMITTEES AND EDITORIAL ADVISORY BOARD FOR 1989

(As on 1-1-1989)

I. STANDING COMMITTEES

1. Executive Committee

Shri Shyamal Sen, President	Chairman
Shri D. C. Jain, Vice-President	Member
Shri V. K. Majotra (Govt. Nominee)	Member
Shri D. K. Prahlada Rao	Member
Shri A. N. Navare	Member

2. Examination Committee

Shri D. C. Jain, Vice-President	Chairman
Shri T. V. Padmanabhan	Member
Shri N. J. N. Vazifdar	Member

3. Disciplinary Committee

Shri Shyamal Sen, President	Chairman
Shri V. P. Gupta (Govt. Nominee)	Member
Shri Bipin S. Acharya	Member

II. NON-STANDING COMMITTEES, ETC.

1. Training & Educational Facilities Committee

Shri D. C. Jain, Vice-President	Chairman
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri A. N. Navare	Member
Shri P. T. Rangamani	Member
Shri Harish K. Vaid	Member
Shri N. J. N. Vazifdar	Member

2. Professional Development Committee

Shri Shyamal Sen, President	Chairman
Shri Bipin S. Acharya	Member
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri O. P. Dani	Member
Shri S. D. Israni	Member
Shri D. K. Prahlada Rao	Member
Shri T. V. Padmanabhan	Member
Shri P. T. Rangamani	Member
Shri B. P. R. Vithal (Govt. Nominee)	Member

3 Co-ordination Committee
(for coordination with ICAI & ICWAI)

Shri Shyamal Sen, President	Chairman
Shri D. C. Jain, Vice-President	Member
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri O. P. Dani	Member
Shri A. N. Navare	Member

4. Post Membership Qualification Syllabus Implementation Committee

Shri Shyamal Sen, President	Chairman
Shri S. D. Israni	Member
Shri T. V. Padmanabhan	Member
Shri D. K. Prahlada Rao	Member
Shri Harish K. Vaid	Member

III. PERSPECTIVE PLANNING GROUP

(for preparation of a perspective plan upto 2000AD)

Shri C. R. Shah	Chairman
Shri Shyamal Sen, President	Member
Shri D. C. Jain, Vice-President	Member
Shri B S. Doraiswamy	Member
Shri S. D. Israni	Member
Dr. P. P. Mistry	Member
Shri D. K. Prahlada Rao	Member
Shri T. P. Subbaraman	Member

IV. EDITORIAL ADVISORY BOARD

(for publication of Chartered Secretary)

Shri Shyamal Sen, President	Chairman
Shri Dilep Goswami	Member
Shri U. P. Mathur	Member
Shri T. N. Pandey	Member
Shri Paul Joseph	Member
Shri J. C. Seth	Member
Shri Harish K. Vaid	Member
Shri T. P. Subbaraman	Editor & Convenor

V. ADVISORY GROUP FOR MANUAL OF COMPANY SECRETARIAL PRACTICE

Shri C. R. Shah	Chairman
Shri Shyamal Sen, President	Member
Shri D. C. Jain, Vice-President	Member
Shri B. P. Dhanuka	Member
Shri R. Ramachandran	Member

APPENDIX 'B'

GIST OF ACTIVITIES OF THE REGIONAL COUNCILS AS PREPARED FROM THEIR ANNUAL REPORTS FOR THE YEAR 1988-89

Eastern India Regional Council

During the year under review, the Regional Council organised a number of lectures, symposium and conferences. A workshop on Companies (Amendment) Act, 1988 was organised on 4 June, 1988. A symposium on 'Sick Industries, Prediction, Prevention and Cure' on 23 July, 1988 and a deliberation meeting on 'Certification of Annual Return' on 17 September, 1988 were organised in collaboration with BNCCI. In addition, meetings on 'Finance Bill and 'Manufacturing and other Companies (Auditor's Report) Order, 1988 were organised on 2 March, 1989 and 30 March, 1989 respectively. The second Regional Conference on 'Financing of Industrial Enterprises' organied on 18 & 19 November, 1988 was inaugurated by Shri A. M. Chakraborti, Member, Company Law Board. A two day Students Conference on the theme "Towards a Responsible Company Secretary' organised on 27 & 28 August, 1988, was inaugurated by Dr. N. G. Chaudhury, the then Chairman & Managing Director, Tribeni Tissues Ltd. Company Law quiz and cultural programmes were also conducted by the students. The Annual Meet and Dinner were held on 6 August, 1988 and 25 February, 1989 at Calcutta Rowing Club. Shri D. K. Basu, Sr. Partner, Orr Dignam was the Chief Guest on 6 August, 1988 and Shri Vinod Krishna, Managing Director, Metal Box India Ltd. on 25 February, 1989. A career counselling meeting was organised in collaboration with the University of Calcutta on 30 April, 1988. Study circle meetings for members and oral tuition classes for students were regularly organised during the year.

Three secretarial modular training programmes—in May, 1988, August, 1988 and February, 1989 were organised during the year. The Regional Council strengthened its library, set up an Employment Sub-Committee to take up problems of members seeknig employment and provided placement services. The monthly news bulletin was regularly published during the year. All the five Chapters in the region reported activities and Ranchi Chapter obtained the regional best Chapter award for the year 1987-88.

Northern India Regional Council

The Regional Council undertook several activities and programmes during the year including inauguration of its 10th Chapter at Udaipur. It organised nine talks on topics of professional interest, a prize award function, felicitation function, eight study circle meetings and two seminars—one at New Delhi on the Companies (Amendment) Act, 1988 and the other at Shimla on Public Sector Management. It held a two-day work-shop on the Companies (Amendment) Act, 1988 and the Direct Tax Laws (Amendment) Bill—Implementation of Provisions regarding on 18 & 19 July, 1988 and a two-day Regional Conference on Corporate Finance & Stock Exchange Operation on 5 & 6 November, 1988. An annual get together meeting was organised for members and students on 26 February, 1989.

Three secretarial modular training programmes and seventeen career guidance lecture-cum-exhibitions for students were organised. The Regional Council achieved and in fact exceeded the target of students registration for the year. Better environment and facilities were provided, both at the library and oral coaching centres. The number of books was increased and the space for library was extended. A record number of students were enrolled for the oral coaching classes and a picnic for the students was also organised on 19 February, 1989. The Employment Service Scheme continued to serve both members and students. The building project was activised to commence construction in 1989. The monthly NIRC-ICSI news letter continued to be brought out regularly with the addition of new columns. The Company Secretaries Cooperative Group Housing Society, sponsored earlier by the Regional Council completed its formalities and is awaiting allotment of land from the D.D.A.

All the ten Chapters under NIRC continued to report their activities. A meeting of Chapter Chairman with Chairman and Members of NIRC was held on 22 January, 1989 at Delhi to improve the activities of Chapters. The Kanpur Chapter for the third time was adjudged as the best Chapter in the Northern Region, for the year 1987-88.

Southern India Regional Council

The Regional Council and its constituent Chapters organised various programme during the year. The Regional Council conducted twenty five professional development programmes including a programme exclusively for public sector undertakings and a unique programme on Capital Market and Stock Exchange Operation in collaboration with the Madras Stock Exchange. The Regional Conference was organised on 2 & 3 September, 1988 at Madras on the theme 'Industrial Developments—Challenges and Opportunities, inaugurated by Shri T. V. Venkataraman, IAS, Chairman & Managing Director, Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd. Madras. The career counselling exhibitions and talks on a large scale were organised. Two career counselling exhibitions covering 4200 students were organised—one at Ethiraj College Madras open to all city colleges and the other at the informex—Crimex exhibitions organised by the Madras University. In addition, over fifteen career counselling talks in important cities were organised.

The Regional Council organised 5 batches of oral coaching classes for intermediate and Final students and three secretarial modular training programmes in commemoration of the 40th anniversary of India's independence, a special felicitation function for past Chairmen of Regional Council and Council Members of southern region, was organised. The lecture meetings held included on strees management for executives, acceptance of deposits by companies, pollution control laws, certification of annual return, unfair

trade practices, etc. More books for library were added and the monthly news letter was regularly brought out. Under the Employment Service Scheme, requisitions from prospective employers were duly responded. The Chapters generally reported their activities.

During the year, two more Chapters have been added to the SIRC namely the Mangalore and Pondicherry Chapters. The Nilgiris Chapter got merged with Coimbatore Chapter for administrative convenience. The Pondicherry Chapter was inaugurated by the Chief Minister of Pondicherry, Shri M O H Farook Maraicar. The Bangalore Chapter obtained the regional best Chapter commendation certificate for the year 1987-88.

Western India Regional Council

The Regional Council and its constituent Chapters organised a number of group discussions, lecture meetings, study circle meetings, workshops and orientation programmes during the year. The annual Regional conference was held on 30 September and I October 1988 at Bombay on 'Corporate Sector—Opportunities and Challenges'. A programme to felicitate the President and Vice-President of the Institute and other newly elected members was organised on 25 March, 1989 followed by a family get-together over dinner.

Regular oral coaching classes were continued to be held in collaboration with Sydenham College of Commerce and Economics, Churchgate and N. M. College of Commerce and Economics, Vile Parle. The Regional prize awards were given to students of the Western Region exhibiting outstanding performance in the Intermediate and Final examinations of the Institute. Four secretarial modular training programmes were held during the year for the final passed students of the Institute. The news bulletin of the Regional Council "FOCUS" was converted into a monthly bulletin from July, 1988. A number of books was added to the library. More members and students availed of the Employment Service Scheme of the Regional Council.

Out of its eight Chapters, Ahmedabad Chapter was adjudged for the third year in succession, as the best Chapter, in the Western Region as well as the national best Chapter on all India basis and was given the annual rotating shield. Baroda Chapter was declared by the Regional Council as the Best participating Chapter in the Western Region.

Financial Position and Number of Students and Members in the Regional Councils.

The comparative financial position and the number of students and members in the four Regional Councils as reported at the close of the year on 31 March, 1989 were as under :—

ITEM	REGIONAL COUNCILS			
	EIRC	NIRC	SIRC	WIRC
(a) Financial Position (in Rupees)				
Surplus for the year ended 31-3-1989	167509	94891	109674	28584
Reserves and Surplus as on 31-3-1989	460059	736454	654597	(Deficit) 272405
(b) Number of Students and Members				
Students				
as on 31-3-1988	8728	14634	13860	13037
as on 31-3-1989	9191	15086	14038	13079
Members				
as on 31-3-1988	981	1466	1625	2263
as on 31-3-1989	1015	1564	1686	2404

APPENDIX 'C'

GROWTH OF MEMBERS

Year	Total number of Associate Members	Total number of Fellow Members	Total number of Total (2+31)	Annual Growth over Previous year Absolute	Annual Growth over Previous year %	Removal from Register Due to Non-payment	Removal from Register Due to Death	Removal from Register Total (7+81	% of total No. of removals to total membership	No. of C.P. holders	% of C.P. holders to total membership
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10	11	12
A 1983-84	3993(80.73)	953(19.27)	4946(100)	498	11.20	52(81.25)	12(18.75)	64(100)	1.29	556	11.24
1984-85	4264(81.19)	988(18.81)	5252(100)	306	6.19	83(88.29)	11(11.71)	94(100)	1.79	672	12.80
1985-86	4405(78.59)	1200(21.41)	5605(100)	353	6.72	98(92.45)	8(7.55)	106(100)	1.89	749	13.36
1986-87	4648(78.25)	1292(21.75)	5940(100)	335	5.98	68(82.92)	14(17.08)	82(100)	1.38	879	14.80
1987-88	4947(78.09)	1388(21.91)	6335(100)	395	6.65	76(86.36)	12(13.64)	88(100)	1.39	1065	16.81
1988-89	5179(77.66)	1490(22.34)	6669(100)	334	5.27	196(92.02)	17(7.98)	213(100)	3.19	1192	17.87
B Absolute change (1983 84 to 1988-89)	1186(68.83)	537(31.17)	1723(100)			144(96.64)	5(3.36)	149(100)			
C Percentage change (1983-84 to 1988-89)	29.70	56.34	34.83			276.92	41.66	232.81			
D Average Annual Growth Rate(%)	5.94	11.27	6.69			55.38	8.33	46.56			
E Compound Annual Growth Rate (%)	5.34	9.34	6.16			30.40	7.22	27.20			

Note : Figures in brackets are in percentage —C.P.—Certificate of Practice.

GROWTH OF MEMBERS HOLDING CERTIFICATE OF PRACTICE

	Year	Issued during the year	Renewed during the year	Cancelled during the year	Net increase during the year	Total number of members holding certificate of Practice as on 31st March
	1	2	3	4	5	6
A	1983-84	136	420	30	106	556
	1984-85	160	512	44	116	672
	1985-86	145	604	68	77	749
	1986-87	185	694	55	130	879
	1987-88	247	818	61	186	1065
	1988-89	258	934	131	127	1192
B. Absolute change (1983-84 to 1988-89)						636
C Percentage Change (1983-84 to 1988-89)						114.38
D Average Annual Growth rate (1%)						22.87
E Compound Annual Growth rate (%)						16.50

APPENDIX 'D'

LIST OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES ORGANISED DURING THE YEAR 1988-89

March 28—April 5, 1988	Orientation Programme on "Central Excise Law & Procedure and Company Law Board (Bench) Rules, 1975" at New Delhi.
June 11—12, 1988	ICSI—ICAI Joint Professional Development Programme on "Corporate Finance and Law" at Bangalore.
August 6—7, 1988	National Seminar on 'Restrictive and unfair Trade Practices" at New Delhi.
September 16—17, 1988	ICSI—BPE Joint Professional Development Programme on "Secretarial and Legal Management in Government Companies" at New Delhi.
March 2—4, 1989	17th National Convention on "Changing Profile of the Profession and Tasks Ahead" at Bangalore.

APPENDIX 'E'

(Part I)

RECOGNITIONS SECURED FOR A COMPANY SCRETARY IN PRACTICE

(Upto June, 1989)

Sl. No.	Statutute/Authority	Purpose	When Obtained
1.	STATUTES RULES AND REGULATIONS		
1.	The Companies Act, 1956 (as amended in 1988[1]):	(i) "Secretary" in whole-time practice defined as a member of the Institute in practice and not in full-time employment [Section 2(45A)]	
		(ii) For making the statutory declaration in Form 1 of compliance of legal formalities for registration of a company [Section 33(2)][2].	
		(iii) For making a verified declaration in Form 19 of compliance for obtaining a certificate of commencement of new business (section 149)[2]	May, 1988
		(iv) For signing the annual return of listed companies (section 161)[2]	w.e.f. 15-6-1986
		(v) To certify that requirements of Schedule XIII have been complied with as regards statutory guidelines. for appointment of managerial personnel and payment of managerial remuneration to them without the approval of the Central Government [Section 269(2) and Schedule XIII)[2].	
2.	The Companies inpaid Dividend (Transfer to General Revenue Account of the Central Government) Rules, 1978 —Section 205A(6) and Rule4(1).	To certify in Form 1 that the whole of the amount remaining unpaid or unclaimed for a period of three years from the date of transfer to the special account under sub-sections (1) and (2) of section 205A has been transferred to the General Revenue Account of the Central Government.	March 1988
3.	Company Law Board (Bench) Rules, 1975[3] (Rule 28).	To act as authorised representative before the Company Law Board Benches.	December 1975
4.	Wealth-tax Rules, 1957[3] [(Rule 8A(7).]	Recognised for registering as a valuer of stocks, shares debentures, etc.	October 1974
5.	Income-tax Act, 1961[3] and income-tax Rules, 1962[3] [Section 288(2) and Rule 49 and 50)[3].	To act as authorised representative before the Income tax authorities[3].	July 1979
6.	Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission Regulations, 1974[3] (Proviso to Regulation 65).	To act as authorised representative before the monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.	May 1982
7.	(i) Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (Guideline No. F1/8/SE/82 dated 20-8-1982).	Certificate to the effect that allotment has been made by the company on the basis approved by the stock exchange.	August 1982
	(ii) Press Note No. 14/(2)/SE-85 dated 15-10-1985	In respect of companies which raise capital under the Capital Issues (Control) Act, 1947/Capital Issues (Exemption) Order, 1969, a certificate to the effect that shares out of the promoters' quota have been stamped to the effect that such shares shall not be sold/transferred/hypothecated for a period of at least three years from the date of allotment of shares.	October 1985
	(iii) (a) The Ahmedabad Share and Stock Brokers Association, Ahmedabad.	Inspection of books of accounts and other documents of members of stock exchange required by guideline F. No.	March 1984
	(b) Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd. Kanpur.	1/4/SE/83 dated January 29, 1983.	April 1984

1. Only secretary in whole-time practice is recognised for these purposes.
2. Secretary of a company can also undertake such assignment.
3. Under section 288(2)(v) of the Income-tax Act those who have passed the accountancy examination recognised under Rule 50 of Income-tax Rules only can act as authorised representative. Rule 50, inter alia includes Govt. Diploma holder in Company Secretaryship (GDCS) the Final examination of the Institute of Company Secretaries of India.

1	2	3	4
8.	Central Excises and Salt Act, 1944, and Central Excise Rules, 1944 (Section 35Q and Rule 232B).	To act as authorised representative before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal and other authorities.	October 1982
9.	Customs Act, 1962 and Customs (Appeals) Rules, 1982 (Section 146A and Rule 9).		
10.	Gold (Control) Act, 1968, and Gold (Control) Appeals Rules, 1982 (Section 101A and Rules 9).		
11.	The Trade and Merchandise Marks Rules, 1959 (Rule 148).	Qualified to be registered as a trade marks agent.	April 1985
12.	Import & Export Policy, 1988-91 (Volume I)		
	(i) Para 213(1) of Policy and 340(1) of Procedures, Appendix XVIII A	(i) Certification of export performance required to be submitted by a registered exporter/export house to the Chief Controller of Imports & Exports for obtaining Export House/Trading House certificate.	April 1982
	(ii) Para 75(1) of Policy and Para 249(4) of Procedures	(ii) Certification regarding th eligibl annual production requi cd for obtaining import licence for the import of spares for aftersale services by actual users (industrial).	
	(iii) Para 78(4) & (5) of Policy	(iii) Certification of particulars of the operating fleet, and all relevant documents required by (a) a person owning a fleet of at least 25 motor vehicles for importing restricted spares as well as by (b) State Transport undertakings for their additional requirements.	
	(iv) Para 51(2) of Policy	(iv) Certification of statement of consumption required by the eligible actual users to make direct imports to the extent of 25 per cent of the c.i.f. value of their actual consumption of the items shifted from CGL to canalised list in this Policy or at any time subsequently.	April 1984
	(v) Para 157(2) of Policy	(v) Certification of the year wise value of sales turnover of ammunition of the eligible licensed arms dealers required for the import of specified type of ammunitions.	
	(vi) Para 105(1) of Policy	(vi) Certification regarding the purchase turnover of books of persons holding valid registration certificate under the concerned Shops and Establishments ratute, for the import of books other than those covered by Open General Licence.	
	Handbook of Import-Export Procedures, 1989-91		
	(vii) Appendix V-A Part II	(vii) Consumption certificate required to besubmitted for import of raw materials/components/consumables and spares (other than Capital goods) by all actual users and public sector undertakings for initial/supplementary licences.	April 1985
	(viii) Appendix XV-H and Para 340(1) of Procedures	(viii) Certification of export performance required to be submitted by export-oriented unit to the Export Commissioner for obtaining Export Performance Certificate.	April 1982
	(ix) Appendix XV-E	(ix) Certificate of the statement of exports under equity participation required by claiming REP licence against the export of machinery and equipment against Indian equity participation in joint ventures abroad.	
	(x) Appendix XVIII-B	(x) Certification regarding realisation of net foreign exchange required by Export/Trading House for claiming additional licence.	April 1985
	(xi) Appendix V-A Part I and Para 232(2) of Procedures	(xi) Certification of statement of requirement, consumption, stocks, etc., for Import of non-iron & steel items appearing in Appendices 2B and 3A and iron & steel items appearing in Appendices 2B and 3B of the Import and Export Policy, 1988-91].	May 1986

II. INSTITUTIONS			
13. All India Financial Institutions		Certification with regard to the following	
(i) Industrial Development Bank of India		(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement	
(ii) Industrial Finance Corporation of India		(b) Borrowing limits of a company under section 293(1)(d) of the Companies Act, 1956, including details of share capital, authorised, issued, subscribed and paid-up and the actual borrowing	July 1981
(iii) Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.		(c) List of members of a company	
(iv) Unit Trust of India		(d) Certificate regarding exemption to proposed borrowing under the Capital Issues (Exemption) Order 1969.	July 1983
(v) Life Insurance Corporation of India.		(e) Copies of resolutions passed at company meetings to be furnished to financial institutions.	
(vi) General Insurance Corporation of India		-do- (*d*) to (e)	January 1986
(vii) Industrial Reconstructoin Bank of India.			
III. HIGH COURT			
14. Calcutta High Court (letter No. Cor. 424 dated 9-2-1983)		Introduction of panel containing company secretaries for appointment as receivers arbitrators, trustees and special officers.	February 1983
IV. BANKS			
15. Indian Banks Association (Circular No. SO/69-73-III-C- 82/9565 dated 15-4-1983 and Circular No. SO/69-73-C-86/4763 dated 16-6-1986).		Status/Search Reports for banks	April 1983
V. STATE LEVEL AGENCIES			
16. State Financial/Industrial Investment/Development Corporations.			
(i) Himachal Pradesh Financial Corporation Shimla.		(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement	July 1982
		(b) Borrowing limits of a company under section 293 (1)(d) of the Companies Act 1956, including details of share captal authorised, issued subscribed and paid-up and the actual borrowing	
(ii) West Bengal Financial Corporation[4], Calcutta.		-do-	August 1982
(iii) Maharashtra State Financial Corperation, Bombay		-do-	April 1984
(iv) U.P. State Industrial Development Corpotation Ltd. Kanpur.		-do-	December 1985
(v) Assam Industrial Development Corporation Ltd[4].- Guwahat .		(a) Necessary powers of a company and its directors to enter into an agreement.	
		(b) Borrowing limits of a company under section 293(1)(d) of the Companies Act 1956, including details of share capital authorised, issued subscribed and paid-up and the actual borrowing.	March 1982 October 1988
		(c) List of members of a company	
		(d) Certificate regarding exemption to proposed borrowing under the Capital issues (Exemption) Order, 1969.	
		(e) Copies of resolutions passed at company meetings to be furnished to financial institutions.	
(vi) Gujarat Industrial Investment Coroporation Ltd[4]- Ahmedabad.		-do-	October 1982 August 1986
(vii) Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.. Dimapur.		-do-	September 1983
(viii) Uttar Pradesh Financial Corpoatio,n Kanpur.		-do-	September 1983
(ix) State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Ltd[4]., Madras.		-do-	October 1983
(x) The Tamil Nadu Industrial Invcstment Corporation Ltd[4]. - Madras		do-	November 1983
(xi) Karnataka State Industrial Investment and Development Corporation Ltd., Bangalore.		-do-	July 1982 February 1986
(xii) The Pradeshiya Industrial and Investment Corporation of U.P. Ltd., Lucknow).		-do-	March 1986
(xiii) Andhra Pradesh State Financial Corporation, Hyderabad		-do-	June 1982 March 1986
(xiv) The Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Chandigarh.		-do-	March 1986

4. In addition certificate in respect of seach reports from the records maintained by the office of the Registrar of Companies will be accepted.

(xv) The State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd., Bombay	-do-	July 1982 March 1986
(xvi) Haryana Financial Corporation[4] Chandigarh	-do-	September 1982 April 1986 May 1988
(xvii) Punjab Financial Corporation, Chandigarh	-do-	May 1986
(xviii) Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Ltd., Hyderabad	-do-	May 1982 June 1986
(xix) Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited[4], Jaipur.	-do-	August 1986
(xx) Industrial Promotion and Investment Corporation of Orissa Ltd[4]. Bhubaneshwar	-do-	September 1982 August 1986
(xxi) Gujarat State Financial Corporation, Ahmedabad	-do- (a) to (e)	April 1982 September 1986
(xxii) The Zoram Industrial Development Corporation Ltd. Mizoram	-do-	March 1987
(xxiii) Kerala State Industrial Development Corporation Limited.[5] Trivandrum	-do-	August 1986 June 1987
(xxiv) Rajasthan Financial Corporation[5]. Jaipur	-do-	September 1983
(xxv) West Bengal Industrial Development Corporation. Limited[5]. Calcutta.	-do-	July 1987 July 1987
(xxvi) Bihar State Financial Corporation[5] Patna	-do-	January, 1988
(xxvii) Delhi State Financial Corporations. New Delhi.	-do-	June 1988

VI. GOVERNMENT DEPARTMENT

17. Department of Agriculture and Corporation, Ministry of Agriculture.	A practistising Company Secretary who is not an employee of any company is recognised to issue a certificate about certain prescribed details of a company chartering foreign fishing vessels, according to the guidelines issued by the Department of Agriculture and Cooperation under their revised Charter Policy, 1986.	July 1987

5. ibid note 4.

APPENDIX 'E

Part II

RECOGNITION SECURED FOR COMPANY SECRETARIES FOR PURPOSES OF EMPLOYMENT

Sl. No.	Statute/Authority	Purpose	When Obtained
1.	Ministry of Education	Appointment to superior posts and services under the Central Government	February 1968 December 1971 July 1981
2.	Section 383A of the Companies Act, 1956	Companies having a paid-up share capital of Rs. 25 lakhs or more to employ a whole-time company secretary.	February 1975
3.	Section 2(45) of the Companies Act, 1956 and the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975	Definition of Secretary' was amended to provide for the qualifiction of the membrship of the Institute and to provide that the duties to be performed by a secretary should include duties under the Companies Act and any other ministerrial or administrative duties.	February 1975
4.	Government of Andhra Pradesh	For recruitment in public sector undertakings of the State to superior posts.	September 1981
5.	Central Government (Department of Company Affairs)	Essential qualification for recruitment to Grades I to IV in the Accounts Branch of the Central Company Law Service.	November 1982
6.	Ministry of Home Affaisrs, Department of Personnel and Administrative Reforms.	Empanelment of company secretaries for assigment of Indian experts to the developing countries of Asia, Africa and Latin America.	March 1984
7.	Government of Gujarat, General Administration, Department Circular No. RRD/1077/1120/K. dated 16-1-1978 and letter No. RDD/1081/1781/K dated 23-6-1981	Degrees/Diplomas awarded by Universities or other educational institues established by an Act of the Central or State Legislature or by an Act of Parliament automatically recognised fo the purpose of recruitment to the posts and services under the State Government.	January 1978 June 1981
8.	Government of Tamil Nadu, Personnel and Administive Reforms (Personnel R) Department Order No. G. O. Ms. No. 148 dated 7-3-1988	A.C.S recognised as one of the qualifications for the purpose of Group 'A' appointmens in the State Govermont Service in the departments concerned with Trade Commerce, Finance, Commercial Taxes and Industry where such a specidlist knowledge is called for.	March 1988
9.	Government of Kerala, Planning & Economic Affairs. (BPE) Department, Trivandrun, Order No. 10180/BPE-2/89/Plg. dated 29-5-1989	Preference to be given to candidates possessing A.C.S. qualification in addition to ACA/AICWA qualification, for recruitment for the posts of Finance Directors in State Government (Undertakings in Kerala).	May 1989

APPENDIX 'E'

(Part III)

RECOGNITIONS OBTAINED FOR DOING PH.D. COURSE UNDER VARIOUS UNIVERSITIES UPTO THE YEAR 1988-89

Sl. No.	Name of University	Reference	Faculty
1.	Bangalore University University City Campus Bangalore-560 001	Com/17663/85-86 dated 3-4-1986	Commerce
2.	Cochin University of Science & Technology Cochin	Ac. A3/10705/85 dated 25-3-1986	Commerce and allied subjects
3.	Guru Nanak Dev University Amritsar	Gen./Recog/8130 dated 23-4-1981	Commerce
4.	University of Kerala Trivandrum	Acad. C-3/2034/85 (Recogn.) dated 7-8-1985	Commerce/ Social Science
5.	Maharshi Dayanand University Rohtak	AG-III/R/81/2375 dated 28-2-1981	Commerce and allied subjects
6.	Mangalore University Office of the Mangalore University Light House Hill Mangalore-575 003	MU/ACC/Ph.D./22/84H85(A5) dated 31-7-1985	Commerce and allied subjects.
7.	Meerut University Meerut		Commerce
8.	Mysore University Viswavidyanilaya Karya Soudha Crawford Hall" Mysore-570 001	R2/917/84-85 dated 12-12-1985	Commerce
9.	Nagpur University Nagpur	Exam./Recog./5591 dated 21-9-1983	Commerce.
10.	University of Poona Ganeshkhind Pune-411 007	Elg/4251 dated 16/19-6-1981	Commerce/Law/ Management
11.	Punjab University Chandigarh 160 014	4416/GM dated 31-3-1983	Business Mangement and Commerce
12.	Sardar Patel University P. B. No. 10, Vallabh Vidyanagar Gujarat-388 120	D:A:4/1/8209 dated 26-12-1980	Commerce
13.	South Gujarat University University Campus Udhana-Magdalla Road Surat-395 007	A/Eli./Equl./17388 Dated 18/23-2-1981	Open recognition
14.	Shivaji University Vidyanagar Kolhapur 416 004	SU/Eligi./JNV/Equiv/3644 datd 21-12-1988	Commerce
15.	University of Bombay Bombay-400 032	Ei/C. 121 of 1989 dated 9-1-1989	Commerce
16.	Sri Venkateswara University Tirupait-517 502	Cl(6)25959-Ph.D./79 dated 20-2-1980	Any subject

APPENDIX 'F

GROWTH OF STUDENTS

Statement showing Registered Students, Students who completed Intermediate & Final Examinations and Number of Companies imparting training from 1983-84 to 1988-89

	Year	Registered Studetns (current)	Candidates who completed		Number of companies recognised for practial training
			Intermediate	Final	
A	1983-84	50097	1296	636	430
	1984-85	50010	1116	484	480
	1985-86	51670	1275	420	514
	1986-87	51020	1681	510	580
	1987-88	50519	1394	646	661
	1988-89	51459	1234	824	762
B	Absolute Change (1983-84 to 1988-89)	1362			
C	Percentage change (1983-84 to 1988-89)	2.72			
D	Average Annual Growth rate (%)	0.54			
E	Compound Annual Growth rate (%)	0.54			

APPENDIX 'G'

NUMBER OF STUDENTS APPEARED AND PASSED IN JUNE AND DECEMBER, 1988 EXAMINATIONS

JUNE 1988 SESSION

EXAMINATION		APPEARED	PASSED	PASS PERCENTAGE
Preliminary		50	12	24.00
Intermediate (Old Syllabus)*				
	Group-I	1882	435	23.11
	Group-II	1775	364	20.51
Intermediate (New Syllabus)**				
	Group-I	1192	253	21.22
	Group-II	1732	463	26.73
Final (Old Syllabus)@				
	Group-I	1014	509	50.19
	Group-II	1423	444	31.20
	Group-III	1583	415	26.22
Final (New Syllabus)@@				
	Group-I	87	36	41.38
	Group-II	51	24	47.06
	Group-III	84	23	27.38

* 619 candidates appeared for both groups out of whom 60 candidates passed both groups (9.69%)

** 230 candidates appeared forboth groups out of whom 50 candidates passed both groups (21.74%)

@ 120 candidates appeared for all the three groups out of whom 19 candidates passed all the three groups 15.83%)

@@ 9 candidates appeared for all the three groups out of whom 4 candidates passed all the three groups (44.44%)

DECEMBER 1988 SESSION

EXAMINATION		APPEARED	PASSED	PASS PERCENTAGE
Preliminary		82	8	9.76
Intermediate (Old Syllabus)*				
	Group-I	1475	262	17.76
	Group-II	1467	388	26.45
Intermediate (New Syllabus)**				
	Group-I	1512	287	18.98
	Group-II	2098	561	26.74
Final (Old Syllabus)@	Group-I	900	265	29.44
	Group-II	1389	410	29.52
	Group-III	1563	360	23.03
Final (New Syllabus).1@@				
	Group-I	202	111	54.95
	Group-II	120	49	40.83
	Group-III	211	99	46.92

* 536 candidates appeared for both groups out of whom 57 candidates passed both groups (10.63%)

** 348 candidates appeared for both groups out of whom 67 candidates passed both groups (19.25%)

@ 142 candidates appeared for all the three groups out of whom 8 candidates passed all thre three groups (5.63%)

@ 33 candidates appeared for all the three groups out of whom 15 candidates passed all the three groups (45.45%)

D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants

P-22, South Extension Part-II
New Delhi-110 049
29th July, 1989

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of the Institute of Company Secretaries of India as at 31st March, 1989 and the Income & Expenditure Account annexed thereto for the year ended on that date and report as under:-

1. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the accounts give a true and fair view—
   (a) in the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at 31st March, 1989; and
   (b) in the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.
2. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
3. In our opinion, proper books of accounts and records have been kept by the Institute so far it appears from our examination of these books.
4. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account under report are in agreement with the books of accounts and records maintained.

For D.K. SENGUPTA & CO.,
Chartered Accountants
(D.K. SENGUPTA)

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 1989

	Schedule	1988-89 Rs.	Rs.	1987-88 Rs.	Rs.
SOURCES OF FUND					
Capital Reserve	1		20,37,025		18,48,925
General Reserve	2		1,56,36,204		1,42,73,955
Building Reserve	3		24,96,332		22,58,240
	Total		2,01,69,561		1,83,81,120
APPLICATION OF FUND					
Fixed Assets (Written Down Value)	4		1,04,57,892		1,05,29,601
Current Assets	5	1,71,53,318		1,43,16,438	
Less: Current Liabilities and Provisions	6	1,03,87,289		83,64,471	
			67,66,029		59,51,967
Loans and Advances	7		29,45,640		18,99,552
	Total		2,01,69,561		1,83,81,120

As per our report of even date
on the Balance Sheet
For D.K. SENGUPTA & CO.,
Chartered Accountants
(D.K. SENGUPTA)

New Delhi
July 29, 1989

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

D.C. JAIN
Vce-President

SHYAMAL SEN
President

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 1989

	Schedule	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
INCOME			
By Fees & Subscriptions from Members and Students	8	1,48,68,030	1,22,08,733
" Subscriptions, Allocations and Advertisements for Chartered Secretary Journal and Student Company Secrtary Bulletin		19,60,183	16,00,166
" Receipts from Conventions and Professional Development Programmes in excess of direct expenses	9	1,07,096	1,67,816
" Other Income	10	23,95,297	19,55,527
" Excess of Expenditure over Income carried over to Balance Sheet		—	3,71,237
	Total	1,93,30,606	1,63,03,479

EXPENDITURE			
To Payments to Employees	11	72,09,415	63,79,881
" Postal Coaching (direct cost)	12	25,95,416	24,89,766
" Research and Professional Development		23,407	8,714
" Professional Training		54,579	49,632
" Printing of Publications and Office Stationery	13	9,33,575	7,21,970
" Printing of Chartered Secretary Journal and Student Company Secretary Bulletin	14	16,37,431	15,64,852
" Travelling and Conveyance	15	6,09,090	5,68,571
" Postage, Telegrams, Telephones and Telex	16	10,48,632	10,55,645
" Examinations		11,17,811	11,46,536
" Rent, Rates and Taxes		2,13,980	2,40,086
" Other Expenses	17	8,77,066	6,14,944
" Professional Services	18	1,47,513	2,02,233
" Grant to Regional Councils/Chapters		7,55,272	5,95,750
" Regional Office Expenses	19	1,68,680	1,99,480
" Depreciation on Fixed Assets	4	4,15,204	4,16,529
" Student Scholarships and Awards	20	34,495	48,719
" Loss on sale/disposal/write-off of old Fixed Assets		476	162
" Election Expenses for Central and Regional Councils		1,46,367	—
" Provision for Bad and Doubtful Debts		525	—
" Excess of Income over Expenditure carried over to Balance Sheet		13,41,672	—
Total		1,93,30,606	1,63,03,479

As per our report of even date
on the Balance Sheet
For D.K. SENGUPTA & CO,
Chartered Accountants
(D.K. SENGUPTA)
New Delhi
July 29,1989

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

D.C. JAIN
Vice-President

SHYAMAL SEN
President

SCHEDULE-1

CAPITAL RESERVE

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
As per last Balance Sheet	18,48,925	16,95,525
Add: Fees capitalised—		
Associate Entrance Fees	1,64,100	1,33,200
Fellow Entrance Fees	24,000	20,200
Total	20,37,025	18,48,925

SCHEDULE—2

GENERAL RESERVE

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
As per last Balance Sheet	1,42,73,955	1,11,12,417
Add: Transfer from Building Reserve	20,577	35,32,775
	1,42,94,532	1,46,45,192
Add (Less): Surplus (Deficit) as per Income & Expenditure Account	13,41,672	3,71,237
Total	1,56,36,204	1,42,73,955

SCHEDULE—3

BUILDING RESERVE

		1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
As on 1-4-1988 in earmarked fixed deposits		22,58,240	36,58,396
Add: (i) Interest on earmarked fixed deposits		2,58,669	2,51,076
(ii) Contributions by Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad Chapters in the cost of buildings for these Chapter offices		—	18,81,543
		25,16,909	57,91,015
Less: Transfer to General Reserve			
(i) Contributions by the SIRC in the cost of land/building for Regional Office, Madras and By Baroda, Dombivili, Ahemdabad, Bangalore & Hyderabad Chapters in the cost of buildings for these Chapter offices (Rs. 37,454 + Rs. 2,06,580+Rs. 18,81,543)		—	21,25,577
(ii) Part of the cost of buildings for Ahmedabad, Bangalore & Hyderabad Chapters and full cost of addition to the building of Regional Office, Madras, borne by the Institute		—	14,07,198
(iii) Part of the cost of buildings of Central Office and Baroda Chapter borne by the Institute		20,577	—
	Total	24,96,332	22,58,240

SCHEDULE-4

SCHEDULE OF ASSETS ANNEXED TO AND FORMING PART

Sl. No.	Item	Rate of depreciation	GROSS BLOCK			
			Cost as on 1-4-1988	Addition during the year	Sale/ adjustment during the year	Total cost as on 31-3-1989
		%	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	Land					
	Central Office	—	58,756	—	—	58,756
	R.O. Delhi	—	2,33,393	—	—	2,33,393
	R.O. Madras	—	12,00,000	—	—	12,00,000
	Hyderabad Chapter	—	6,00,000	—	—	6,00,000
2.	Buildings					
	ICSI House	2½	36,00,975	7,500	—	36,08,475
	R.O. Bombay	2½	2,58,086	—	—	2,58,086
	R.O. Delhi (to be constructed)	—	90,125	46,411	—	1,36,536
	R.O. Madras	2½	7,63,145	—	—	7,63,145
	Ahmedabad Chapter	2½	14,59,455	—	—	14,59,455
	Bangalore Chapter	2½	8,00,000	—	—	8,00,000
	Baroda Chapter	2½	2,34,355	13,077	—	2,47,432
	Dombvili Chapter	2½	1,52,700	—	—	1,52,700
	Hyderabad Chapter	2½	4,22,088	—	—	4,22,088
3.	Fans	10	63,027	11,354	—	74,381
4.	Furniture and Fixtures	10	10,22,643	1,17,430	—	11,40,073
5.	Time Recorder, Tell-Tale and Wall Clocks	10	6,832	190	—	7,022
6.	Adding and Calculating Machines	15	24,271	1,068	1,117	24,222
7.	Air Conditioners and Room Coolers	15	1,02, 34	4,787	—	1,06,821
8.	Air Conditioning and Air Cooling Equipment	15	5,45,000	—	—	5,45,000
9.	Automatic Emergency Lights	15	5,083	—	—	5,083
10.	Bradma Machines	15	96,537	—	—	96,537
11.	Camera	15	974	—	—	974
12.	Duplicators	15	56,939	—	—	56,939
13.	Franking Machines	15	52,159	—	—	52,159
14.	Hand Driver	15	2,995	—	—	2,995
15.	Heat Convectors	15	468	—	—	468
16.	Intercom Apparatus	15	45,617	13,808	—	59,425
17.	Lawn Mower	15	653	—	—	653
18.	Overhead Projectors with Screen	15	-	13,382	—	13,382
19.	Pantry Equipment and Appliances	15	11,982	475	—	12,457
20.	Paper Shredding Machine	15	7,750	—	—	7,750
21.	Photostat Machines	15	1,04,066	—	—	1,04,066
22.	Tape Recordors	15	3,358	—	—	3,358
23.	Telephone Diallers and Disconnectors	15	8,646	—	—	8,646
24.	Transformer and Voltage Stabilizers	15	21,522	—	—	21,522
25.	TV, VCR and Trolley	15	25,190	—	—	25,190
26.	Typewriters	15	2,58,492	32,010	—	2,90,502
27.	Vacuum Cleaner	15	3,300	—	—	3,300
28.	Water Coolers and Filters	15	67,256	—	—	67,256
29.	Water Meter	15	233	—	—	233
30.	Weighing Counters	15	19,009	300	—	19,309
31.	Bicycles	20	2,287	575	467	2,395
32.	Library Books	20	6,31,170	81,844	—	7,13,014
33.	Motor Car	20	1,00,765	—	—	1,00,765
34.	Cycle/Scooter Shed	33⅓	19,993	—	—	19,993
	Total		1,31,83,339	3,44,211	1,584	1,35,25,956
	Previous Year's Figures		95,98,064	35,99,341	14,076	1,31,83,329

OF THE BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 1989

DEPRECIATION				WRITTEN DOWN VALUE	
Prior to 1-4-1988	For the year	Adjustment during the year	Total	As on 31-3-1989	As on 31-3-1988
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
—	—	—	—	58,756	58,756
—	—	—	—	2,33,393	2,33,393
—	—	—	—	12,00,000	12,00,000
—	—	—	—	6,00,000	6,00,000
5,77,185	75,782	—	6,52,967	29,55,508	30,23,790
67,596	4,762	—	72,358	1,85,728	1,90,490
—	—	—	—	1,36,536	90,125
53,690	17,736	—	71,426	6,91,719	7,09,455
36,486	35,574	—	72,060	13,87,395	14,22,969
20,000	19,500	—	39,500	7,60,500	7,80,000
11,571	5,897		17,468	2,29,964	2,22,784
7,539	3,629		11,168	1,41,532	1,45,161
10,552	10,288	—	20,840	4,01,248	4,11,536
32,413	4,918	—	36,611	37,770	30,614
4,98,869	64,120	—	5,62,989	5,77,084	5,23,774
3,096	393		3,489	3,533	3,736
17,029	1,175	640	17,564	6,658	7,242
56,781	7,506	—	64,287	42,534	45,253
3,66,049	26,843	—	3,92,892	1,52,108	1,78,951
3,012	311	—	3,323	1,760	2,071
71,066	3,822	—	74,888	21,649	25,471
270	106	—	376	598	704
27,014	4,490		31,504	25,435	29,925
21,040	4,668	—	25,708	26,451	31,119
1,432	235	—	1,667	1,328	1,563
181	43	—	224	244	287
29,516	4,486	—	34,002	25,423	16,101
312	51	—	363	290	341
—	2,007	—	2,007	11,375	—
6,525	891	—	7,416	5,041	5,457
1,163	988	—	2,151	5,599	6,587
58,349	6,858	—	65,207	38,859	45,717
1,903	218	—	2,121	1,237	1,455
2,701	891	—	3,592	5,054	5,945
11,997	1,429	—	13,426	8,096	9,525
6,991	2,729	—	9,720	15,470	18,199
1,41,898	22,291	—	1,64,189	1,26,313	1,16,594
1,577	258	—	1,835	1,465	1,723
33,500	5,064	—	38,564	28,692	33,756
158	11	—	169	64	75
7,947	1,704	—	9,651	9,658	11,062
1,369	251	228	1,392	1,003	918
4,10,440	60,516	—	4,70,956	2,42,058	2,20,730
36,275	12,898	—	49,173	51,592	64,490
18,236	585	—	18,821	1,172	1,757
26,53,728	4,15,204	868	30,68,064	1,04,57,892	1,05,29,601
22,49,533	4,16,529	12,334	26,53,728	1,05,29,601	73,48,531

SCHEDULE—5

CURRENT ASSETS

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
Part I: Sundry Debtots (unsecured)		
(a) Considered good		
More than six months old	25,578	—
Others	2,91,137	2,00,407
(b) Considered doubtful		
More than six months old	1,375	850
	3,18,090	2,01,257
Less: Reserve for Bad and Doubtful Debts	1,375	850
Total (Part I)	3,16,715	2,00,407
Part II: Cash, Bank Balances and Investments		
(a) Cash and cheques/drafts in hand	6,779	4,887
(b) Postage stamps in hand and value of balance units in franking machines	52,801	59,729
(c) With banks in savings bank accounts:		
Canara Bank: Green Park Extn., New Delhi	5,27,996	4,74,134
Bhadra, Ahmedabad	4,63,311	—
Indian Overseas Bank, Golf Links, New Delhi	2,065	1,801
Punjab Bank, Defence Colony, New Delhi	4,058	34,563
(d) With banks in fixed deposits:		
Canara Bank, Green Park Extn., New Delhi	26,00,000*	29,00,000
Indian Bank, Defence Colony, New Delhi	1,00,000	1,00,000
(e) Investment in Bonds:		
National Thermal Power Corpn. Ltd.	40,00,000**	40,00,000
Indian Petrochemicals Corpn. Ltd.	10,00,000	10,00,000
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	2,00,000	2,00,000
(f) Investment of deposits for Institution of prize awards in Canara Bank National Thermal Power Corpn. Ltd. National Hydro-Power Corpn. Ltd., Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd.	60,000	60,000
(g) Interest accrued	44,18,810	29,78,925
Total (Part II)	1,34,35,820	1,18,14,039

*Includes deposit of Rs. 24,96,332 earmarked against Building Reserve

**Includes investment earmarked against Provision for Gratuity and Provision for Employees' Pension Payable to the tune of Rs. 13,25,347 and Rs. 12,65,000 respctively.

Part III: Stock of Publications, Stationery, Paper, Chartered Secretary Journal/Student Company Secretary Bulletin, Coaching Material, Neck Ties and Saree Brooches as on 31-3-1989		
(a) Publications	4,44,919	3,27,389
(b) Stationery	71,687	64,112
(c) Printing Paper	6,71,996	2,33,277
(d) Journal/Student Bulletin	30,528	51,956
e) Study Material and Plastic Folders	21,49,857	14,72,746
(f) Neck Ties	4,130	9,126
(g) Saree Brooches	2,666	—
Total (Part III)	33,75,783	21,58,606

Part IV: Deferred Revenue Expenditure (to the extent not written off)		
a) Value of stock of publications and coaching material written-off for absorption in the next year		93,386
(b) Expenditure on repairs of the ground floor of Headquarters building for absorption in the next year	25,000	50,000
Total (Part IV)	25,000	1,43,386
Grand Total (Parts I+II+III+IV)	1,71,53,318	1,43,16,438

SCHEDULE-6

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
Part I : Current Liabilities		
(a) Student Registration Fee for unexpired services	45,15,514	40,74,262
(b) Receipts from Members in advance	63,183	53,635
(c) Receipts from Souvenir Advertisements in advance (refundable)	—	1,000
(d) Expenses Payable	13,31,075	9,36,556
(e) Audit Fee Payable	3,000	2,000
(f) Donation Payable to Company Secretaries/ ICSI Employees Benevolent Funds	29,276	30,185
(g) Due to Regional Councils/Chapters	6,92,534	2,99,562
(h) Delegate Fee (adjustable)	14,999	14,824
(i) Sundry Receipts for Payments	1,047	1,047
(j) Earnest/Retention Money	23,577	19,442
(k) Deposit for Prize Awards to Students (non-refundable)	72,000	60,000
(l) Library Security Deposit	25	25
(m) Lumpsum Deposit for Publications	3,154	5,319
(n) Delegate Fee received in advance	—	17,420
(o) Hotel Booking Deposit (refundable)	940	720
(p) Contribution to NIRC Building Fund	7,208	—
(q) Sale proceeds payable to M/s. Wadhwa Sales Corporation	39,706	—
Total (Part I)	67,97,238	55,15,997
Part II: Provisions		
(a) Provision for Water, Electricity, Telephone, Convention and Contingencies	9,85,552	8,07,075
( ) Provision for Hospitalisation Scheme	14,152	—
(c) Gratuity Payable	13,25,347	11,09,399
d) Employees' Pension Payable	12,65,000	9,32,000
Total (Part II)	35,90,051	28,48,474
Grand Total (Parts I+II)	1,03,87,682	83,64,471

SCHEDULE-7

LOANS AND ADVANCES (UNSECURED AND CONSIDERED GOOD)

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Loans and Advances		
Employees	10,63,053	1,68,655
Examination Centres	6,536	2,000
Convention/Programmes	500	6,099
Printers/Suppliers (on account)	7,000	—
Loan to Regional Councils/Chapters for purchase of buildings	16,20,755	15,40,477
(b) Prepaid Expenses		
Insurance Premium	9,718	10,573
Rent, Rates and Taxes		5,940
Repairs and Renewals	45,116	35,027
Staff welfare (Personal Accident Insurance)	12,841	8,399
Telephones, and Telex	5,950	4,731
Regional Offices	3,500	3,000
Programme Expenses	—	6,940
(c) Sundry Deposits		
Landlords of Regional Office premises	10,685	9,185
Municipal Taxes and Maintenance (R.O. Bombay)	10,440	10,440
Electricity Deposit (R.O. Madras)	1,110	1,110
Delhi Electric supply Undertaking	28,500	28,500
M/s. Pure Drinks	786	786
LPG Cylinder/Regulator	530	530
Security Deposit with Post Offices	12,000	12,000
Deposit for Telephone and Telex	10,500	10,500
Universities (for prize awards)	35,320	35,320
M/s. Modi xero Ltd.	10,800	
NOIDA (for land)	50,000	
Total	29,45,640	18,99,552

SCHEDULE-8

FEES & SUBSCRIPTIONS FROM MEMBERS AND STUDENTS

	1988-89		1987-88	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Part I: From Members				
(a) Fellow Annual Fees		3,57,600		3,29,220
(b) Fellow Entrance Fees	24,000		20,200	
Less: 100% transferred to Capital Reserve	24,000		20,200	—
(c) Associate Annual Fees		8,77,281		4,28,580
(d) Associate Entrance Fees	1,64,100		1,33,200	
Less: 100% transferred to Capital Reserve	1,64,100	—	1,33,200	—
(e) Membership Restoration Fees		12,805		6,135
(f) Certificate of Practice Annual Fees		2,49,156		75,900
(g) List of Members		1,875		1,915
Total (Part I)		14,98,717		8,41,750

Part II: From Students		
(a) Change of Examination Centre Fees	1,973	2,235
(b) Exemption from Preliminary/Intermediate/Final Examination Fees	5,42,267	4,40,240
(c) Final Examination Fees	12,06,314	12,71,985
(d) Intermediate Examination Fees	20,18,263	18,55,348
(e) Preliminary Examination Fees	27,989	18,173
(f) Registration Fees	18,35,636	15,19,924
(g) Verification of Marks Fees	18,385	13,314
(h) Annual Fees	7,948	45,301
(i) Postal Tuition Fees	76,06,008	61,24,077
(j) Late Fees	60,745	51,966
(k) Licentiate Fees	41,630	23,670
(l) Apprenticeship Training Fees	2,155	750
Total (Part II)	1,33,69,313	1,13,66,983
Grand Total (Parts I+II)	1,48,68,030	1,22,08,733

SCHEDULE-9

INCOME FROM CONVENTION AND OTHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMMES

	1988-89		1987-88	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Delegate Fees and Other Receipts				
Delegate Fees				
Convention	5,42,580		4,47,700	
Programmes for Top Executives of Public sector Undertakings	—		6,671	
Joint Professional Programmes	83,217		74,541	
Seminar	23,400		52,500	
Contribution				
Convention	1,41,948		2,00,840	
Advertisements to Souvenir				
Convention	74,300		1,02,500	
Others				
Income from past Conventions	4,860	8,70,305	27,219	9,11,971
Less: Direct Expenses				
Convention	6,56,920		6,29,634	
Programmes for Top Executives of Public Sector Undertakings	—		6,481	
Joint Professional Programmes	62,919		38,202	
Seminar	22,970		46,348	
Past Conventions	400	7,43,209	3,490	7,24,155
		1,27,096		1,87,816
Less: Allocation for donation to Copmany Secrtaries Benevolent Fund and ICISI Employees Benevolent Fund		20,000		20,000
Balance as shown in the Income & Expenditure Account		1,07,096		1,67,816

SCHEDULE-10

OTHER INCOME

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Sale of Publications	10,85,449	6,83,728
(b) Interest on Bank Balances and from Investments	12,71,927	11,72,804
(c) Interest on Staff Advances	12,837	5,653
(d) Rent from Regional Council/Regional Office Building, Madras	7,032	84,384
(e. Miscellaneous Income	17,591	4,654
(f) Surplus on sale/disposal/write-off of old Fixed assets	61	4,054
(g) Donation for Office Buildings	400	250
Total	23,95,297	19,55,527

SCHEDULE-11

PAYMENTS TO EMPLOYEES

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Salaries and Allowances	58,28,366	52,02,211
(b) Staff Welfare	4,37,984	4,02,829
(c) Employer's contribution to Provident Fund	3,30,284	3,21,357
(d) Provision for Gratuity	2,78,098	2,62,484
(e) Provision for Employees Pension	3,34,683	1,91,000
Total	72,09,415	63,79,881

SCHEDULE-12

POSTAL COACHING EXPENSES

	1988-89 Rs.	Rs.	1987-88 Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1988				
Study Material	13,36,366		14,58,837	
Paper	13,170		51,566	
Plastic Folders	1,36,380		1,46,330	
		14,85,916		16,56,733
(b) Add: Expenditure incurred during the year on study material, paper, plastic holders and others		36,91,678		23,02,042
		51,77,594		39,58,775
(c) Less: Closing Stock as on 31-3-1989				
Study Material	20,04,794		13,36,366	
Paper	4,49,228		13,170	
Plastic Folders	1,45,063		1,36,380	
		25,99,085		14,85,916
		25,78,509		24,72,859
Add: Balance value of written-off stock brought forward for absorption during the year		16,907		16,907
Postal Coaching Expenses		25,95,416		24,89,766

SCHDULE—13

PRINTING OF PUBLICATIONS AND OFFICE STATIONERY

	1988-89		1987-88	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1988				
Publications	3,27,389		3,41,549	
Stationery	64,112		64,543	
Paper	24,388		22,494	
		4,15,889		4,28,586
(b) Add: Consolidated expenditure incurred during the year on paper, printing of publications and office stationery		10,15,386		6,63,312
		14,31,275		10,91,898
(c) Less: Closing Stock as on 31-3-1989				
Publications	4,44,919		3,27,389	
Stationery	71,687		64,112	
Paper	27,055		24,388	
		5,43,661		4,15,889
		8,87,614		6,76,009
Add: Balance value of written-off stock brought forward for absorption during the year		45,961		45,961
Printing of Publications and other Stationery Expenses		9,33,575		7,21,970

SCHEDULE—14

PRINTING OF CHARTERED SECRETARY JOURNAL AND STUDENT COMPANY SECRETARY BULLETIN

	1988-89		1987-88	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) Opening Stock as on 1-4-1988				
Journal/Student Company Secretary Bulletin	51,956		62,925	
Paper	1,95,719		51,219	
		2,47,675		1,14,144
(b) Add: Expenditure incurred on paper and printing of Journal/Student Company Secretary Bulletin		15,85,479		16,67,865
		18,33,154		17,82,009
(c) Less: Closing Stock as on 31-3-1989				
Journal/Student Company Secretary Bulletin	30,528		51,956	
Paper	1,95,713		1,95,719	
		2,26,241		2,47,675
		16,06,913		15,34,334
Add: Balance value of written-off stock brought forward for absorption during the year		30,518		30,518
Direct expenses on printing of Journal/Bulletin		16,37,431		15,64,852

SCHEDULE—15

TRAVELLING AND CONVEYANCE

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Travelling by Council Members	3,60,664	3,60,411
(b) Travelling by others	1,28,085	1,08,343
(c) Conveyance	1,20,341	99,817
Total	6,09,090	5,68,571

SCHEDULE—16

POSTAGE, TELEGRAMS TELEPHONES AND TELEX

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Postage and Telegrams	7,14,529	8,63,090
(b) Telephone Telex and Intercom Expenses	3,34,103	1,92,555
Total	10,48,632	10,55,645

SCHEDULE—17

OTHER EXPENSES

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Newspapers and Periodicals	7,274	5,347
(b) Advertisements and Publicity	94,601	15,268
(c) Meeting and Promotional Expenses	60,139	35,016
(d) Repairs and Renewals	92,487	87,787
(e) Electricity	1,63,601	1,50,752
(f) Legal	37,428	39,782
(g) Packing, Carriage and Freight	1,21,956	97,960
(h) Audit Fee	9,000	9,000
(i) Fire, Accident and Fidelity Insurance Premium	11,391	11,080
(j) Motor Car Expenses	48,369	29,894
(k) Office Upkeep and Maintenance	39,095	27,325
(l) Building Repairs and Maintenance	1,37,373	70,441
(m) Hindi Promotional Expenses	1,525	1,303
(n) Office Miscellaneous	35,353	15,917
(o) Bank charges	17,474	18,072
Total	8,77,066	6,14,944

SCHEDULE—18

PROFESSIONAL SERVICES

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Charges for Cmputerisation Services	1,41,763	1,87,248
(b) Others	5,750	14,985
Total	1,47,513	2,02,233

SCHEDULE—19

REGIONAL OFFICE EXPENSES

	1988-89					1987-88
	Bombay Rs.	Calcutta Rs.	Delhi Rs.	Madras Rs.	Total Rs.	Rs.
(a) Rent, Rates, and Taxes	39,211	42,900	37,200	28,563	1,47,874	1,69,649
(b) Other Office Expenses	5,504	5,095	5,200	5,007	20,806	29,831
Total	44,715	47,995	42,400	33,570	1,68,680	1,99,480

SCHEDULE—20

STUDENT SCHOLARSHIPS AND AWARDS

	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
(a) Merit Scholarships and Merit-cum-Means Assistance	36,100	42,900
(b) Prize Awards (including expenses on journeys)	6,694	7,594
	42,794	50,494
Less: Interest earned on deposits for institution of prize awards	8,299	1,775
Total	34,495	48,719

As per our report of even date on the Balance Sheet

For D.K. SENGUPTA & CO.
Chartered Accountants
(D.K. SENGUPTA)

Signature to Schedules 1 to 20

New Delhi
July, 29, 1989

T.P. SUBBARAMAN
Secretary & Executive Director

D.C. JAIN
Vice-President

SHYAMAL SEN
President

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989